खण्ड-453, अंक-10
शुक्रवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(18 मार्च, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 453 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ -संख्या
उपस्थित सदस्य	
ताजमहल के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा समाचार पत्रों में दिये गये वक्तव्य पर आपत्ति----	1 - 4
प्रश्नोत्तर	4 - 30
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम कृष्ण जैसवार के निधन पर शोकोद्गार ----	30
निधन के निर्देश की सूचना सात वर्ष बाद आने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण ----	30
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना----	31
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों के साथ पिछड़े एवं दलित वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना----	31 - 32
जिला मलेरिया नियंत्रण एवं फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति में नियुक्ति के दिनांक को आधार मान कर प्रोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना----	32
वाराणसी की ग्राम सभा सुगुलपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन फर्जी प्रस्ताव पर किये जाने की जांच कराकर दोषीजनों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना----	32 - 33
चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में गन्दे पानी की निकासी हेतु सर्वे कराकर व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना----	33
मेरठ के सिवाल खास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नन्दपुर को जन-धन हानि से बचाने के लिये मकानों के ऊपर से विद्युत तारों को स्थानांतरित करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना----	33 - 34
औचित्य के प्रश्न की सुचनाएं----	34
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (सातवां संशोधन) नियमावली-2005--------- (सदन के पटल पर रखी गयी)	34

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005---- (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	34
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2005---- (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	35
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005---- (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	35
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव------ (स्वीकृत)	35 - 36
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं----	36 -41
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005----(पारित)	41 -65
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी/एवं नेता विराधी दल के आवास) विधेयक, 2005----(पारित)	65 -67
उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005---- (पारित)	67 -68
लखनऊ में नकली दवाएं बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा---- (जारी)	68 -73
लखनऊ में नकली दवाएं बेचने विषयक चर्चा पर समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव--- (जारी) (स्वीकृत)	73 -74
जनपद लखनऊ में नकली दवाएं बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा----(जारी)	74 -75
लखनऊ में नकली दवाएं बेचने विषयक चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव ------ (जारी) (स्वीकृत)	75 -76
जनपद लखनऊ में नकली दवाएं बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा----(जारी)	76 -78
लखनऊ में नकली दवाएं बेचने विषयक चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव------ (स्वीकृत)	78
जनपद लखनऊ में नकली दवाएं बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा (क्रमागत)	78 -80

विषय	पृष्ठ-संख्या
"इस सदन का निश्चित मत है कि" माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिये एक सुनिश्चित एवं समयबद्ध योजना बनायी जाये विषयक डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा----(जारी)	80-81
"इस सदन का निश्चित मत है कि" वाराणसी में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु कमच्छा स्थित पुराने पावर हाऊस के भूखण्ड पर 132 के0वी0के0 एक नये विद्युत सब स्टेशन का निर्माण "किया जाये" विषयक श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा------(जारी)	81-82
"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि" उत्तर प्रदेश से लोक सभा, विधान सभा, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के निर्वाचनों में उपलब्ध स्थानों में अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण "उपलब्ध कराया जाये" विषयक श्री अक्षयवर लाल गौड़ द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा----(जारी)	82
"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि" प्रदेश में वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट) प्रणाली लागू न "की जाये" विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल के संकल्प को उनके द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत सदस्य डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा----(जारी)	82-83
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रामगढ़ स्थित ग्राम समाज की जमीन को भू माफियाओं द्वारा फर्जी पट्टा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन----	83
उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने एवं अधिवर्षता आयु साठ वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अरुणा कुमारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर होम गार्ड्स मंत्री का वक्तव्य----	83-84
राजकीय इण्टर कालेजों में कक्षा नौ, दस एवं 6, 7, 8 की नीति के तहत असेवित कन्या इण्टर कालेजों की उक्त कक्षाओं में भी नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य----	84-85
जनपद वाराणसी कैन्ट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों के किसानों को उनकी फसल की क्षतिपूर्ति एवं मृतक परिवार वालो को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य----	85-87

विषय	पृष्ठ-संख्या
मेरठ महानगर की पेयजल आपूर्ति हेतु बंद पडे ट्यूबवेलों की रिबोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य----	87-88
जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित ग्रामों में ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल वर्मा तथा डा0 रामबाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य----	88-89
जनपद बस्ती के पालहा गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को स्वास्थ्य विभाग को हैण्ड ओवर करने के सम्बन्ध में श्री रामकरन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य----	89
जनपद कन्नौज के जलालाबाद फीडर की विद्युत तार लाइन को अल्युमिनियम का किये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य----	89-90
उत्तर प्रदेश पैक्स केन्द्रीयत सेवा कैडर के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कराने एवं द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति देने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य----	90-91
जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा तापीय विद्युत परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा दिये जाने एवं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी में रखे जाने के सम्बन्ध में डा0 यशवन्त सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य----	91
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	92-93
जनपद झांसी में ओलावृष्टि से प्रभावित किसान श्री नन्द सिंह चौहान की मृत्यु के उपरान्त परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन----	93
नत्थियां----	94-105

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2005

(विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में दिनांक 11 बजकर 2 मिनट पर
अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

उपस्थित सदस्य-297

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	30-अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
2-अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	31-अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
3-अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	32-अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
4-अजय कुमार, डा0	बागपत	33-अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
5-अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	34-अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
6-अताउल रहमान, श्री	बरेली	35-अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
7-अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	36-आदित्य विक्रम सिंह	सिद्धार्थनगर
8-अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	(बोकू सिंह), श्री	
9-अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	37-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
10-अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	38-आर0के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
11-अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई	39-आलम बदी, श्री	आजमगढ़
12-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	40-आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
13-अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	41-आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
14-अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	42-आशीष यादव, श्री	बदायूं
15-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया	43-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
16-अनूप कुमार पाडेण्य, श्री	बस्ती	44-इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
17-अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर	45-इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
18-अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	46-इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
19-अमरजीत सिंह जनसेवक.श्री	फतेहपुर	47-उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
20-अमरमणि, श्री	महाराजगंज	48-उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
21-अमर सिंह यादव पुत्र	हाथरस	49-उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
श्री सुन्दर सिंह, श्री		50-ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
22-अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर	51-ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
23-अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	52-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
24-अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा	53-ओम प्रकाश पाडेण्य, श्री	सुल्तानपुर
25-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर	54-ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
26-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी	55-कपिल देव यादव, श्री	मऊ
27-अरूण कुमार महरोत्रा, डा0	जालौन	56-कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
28-अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात	57-कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
29-अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच	58-कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज

59-कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
60-काशीराम, श्री — रामपुर
61-किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
62-किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
63-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
64-कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
65-कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
66-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
67-कैलाश, श्री — गाजीपुर
68-कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
69-कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
70-कौशल किशोर, श्री — खीरी
71-कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
72-गंगा बक्श सिंह, डा0 — उन्नाव
73-गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
74-गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
75-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
76-चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
77-चन्द्रदेव राम यादव, श्री — आजमगढ़
78-चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
79-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
80-चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फनगर
81-छेदी राम, श्री — गाजीपुर
82-छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
83-छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
84-जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
85-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
86-जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
87-जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
88-जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
89-जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
90-जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
91-जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
92-जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
93-जयराम विमल, श्री — अम्बेडकरनगर
94-जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
95-जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
96-तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
97-दयाराम, श्री — कौशाम्बी
98-दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
99-दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
100-दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
101-दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
102-दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर भदोही
103-दुर्गा प्रसाद मिश्र, — देवरिया
104-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
105-देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
106-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
107-द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
108-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
109-धर्मराज निषाद — अम्बेडकरनगर
110-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
111-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
112-धू राम लौधी, चौधरी — हमीरपुर
113-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
114-नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
115-नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
116-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
117-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
118-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
119-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
120-नबाव सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
121-नारद राय, श्री — बलिया
122-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
123-पी0के0राय, डा0 — कुशीनगर
124-पीटर फैथम, श्री — नाम-निर्देशित
125-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
126-पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
127-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
128-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
129-प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
130-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
131-प्रमोद गौड, श्री — अलीगढ़
132-प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
133-प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर

134-प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
135-फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
136-फागू, श्री — मऊ
137-बंशीधर राज, श्री — खीरी
138-बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
139-बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
140-बाबूराम, एम0काम0, श्री — जालौन
141-बाबू लाल, श्री — गोण्डा
142-बाबू लाल, चौधरी — आगरा
143-बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
144-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
145-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
146-बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट — जालौन
147-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
148-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
149-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
150-भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
151-भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
152-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
153-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
154-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
155-मदन भैया, श्री — बागपत
156-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
157-मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
158-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
159-मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
160-महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
161-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
162-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
163-महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
164-माता प्रसाद पाडेण्य, श्री — सिद्धार्थनगर
165-मान पाल सिंह, श्री — एटा
166-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
167-मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
168-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
169-मुकुल उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
170-मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
171-मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
172-मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
173-मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
174-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
175-मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
176-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
177-मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
178-मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
179-यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
180-योगेन्द्र कुमार, श्री — बंदायूं
181-रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया, श्री — प्रतागढ़
182-रणवीर राणा, श्री — मेरठ
183-रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
184-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
185-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
186-रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
187-राकेश पाडेण्य, श्री — अम्बेडकर नगर
188-राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
189-राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
190-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
191-राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
192-राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
193-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
194-राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
195-राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
196-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
197-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
198-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
199-राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
200-राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
201-राम करन आर्य, श्री — बस्ती
202-राम किशुन, श्री — वाराणसी
203-राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
204-राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
205-राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
206-राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद

207-रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
208-राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
209-रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
210-रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
211-राम पाल वर्मा, श्री	हादोई
212-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
213-राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
214-राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
215-राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
216-राम मगन, श्री	बाराबंकी
217-राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
218-रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
219-राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
220-राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
221-रामहेत, श्री	सीतापुर
222-रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
223-रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले-नगर
224-रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
225-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
226-लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
227-लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
228-लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
229-लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
230-वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
231-वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
232-विजया यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
233-विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर भदोही
234-विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
235-विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
236-विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
237-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
238-विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
239-विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
240-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
241-विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
242-[illegible] "मुन्ना"	शाहजहांपुर
243-वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
244-वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
245-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर भदौही
246-शब्बीर, श्री	बहराइच
247-शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
248-शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
249-शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
250-शाकिर अली, श्री	देवरिया
251-शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
252-शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
253-शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
254-शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
255-शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
256-शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
257-शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
258-शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
259-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
260-शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
261-शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
262-श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
263-श्यामदेव राय चौधरी, श्री	महराजगंज
264-श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
265-श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
266-श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
267-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
268-श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
269-श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
270-संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
271-संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
272-सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर

273-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
274-सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
275-सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
276-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 — मुरादाबाद
277-सलिल विशनोई, श्री — कानपुर नगर
278-सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
279-सियाराम सागर, डा0 — बरेली
280-सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
281-सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ
282-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
283-सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
284-सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
285-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
286-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
287-सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
288-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
289-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
290-सुशील चौधरी, डा0 — सहारनपुर
291-सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
292-सोमारू राम सरोज, श्री — जौनपुर
293-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
294-हरि प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ
295-हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
296-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी
297-हीरा लाल गौतम, श्री — आजमगढ

नोट :- 1-श्री मुन्ना सिंह चौहान, सिंचाई मन्त्री तथा
2-श्री अजीत कुमार राजू, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ताज महल के संबंध में संसदीय कार्यमंत्री द्वारा समाचार पत्रों में दिये गये वक्तव्य पर आपत्ति

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन) -

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एक गम्भीर विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने यह कहा है कि ताजमहल को सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को दे देना चाहिए । यह कदम देश के लिए घातक होगा ।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे सुसंगत नियमों में दे दें, 22 तारीख को सदन है । उस दिन इस पर पूरी बात हो जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

संसदीय कार्य एव नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष-

हम इसको देखेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री मोहम्मद आज़म खां -

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

(सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मोहम्मद आज़म खां -

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर)

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष-

मैंने टण्डन जी को कहा कि आप इसको सुसंगत नियमों में दे दीजियेगा । अभी 22 तारीख को सदन की बैठक है, जो बात हो सकेगी हो जायेगी ।

(व्यवधान के मध्य)

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष-

मैं उसको दिखवा लूँगा । कार्यवाही से निकलवा दूँगा । मैंने टण्डन जी से भी कहा है कि इस सब पर बात करने के लिये यह उचित समय नहीं है । आप इसको सुसंगत नियमों में दे दीजियेगा । अभी प्रश्न प्रहर हो रहा है उसको चलने दीजिये ।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री लाल जी टण्डन-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री लाल जी टण्डन-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री मोहम्मद आज़म खा-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

(श्री प्रमोद कुमार सदन के वेल में आ गये)

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष-

(सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है ।)

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी । 11 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये बढ़ा दिया है । 11 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने पुन: सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट और बढ़ा दिया है । 11 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: प्रारम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष-

यह जो अभी प्रश्न प्रहर के समय में जो बातें हुई हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं मानी जायेंगी और न ही यह प्रेस में चाहे वह प्रिन्ट मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, किसी में नहीं छपेगा । मैं अभी थोड़ी देर के लिए पूरा प्रश्न प्रहर स्थगित करता हूँ ।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 46 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग

श्री राम इकबाल सिंह तथा डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

*1-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों की सुविधा हेतु क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सायं 6 से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं ।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण संभव नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का जनपद गौतमबुद्ध नगर, दादरी से गैस पर आधारित बिजली उत्पादन हेतु अनुबन्ध

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री हुकुम सिंह तथा डा0 विनोद तिवारी-

*1-क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 सितम्बर, 2003 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् का किसी कम्पनी/फर्म/व्यक्ति से दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर में गैस पर आधारित बिजली उत्पादन हेतु कोई अनुबन्ध हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस अनुबन्ध की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ तहसील में गैस आधारित तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना तथा अन्य संबंधित औद्योगिक विकास हेतु रिलायंस देहली पावर प्राईवेट लि0 के मध्य भूमि अर्जन अनुबन्ध दिनांक 19-2-2004 को एवं राज्य सरकार एवं रिलायंस एनर्जी जेनरेशन के मध्य स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट दिनांक 16 जून, 2004 को निष्पादित किया गया है ।

नोट :- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

इस संबंध में अनुरोध है कि विस्तृत अभिलेख होने के कारण इसे मा0 अध्यक्ष जी के कक्ष में अवलोकित करना चाहेंगे ।

तारांकित प्रश्न

गरीबी रेखा से नीचे आने वाले शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की नीति

श्री राम इकवाल सिंह-

*1-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है ? क्या इन्हें रोजगार देने की कोई नीति सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मन्त्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

सेवायोजन कार्यालयों में पंजीयन के समय शिक्षित बेरोजगारों से गरीबी रेखा के नीचे अथवा ऊपर रहने की सूचना नहीं ली जाती है ।

जी, नहीं । प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि की जाती है ।

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा पंजीकृत बेरोजगारों को नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरूद्ध नाम सम्प्रेषित कर उन्हें सवेतन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । इसके अतिरिक्त शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में समाज के निर्बल वर्गों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को टंकण, आशुलिपि, सचिवीय पद्धति, सामान्य ज्ञान का प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि की जाती है ।

शासन के कतिपय विभागों यथा-ग्राम्य विकास विभाग, उद्योग विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, दुग्ध विकास विभाग, कृषि विभाग, मत्सय विभाग, महिला कल्याण विभाग आदि द्वारा बेरोजगारों को स्वत: रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न योजनायें संचालित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 सुशील चौधरी-

*2-[दिनांक 4-3-2005 को तारा प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित ।]

प्रदेश में पशु तस्करी पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने की मांग

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

*3-क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में पशु तस्करी का कारोबार चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारोबार पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मन्त्री (वीरेन्द्र सिंह)-

जी हां ।

जी हां ।

उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, (1955) संशोधन, 2002 के प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है । समय-समय पर इस संबध में सघन अभियानों के द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा बड़े निवेशकों, एन0आर0आई0 को प्रदेश में पूंजी निवेश के लिये प्रोत्साहन दिये जाने हेतु कार्य योजना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

*4-क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सरकार के पदारूढ़ होने से अब तक प्रदेश के बाहर के उद्यमियों द्वारा प्रदेश में कितने धन का निवेश बड़े उद्योगों में किया गया है ? क्या सरकार द्वारा बड़े निवेशकों, एन0आर0आई0 को प्रदेश में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिये जाने हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दिनांक 28-8-2003 से 28-2-2005 तक प्रदेश के बाहर के उद्यमियों द्वारा 349.28 करोड़ रूपए का निवेश प्रदेश में किया गया है ।

पूंजी विनियोजन को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 घोषित की जा चुकी है । जिसके अन्तर्गत प्रोत्साहन दिए जाने हेतु निम्न योजना बनाई गई हैं :-

- सूचनाएं तथा एस्कार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एन0आर0आई0 आयुक्त की नियुक्ति की गई ।
- उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अनिवासी भारतीयों को प्रथम चरण की सूचनाएं, समन्वय प्रदान करने तथा एस्कोर्ट सेवाए देने हेतु उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र के आयुक्त को एन0आर0आई0 कमिश्नर नामित किया गया है ।
- भारत में उत्तर प्रदेश को सीधे विदेशी पूंजी निवेश का मुख्य गंतव्य बनाने हेतु प्रचलित सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के साथ ही बड़ी कंपनियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को बड़े भू-भाग इकाईयां स्थापित करने हेतु तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाए विकसित करने हेतु उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।
- उत्तर प्रदेश मूल के भारतीयों ने विश्व भर में उद्यमिता कौशल से ख्याति अर्जित की है इन्हें प्रदेश में निवेश करने हेतु निवेश को सरल बनाने के लिए प्रक्रियाओं व व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है ।
- विदेशी पूंजी निवेश को उर्जा, सड़क, सेतु एवं अन्य परियोजनाओं में निवेश करने हेतु अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तथा यह निवेश भूमि विकास, खनन, सेवा क्षेत्र में किया जाय इसके लिए समस्त प्रस्तावों की स्वीकृतियां प्रदान करने का कार्य राज्य स्तरीय उद्योगबंधु को दिया गया है तथा निवेश की संभावनाओं व उपलब्ध परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है ।

- अनिवासी भारतीयों में देशप्रेम की भावना को उत्पन्न करने व उनसे सक्रियता से सम्पर्क करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराकर उन्हें अपने गांव, कस्बे तथा शहर के उत्थान हेतु सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ।

विधायकों, सांसदों एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये बस यात्रा नि:शुल्क किये जाने की मांग

श्री राम करन आर्य-

*5-क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधायकों, सांसदों एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए बस यात्रा पूरी तरह नि:शुल्क है ? क्या यह सही है कि किराये में कुछ धनराशि का उन्हें भुगतान करना पड़ता है ? यदि हां, तो किस मद में ? क्या सरकार उसे भी नि:शुल्क [illegible] ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मन्त्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

माननीय विधायकों, सांसदों एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रमिकों के हित में श्रम नीति की रूपरेखा बनाये जाने की मांग

श्री धर्मपाल सिंह-

*6-क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार श्रमिकों के हित में कोई व्यापक श्रम नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ तक मेट्रो ट्रेन चलाये जाने की मांग

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

*7-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एन0सी0आर0 क्षेत्र में होने के कारण गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ तक मैट्रो ट्रेन चलाये जाने की योजना के विस्तार तथा आवश्यक भागीदारी के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

नोयडा विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन तथा मैसर्स राइट्स से मैट्रो रेल के संबंध में एक विस्तृत तकनीकी परियोजना रिपोर्ट तैयार करा ली गयी है । उक्त रिपोर्ट के अनुसार नोयडा क्षेत्र मैट्रो रेल की कुल लम्बाई 7 कि0मी0 होगी । यह कोरिडोर न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली से प्रारम्भ होकर सेक्टर-32, नोयडा पर समाप्त होगा । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शहादरा से गाजियाबाद तक मैट्रो रेल परियोजना की रिपोर्ट तैयार कराने का निर्णय लिया गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने का कार्य प्रगति पर है । मेरठ तक मैट्रो रेल के ले जाने के संबंध में किसी भी स्तर से कोई कार्य करने की सूचना/विस्तार की कोई योजना शासन स्तर पर अभी तक सूचित नहीं है । मैट्रो रेल के संबंध में गाजियाबाद एवं नोयडा प्राधिकरण की परियोजना अभी प्रारम्भिक चरण में है इनमें राज्य सरकार की भागीदारी का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की भांति उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दिये जाने की मांग

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

*8-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की भांति उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

विद्युत दरों का निर्धारण मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है । इस प्रक्रिया के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता एवं उसके आधार पर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरें (टैरिफ) विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाती है । उ0प्र0 नियामक आयोग द्वारा आम जनता एवं विद्युत उपभोक्ताओं से सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त टैरिफ आर्डर निर्गत किया जाता है जिसका अनुपालन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जाता है । किसानों को मुफ्त बिजली देने पर उसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को करनी पड़ेगी । प्रदेश सरकार वित्तीय कारणों से किसानों को मुफ्त बिजली की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्थिति में नहीं है ।

प्रदेश में पशुओं का दूध निकालने में आक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री पर रोक लगाने की मांग

श्री रविन्द्र पुण्डीर-

*9-क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पशुओं का दूध निकालने में आक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त इंजेक्शन से निकाले गये दूध के प्रयोग से मानव शरीर पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इंजेकशन की बिक्री पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरेन्द्र सिंह-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

आक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री पर रोक लगाना स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रातर्गत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोरखपुर में गत वर्षों में ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

1-क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में वर्ष 2003-04 तथा वर्ष 2004-05 में कौन-कौन से कार्य कितने मूल्य के स्वीकृत हुए? उक्त अवधि में कितने कार्य कराये गये तथा कितने शेष हैं ? शेष कार्यों को कब तक करा दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गोरखपुर महानगर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुए ।

गोरखपुर महानगर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में निम्नलिखित कार्य स्वीकृत हुए उनकी प्रगति निम्नवत् है :-

1. एल0टी0 उपगृह के अनुरक्षण एवं मरम्मत के कार्य :-

गोरखपुर महानगर में विभिन्न क्षमता के 378 अदद एल0टी0 उपगृह के अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य कराया जाना है जिसकी कुल लागत रू0 10,93,67,730.00 (रूपया दस करोड़ तिरानबे लाख सड़सठ हजार सात सौ तीस मात्र) है । जिसमें अब तक रूपया 6,59,57,963.00 (रूपया छः करोड़ उनसठ लाख सत्तावन हजार नौ सौ तिरसठ मात्र) की सामग्री प्राप्त की जा चुकी है एवं रूपया 18,62,303.00 का कार्य (कुल रूपया 6,78,20,266.00) कराया जा चुका है एवं रूपया 4,15,47,464.00 की सामग्री एवं कार्य शेष है । उक्त कार्य के दिनांक 31-07-2005 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

2. नये 31 अदद एल0टी0 उपगृह का निर्माण कार्य :-

गोरखपुर महानगर में विभिन्न स्थानों पर 250 के0वी0ए0 के 07 अदद एवं 400 के0वी0ए0 के 24 अदद एल0टी0 उपगृह का निर्माण कार्य कराया जाना है जिसकी कुल लागत रूपया 1,92,09,434.00 (रूपया एक करोड़ बानवे लाख नौ हजार चार सौ चौतीस मात्र) है जिसमें रूपया 1,45,03,149.00 की सामग्री प्राप्त की जा चुकी है एवं रूपया 8,96,377.00 का कार्य (कुल रूपया 1,53,99,526) कराया जा चुका है एवं रूपया 3,80,09,908.00 की सामग्री एवं कार्य शेष है। उक्त कार्य के दिनांक 31-07-2005 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

3. 33 के0वी0 लाइन के री-कण्डक्टरिंग का कार्य :-

गोरखपुर महानगर के विभिन्न स्थानो पर 33 के0वी0 लाइन की री-कण्डक्टरिंग का कार्य कराया जाना है जिसका कुल लागत रूपया 3,20,28,843.00 (रूपया तीन करोड़ बीस लाख अट्ठाइस हजार आठ सौ तैतालिस मात्र) है जिसमें रूपया 1,36,46,512.00 की सामग्री प्राप्त की जा चुकी है एवं रूपया 7,57,911.00 का कार्य (कुल रूपया 1,44,04,423.00) कराया जा चुका है एवं रूपया 1,75,24,420.00 की सामग्री एवं कार्य शेष है । उक्त कार्य के दिनांक 31-07-2005 तक पूर्ण होने की संभावना है । जिसकी लागत रूपया 8,87,39,168.00 (आठ करोड़ सत्तासी लाख उन्तालिस हजार एक सौ अड़सठ मात्र) है जिसमें रूपया 2,79,68,170.00 की सामग्री प्राप्त की जा चुकी है एवं रूपया 10,81,020.00 का कार्य (कुल रू0 2,90,39,190.00) कराया जा चुका है एवं रूपया 5,06,99,978.00 की सामग्री एवं कार्य शेष है उक्त कार्य के दिनांक 31-07-2005 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

5. नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दुर्गाबाणी का निर्माण कार्य :-

गोरखपुर महानगर में एक अदद नये 275 एम0वी0ए0 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दुर्गावाणी का निर्माण कार्य कराया जाना है जिसकी लागत रूपया 2,05,38,738.00 है उक्त कार्य हेतु भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । भूमि प्राप्त हो जाने पर 6 माह में उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

6. मीटर रीडिंग, बिल निर्गत का कार्य :-

गोरखपुर महानगर के प्रत्येक पोल, परिवर्तक एवं कनेक्शन परिसर पर नम्बर अंकित करना एवं प्रत्येक माह घर-घर जाकर बिल निर्गत करने का कार्य कराया जाना है जिसकी कुल लागत रूपया 1,96,46,000.00 (एक करोड़ छियानवे लाख छियालिस हजार मात्र) है जिसमें पोल, परिवर्तक एवं कनेक्शन परिसर पर नम्बर अंकित करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं प्रत्येक माह बिल निर्गत का कार्य किया जा रहा है । जिसमें अब तक 36,12,200.00 का कार्य किया जा चुका है एवं रूपया 1,60,33,800.00 का कार्य शेष है । उक्त कार्य तीन वर्ष की अवधि में माह फरवरी 2007 तक किया जाना है।

7. केबिल फाल्ट लोकेटिंग सिस्टम:-

गोरखपुर महानगर हेतु एक अदद केबिल फाल्ट लोकेटिंग सिस्टम का प्राविधान किया गया है जिसकी कुल लागत रूपया 40,77,600.00 (रूपया चालीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ मात्र) है । उक्त सिस्टम की आपूर्ति पूरी हो चुकी है ।

8. 400 के0वी0ए0 ट्राली माउण्टेड परिवर्तक:-

गोरखपुर महानगर हेतु दो अदद 400 के0वी0ए0 ट्राली माउण्टेड परिवर्तक का प्रविधान किया गया है जिसकी कुल लागत रूपया 5,41,396.00 (रूपया पांच लाख इक्तालीस हजार तीन सौ छियानवे) है । उक्त सामग्री की आपूर्ति पूरी हो चुकी है ।

9. आयल सेन्ट्रीफ्यूजिंग मशीन:-

गोरखपुर महानगर हेतु एक अदद आयल सन्ट्रीफ्यूजिंग मशीन का प्राविधान किया गया है जिसकी कुल लागत 3,30,339.00 (रूपया तीन लाख तीस हजार तीन सौ उन्तालीस मात्र) है । जिसकी आपूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

10. जनपदीय कार्य :-

गोरखपुर महानगर के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पर एक बक्शीपुर स्थित कार्यालय पर आवश्यकतानुसार नये भुगतान केन्द्रों का निर्माण तथा पुराने कन्ट्रोल रूम एवं कार्यालय का जीर्णोद्धार का कार्य रूपया 86.83 लाख होना है जिसको विद्युत जनपद खण्ड, गोरखपुर द्वारा कराया जाना है जिसमें रूपया 5.68 लाख का कार्य हो चुका है एवं रूपया 80.75 लाख का कार्य कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है ।

जनपद सीतापुर की ग्राम पंच यत रौरापुर को वर्ष 2003-2004 एवं वर्ष 2004-2005 में दशम् वि त आयोग से प्राप्त धनराशि तथा व्यय

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

2-क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-रौरापुर, ब्लाक-परसेण्डी, जनपद-सीतापुर की ग्राम पंचायत रौरापुर को 2003-2004 एवं 2004-2005 में दशम वित्त आयोग से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा प्राप्त धनराशि किन-किन विकास कार्यों पर खर्च की गयी है तथा कितनी धनराशि शेष है ?

पंचायती राज मन्त्री (श्री बलराम यादव)-

जनपद सीतापुर की ग्राम पंचायत रौरापुर को वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 में दशम् वित्त आयोग से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, अपितु वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में 11वें वित्त आयोग की धनराशि क्रमश: रूपये- 39,009.00 तथा रूपये- 16,696.00 प्राप्त हुई है, जिससे नाली/खडण्जा निर्माण, नाली मरम्मत, खड़ण्जा मरम्मत, कूप मरम्मत आदि विकास कार्य कराये गये हैं । उक्त धनराशि में से रूपये- 09.00 तथा वर्ष 2004-05 में रूपये- 2014.00 की धनराशि शेष है ।

महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद के अधीन उप निदेशक कार्यालयों में निरन्तर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

श्री राम प्रताप सिंह-

3-क्या स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद के अधीन उप निदेशक कार्यालयों में 64/-रूपये प्रति कार्य दिवस के मानदेय पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वर्ष 1988 से समय-समय पर और 1990 से निरन्तर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मन्त्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 के अधीन उप निदेशक का कोई कार्यालय अस्तित्व में नहीं है

अपितु उनके अधीन उप निबन्धकों के कार्यालय स्थापित हैं । इन कार्यालयों में दैनिक वेतन कर्मचारी प्रतिलिपिकरण के बकाया कार्य को समाप्त करने हेतु वर्ष 1983 से लगाये जाते थे किन्तु फोटोस्टेट प्रणाली लागू हो जाने के कारण वर्ष 1991 में ऐसे सभी दैनिक वेतन कर्मियों को हटा दिया गया । इससे क्षुब्ध होकर दैनिक वेतन कर्मियों द्वारा रिट याचिकायें योजित की गयी । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम/अन्तिम आदेश के अधीन अलग-अलग तिथियों से ऐसे कर्मी कार्यरत हैं । इस प्रकार विभाग में ऐसे दैनिक वेतन कर्मी कार्यरत हैं जिनकी प्रथम तैनाती वर्ष 1988 अथवा पूर्व से है, किन्तु कोई भी कर्मी वर्ष 1990 से निरन्तर कार्यरत नहीं है । दैनिक कर्मियों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 8 जून, 2001 द्वारा समूह 'ग' के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक की दरें रूपये 47.50 से बढ़ाकर रूपये 64/की गई हैं जिनकी नियुक्ति दिनांक 17-7-1991 से पूर्व की गई हो । उक्त शासनादेश के क्रम में इस समय विभाग में 64/-रूपये तथा रूपये 47.50 प्रतिदिन की दर से दैनिक वेतनभोगी कर्मी कार्यरत हैं ।

दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु "उत्तर प्रदेश (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998" दिनांक 09-07-98 से प्रख्यापित की गई है जिसके प्राविधानों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि उन्हीं दैनिक वेतन कर्मियों को विनियमित किया जा सकता है जो समूह 'ग' के पद पर दैनिक वेतन कर्मी के रूप में दिनांक 29-06-91 के पूर्व से कार्यरत हो तथा इस रूप में नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक अर्थात 09-07-98 तक निरन्तर कार्यरत रहें हों । उक्त नियमावली से आच्छादित दैनिक वेतन कर्मियों को ही विनियमित किया जा सकता है । केवल एक कर्मी ही इस नियमावली के अन्तर्गत पात्र पाया गया। प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ उदयगंज, कैन्ट रोड पर स्थित 12/55, डायमण्ड टावर में 11/4 के0वी0 सब स्टेशन (ट्रान्सफार्मर) को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की मांग

श्री बीजू पटनायक तथा श्री मदन चौहान-

4-क्या मुख्यमन्त्री को जानकारी है कि सह निदेशक, कार्यालय विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ जोन विभूति खण्ड-2 गोमती नगर, लखनऊ ने पत्र संख्या-2550स0नि0/वि0स0/ ल0जोन/2005, दिनांक 3 फरवरी, 2005 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, हुसैनगंज, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को लखनऊ उदयगंज, कैन्ट रोड पर स्थित 12/55, डायमण्ड टावर में 11/4 के0वी0 सब स्टेशन निर्माण (ट्रान्सफार्मर) हेतु चयनित स्थल को असुरक्षित घोषित कर उसे सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सब स्टेशन (ट्रान्सफार्मर) का स्थल जनहित में उचित सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[illegible]यम सिंह यादव-

[illegible]

जी हाँ

[illegible]

जनपद बरेली के विकास खण्ड मीरगंज के ग्राम गोरा लोक नाथपुर के ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में की जा रही अनियमितताओं की शिकायत

श्री सुलतान बेग-

5-क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बरेली के विकास खण्ड मीरगंज को ग्राम गोरा लोक नाथपुर के ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मन्त्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/97807/2004, दिनांक 4-3-2004 जिला अधिकारी, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ ।

उक्त पत्र के आधार पर आरोपों की जांच उप जिलाधिकारी, मीरगंज व जिला विकास अधिकारी, बरेली से कराई गई । जांच में ग्राम सभा की भूमि के गाटा संख्या-41 व 42 के 0.240 हेक्टेयर पर ग्राम प्रधान का अवैध कब्जा पाया गया, जिसे हटवा दिया गया है तथा अवैध कब्जे की सूचना संबंधित अधिकारी को न देने के कारण संबंधित लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है । इसके अलावा वर्ष 2001-02 से वर्ष 2004-05 के बीच कराये गये कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके कारण ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है । ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है ।

जलालपुर स्थित शिवपुरी तुलसी बिहार, जनपद लखनऊ में ट्रांसफार्मर में विद्युत करंट आने से दिवंगत श्री मुन्ना लाल साहू के आश्रितों को सरकारी सेवा में लिये जाने संबंधी पत्र

श्री कौशल किशोर-

6-विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2001 दिनांक 28 सितम्बर, 2001 अतारांकित प्रश्न संख्या-61 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने क कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में मृतक आश्रित को सरकारी सेवा में ले लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसे सरकारी सेवा में कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता /

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के नियमों के अन्तर्गत दुर्घटना में मृत वाह्य व्यक्तियों के आश्रित को मृतक आश्रित के रूप में नियम में सेवायोजन दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक में अलग ग्राम पंचायत बनाने के संबंध में पत्र

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

7-क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक में पंचायत चुनाव

परिसीमन में पतुलकी, छाहुर मझिगवां, हरदिहा, मिसिरपुर को मिलाकर एवं मानिकपुर, लोहसईया अमहा माफी, कनौही राजा मिलाकर रामपुर वासित अली बनकट, जगदीशपुर तथा बसही कलां, बभनी, खजुरीबल्हिया कलां मिलाकर अलग ग्राम पंचायत बनाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी (पंचायती राज प्रकोष्ठ) के सह संयोजक डा0 शशि भूषण दूबे पथिक का पत्र दि0 9 जुलाई, 2004 जिलाधिकारी,. मिर्जापुर/सी0डी0ओ0/बी0डी0ओ0 (लालगंज) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ के अन्तर्गत जिला पंचायत इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत ब्लास्टिंग कूप के निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच

श्री उदय भान करवरिया-

8-क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ के अन्तर्गत जिला पंचायत, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत ब्लास्टिंग कूप ग्राम देवरी बेनी, जूही रानीगंज एवं करिया कला का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यो ? क्या यह भी सही है कि ब्लास्टिंग कूप का निर्माण कागजी खानापूर्ति करके सम्पूर्ण धनराशि आहरित कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ में जिला पंचायत, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत ब्लास्टिंग कूप ग्राम देवरी बेनी, जूही, रानीगंज का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है । करिया कला का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

ब्लास्टिंग कूप ग्राम करिया कला का निर्माण कार्य दिनांक 30-6-03 को पूर्ण हुआ है ।

ब्लास्टिंग कूप ग्राम देवरी बेनी का निर्माण कार्य दिनांक 18-11-2004 को, जूही का दिनांक 4-10-2002 को जिला पंचायत द्वारा प्रारम्भ किया गया जो शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा । ग्राम रानीगंज के कूप निर्माण का कार्य क्षेत्र पंचायत, शंकरगढ़ द्वारा किया जा रहा है जो शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड भीटी मुख्यालय पर 33/11 के0बी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

श्री धर्मराज निषाद-

9-क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड भीटी

मुख्यालय पर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो इस उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इसे शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कड़सर के वर्तमान प्रधान द्वारा पोखरे के निर्माण में वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

श्री रामकरन आर्य-

10-क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कड़सर के वर्तमान प्रधान द्वारा पोखरे के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरहातेतरा में सम्मिलित राजस्व ग्राम कड़सर है, जिसमें प्रधान द्वारा पोखरे का निर्माण नहीं कराया गया है, बल्कि उक्त ग्राम पंचायत कुरहातेतरा के तेतरा मजरा में पोखरे का निर्माण हो रहा है, जिसमें वित्तीय अनियमितता की शिकायत नहीं मिली है । अत: जांच कराकर प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव के विद्युत वितरण खण्ड में डिवीजनल इंजीनियर द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं संबंधी शिकायती पत्र

श्री मुंशी लाल गौतम-

11-क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव में डिवीजनल इंजीनियर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री हृदय नारायण दीक्षित, प्रवक्ता/उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उ0प्र0 का शिकायती पत्र सं0-2670/2004, दिनांक 14-8-2004 प्रमुख सचिव (गृह) उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

प्रकरण की जाँच कराने हेतु महाप्रबन्धक वितरण लखनऊ क्षेत्र द्वारा दि0 18-11-2004 को दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है । जाँच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोंपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के वन निगम के अधिष्ठान स्केलरों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में पत्र

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

12-क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिष्ठान स्केलरों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु श्री निजाम खां के प्रकरण पर प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम/92041/03, दिनांक 26-12-03 प्रमुख सचिव, वन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री निजाम खाँ, अधिष्ठान स्केलर, उत्तर प्रदेश वन निगम को "आउट आफ टर्न" प्रोन्नति दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-12-2003 मुख्य मन्त्री कार्यालय के पंजीकरण संख्या-सी0एम0वि0को0/एम-1/92041/03, दिनांक 20-12-2003 के द्वारा प्रमुख सचिव, वन को दिनांक 22-12-2003 को प्राप्त हुआ था ।

उत्तर प्रदेश वन निगम सेवा नियमावली में "आउट आफ टर्न" पदोन्नति दिये जाने का कोई प्राविधान न होने के कारण श्री निजाम खाँ अधिष्ठान स्केलर को "आउट आफ टर्न" पदोन्नति नहीं दी जा सकी ।

उपरोक्तानुसार ।

जिला सेवा योजना की वरिष्ठता सूची में प्रोन्नति से वंचित लोगों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने की मांग

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

13-क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002 में 13 जिला सेवायोजन अधिकारियों को क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के रूप में प्रोन्नति की गयी थी ? क्या यह सही है कि वरिष्ठता सूची में क्रम सं0-126 पर अंकित व्यक्ति को छोड़कर उनसे कनिष्ठ लोगों की प्रोन्नति की गयी है? क्या सरकार प्रोन्नति से वंचित लोगों की प्रोन्नति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री डॉ0 वकार अहमद शाह-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

जिला सेवायोजन अधिकारियों से क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत का मापदण्ड श्रेष्ठता (मेरिट) है । क्रम सं0-126 पर अंकित अधिकारी लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित श्रेष्ठता के मापदण्ड की परिधि में नहीं आ सके, जिसके फलस्वरूप श्रेष्ठता के मापदण्ड की परिधि में आने वाले उनसे कनिष्ठ अधिकारियो की प्रोन्नति की गयी है

यदि उपलब्ध होने की दशा में श्रेष्ठता (मेरिट) के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण किये जाने पर पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, विकास खण्ड कुड़वारकी ग्राम सभा घुसियरिया के ग्राम प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

14-क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम सभा घुसियरिया, विकास खण्ड कुड़वार, जनपद-सुल्तानपुर ग्राम प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच जिला विकलांग अधिकारी एवं जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सुल्तानपुर व सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड से ग्राम प्रधान घुसियरिया द्वारा कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में प्रस्तुत उत्तर/स्पष्टीकरण का परीक्षण/जांच कराया जा रहा है ।

जी नहीं ।

परीक्षण/जांच की कार्यवाही प्रचलित है ।

जनपद बुलन्दशहर के सिनेमाघरों पर अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन की रोकथाम हेतु उपाय

श्री मुंशी लाल गौतम-

15-क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बुलन्दशहर के सिनेमाघरों पर अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं । अश्लील फिल्मों के जनपद बुलन्दशहर में प्रदर्शन का कोई मामला शासन के संज्ञान में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ईंट भट्ठा श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित किये जाने की मांग

श्री मुंशी लाल गौतम-

16-क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भट्ठा श्रमिकों से कराये जा रहे कार्यों की मजदूरी की कोई सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी हां।

ईंट भट्ठा के नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये अधिसूचना संख्या 1334/36-3-1044(एम0डब्लू0)/

75, दिनांक 08-8-1990 के अनुसार चौकीदार, बेलदार, फायरमैन आदि को मूल वेतन मंहगाई भत्ता को सम्मिलित करते हुये रू0 1653/-, मुनीम, लेखाकार एवं लिपिक को रू0 2352/- एवम् प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार एवम् प्रधान लिपिक को रू0 2903/- प्रतिमास की दर से निर्धारित है ।

इसके अतिरिक्त पथेरा, निकासी वाला, भराई वाला एवम् चुनाई वाले को पीस रेट के आधार पर मजदूरी भुगतान किये जाने का प्राविधान है । उक्त कार्यों की पीस रेट पर आधारित दरें सेवायोजक एवं श्रमिकों/श्रमिक संगठनों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर तय की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियंता, विद्युत पारेषण खण्ड द्वितीय, लखनऊ के विरूद्ध शिकायतों की जांच

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

17-क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियंता, विद्युत पारेषण खण्ड द्वितीय लखनऊ द्वारा ठेकेदारों को अनियमित रूप से लोहा आपूर्ति तथा की गयी अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 03-08-2004 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर जांचोपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 3-8-2004 जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन को सम्बोधित एवं प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित है प्राप्त हुआ है । शिकायत अधिशासी अभियंता विद्युत पारेषण खण्ड के विरूद्ध न होकर अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद पारेषण खण्ड द्वितीय के विरूद्ध है ।

शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच महाप्रबन्धक (जनपद) से कराई गयी । जाँच आख्या प्राप्त हो गयी है जो कि निगम स्तर पर परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुनीन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद पारेषण खण्ड-2 लखनऊ के विरूद्ध शिकायत की जाँच

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

18-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुनीन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद पारेषण खण्ड-2, लखनऊ के विरूद्ध प्रश्नकर्ता की लिखित शिकायत पर जांच प्रचलित है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता से श्री एस0के0 गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, विद्युत जनपद पारेषण मण्डल 132 के0वी0 उपकेन्द्र, मार्टिनपुरवा, लखनऊ द्वारा उनके पत्र दि0 05-11-04 द्वारा साक्ष्य मांगे गये थे जो प्रेषित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

जी हाँ ।

जाँच आख्या निगम स्तर पर परीक्षणाधीन है । परीक्षणोपरान्त दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत गौरा चौकी में स्वीकृत 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की मांग

श्री राम प्रताप सिंह-

19-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत गौरा चौकी में एक 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

उप केन्द्र के निर्माण के लिए उपर्युक्त भूमि तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव में मासिक विद्युत वसूली एवं बैंक में जमा धनराशि

श्री मुंशी लाल गौतम-

20-क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव में जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2004 तक अलग-अलग प्रतिमाह कितनी-कितनी धनराशि विद्युत बिलों के मद में जमा हुई है? उक्त अवधि में प्रतिमाह की अन्तिम तारीख तक जमा हुई धनराशि में से कितनी धनराशि प्रतिमाह की अन्तिम तारीख या अगले माह की पहली तारीख को बैंक में जमा कर दी गयी ? क्या उपरोक्त धनराशि प्रतिमाह बैंक में कई-कई दिनों बाद जमा की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गयी धनराशि को यथाशीघ्र बैंक में जमा न करने वाले दोषी कर्मियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव में जनवरी, 2002 से दिसम्बर 2004 तक अलग-अलग प्रतिमाह बिलों के मद में जमा धनराशि का विवरण माहवार संलग्न है ।

संलग्नक के अनुसार विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव में माह जनवरी, 2002 से जनवरी, 2005 तक राजस्व प्राप्ति की धनराशि बैंक में जमा की गई धनराशि का माहवार विवरण संलग्न है एवं इन 36 महीनों में केवल लगभग 6.18 लाख का अन्तर है । माह के अन्तिम दिनों में विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा

जमा की गई राजस्व लगभग 2 से 2.5 करोड़ रूपये होती है, जिसकी चेकिंग एवं जमा करने की प्रक्रिया में कुछ दिन अवश्य लगते हैं, जो कि व्यवहारिक प्रक्रिया है । इस प्रकार हर माह राजस्व प्राप्ति एवं बैंक में जमा धन का बहुत कम अन्तर ही है, जैसा संलग्न सूची *से स्पष्ट है ।

विद्युत वसूली में प्राप्त धनराशियाँ बैंक में जमा की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतनमान दिये जाने की माग

डॉ0 विनोद तिवारी-

21-क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों को अभी भी 1989 के तृतीय शुगर वेज बोर्ड की अनुशंसाओं के आधार पर वेतन दिया जा रहा है ? क्या सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियो को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतनमान दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 वकार अहमद शाह-

जी हां ।

जी नहीं ।

राज्य के निजी/सरकारी सहकारी क्षेत्र के समस्त वैक्युम पैन चीनी कारखानों के कार्मिकों को तृतीय शुगर वेज बोर्ड की संस्तुतियों के अनुसार वेतन तथा अन्य परिलब्धियाँ एवं अन्तरिम राहत अनुमन्य है । राज्य के चीनी उद्योग के कर्मचारियों के वेतन आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार करने हेतु एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था जिसकी संस्तुतियाँ शासन को प्राप्त हो गयी हैं । संस्तुतियों को लागू करने हेतु अधिसूचना शीघ्र निर्गत की जायेगी ।

उ0प्र0 जल विद्युत निगम, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद तथा स्वीकृत वेतनमान

श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया-

22-क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के कितने पद एवं किस वेतनमान में स्वीकृत हैं ? बिना पद स्वीकृत हुए कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का पत्र दिनांक 24-4-2004 जो कि उप सचिव (कार्मिक प्रशासन) उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि बिना स्वीकृत पद के कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर प्रोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कम्प्यूटर प्रोग्रामर

*देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 54 पर ।

का कोई पद स्वीकृत नहीं है । निदेशक मण्डल की 48वीं बैठक दिनांक 5-8-98 में लिए गये निर्णय के अनुसार मूल उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में कम्प्यूटर प्रोग्रामर का एक पद स्वीकृत है जिसका वेतनमान रू0 1940-2900 है ।

प्रश्न में सन्दर्भित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का पत्र दिनांक 24-4-04 नहीं बल्कि पत्र दिनांक 29-4-04 प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र कम्प्यूटर प्रोग्रामर के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में था जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा अस्वीकार किया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रथम भाग के अनुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों की सुविधा हेतु चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग

श्री आर0एस0 कुशवाहा-

23-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों की सुविधा हेतु तथा वन्य जीव संरक्षण हेतु, सरकार द्वारा पार्क क्षेत्र में चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती थी क्या वर्तमान में उक्त पार्क क्षेत्र में चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त राष्ट्रीय पार्क में पर्यटकों की सुविधा हेतु चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ । वर्ष 1996 तक लगभग 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति दुधवा नेशनल पार्क स्थित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र (क्षमता 1.5 एम0वी0ए0) से की जाती थी ।

जी नहीं । अब तहसील स्तर की विद्युत आपूर्ति 14 घण्टे की जा रही है ।

वर्तमान में विद्युत की उपलब्धता मांग के अनुरूप न होने के कारण 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करना संभव नहीं है ।

विद्युत की मांग ज्यादा है तथा उपलब्धता कम है ।

जनपद खीरी स्थित राष्ट्रीय दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों के ठहरने हेतु आवास बनाये जाने की मांग

श्री आर0एस0 कुशवाहा-

24-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी स्थित राष्ट्रीय दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों हेतु समुचित आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पर्यटकों के ठहरने हेतु आवास बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उदय भान करवरिया-

25- [चौथे गुरूवार के अता0 प्र0 सं0-138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में विद्युतीकरण हेतु चयनित कतिपय ग्रामों में विद्युत आपूर्ति की मांग

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

26-क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्राम चुलम्हा छिदुकरी, बुलाकीपुरवा इसरा पारा, विजयपुर में केवल तार खींचे गये हैं लेकिन विद्युत आपूर्ति अब तक नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में कब तक विद्युत आपूर्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोटा 2003-04 के चयनित 5 ग्रामों चुलम्हा, छिदुकरी, बुलाकीपुरवा, इसरा पारा, विजयपुर के ऊर्जीकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त 5 ग्रामों में खींचे गये विद्युत तारों में एच0वी0डी0एस0 प्रणाली के तहत 11 के0वी0 की विद्युत प्रवाहित कर परिवर्तक स्थापित कर दिया गया है । ग्राम बुलाकीपुरवा के कुल 4 उपभोक्ताओं के आवेदन पत्र विद्युत संयोजन अवमुक्त कर दिया गया है । अन्य ग्रामों में विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु जनता के बीच प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि इच्छुक ग्रामवासी विद्युत संयोजन प्राप्त कर लें ।

कार्य पूर्ण हो चुका है । ग्राम ऊर्जीकृत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय में उप निदेशक के रिक्त पदों पर तैनाती व पदोन्नति

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

27-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत विद्युत सुरक्षा निदेशालय में उप निदेशक के स्वीकृत 17 पदों में से 12 पद पिछले कई सालों से रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर कब तक तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन द्वारा दि0 26-10-2002 को विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों की संबंधित संहत अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो उप निदेशक के पद पर पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची का अन्तमीकरण शेष है । अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी है, जिसके सापेक्ष प्राप्त हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जा रहा है । वरिष्ठता सूची के अंतमीकृत होने पर उप निदेशक के रिक्त पदों को प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद-गाजीपुर के नगर पंचायत जगेपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराने जाने की मांग

श्री उमा शंकर कुशवाहा-

28-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में नगर पंचायत जगेपुर में विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत है, जिसके लिए जमीन भी ग्राम अरसदपुर में अधिग्रहीत कर ली गयी है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगर को 24 घन्टे बिजली आपूर्ति किये जाने की मांग

श्री संजीव दरियाबादी-

29-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कानपुर नगर को 24 घन्टे अबाध बिजली आपूर्ति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यथासंभव प्रयास किये जाते हैं परन्तु प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण संभव नहीं हो पाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान बेला सदा, विकास खण्ड भदैया एवं संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सभा निधियों में की गयी अनियमितता की जांच

कुवंर आर0पी0एन0 सिंह-

30-क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान बेला सदा, विकास खण्ड भदैया, जनपद सुल्तानपुर एवं संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सभा निधियों में की गयी अनियमितताओं की जांच आख्या प्राविधिक परीक्षक, मण्डलीय तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ फैजाबाद मण्डल द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2004 को जिलाधिकारी सुल्तानपुर को भेजी गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच में क्या अनियमितताएं पायी गयी ? क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी के विरूद्व कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां ।

जांच आख्या के आधार पर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को रू0 1,49,604/- के दुरूपयोग का दोषी पाया गया है ।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा ग्राम प्रधान बेला सदा, विकास खण्ड भदैया को दिनांक 24-12-2004 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है तथा जिला विकास अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को दिनांक 30-12-04 को आरोप पत्र निर्गत किया गया है । नोटिस का उत्तर देने के लिए दोषी व्यक्तियों द्वारा कतिपय अभिलेखों की मांग की गयी, जो प्रधान को उपलब्ध करा दिये गये हैं । उत्तर प्राप्त होने पर उनके विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर डिपो की कोराव से शक्तिनगर वाया बरौधा, लालगंज मिर्जापुर होकर बस सेवा संचालन न किये जाने के संबंध में पत्र

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

31-क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (मानवाधिकार फोरम) के महासचिव डा0 शशि भूषण दूबे "पथिक" लालगंज जिला मिर्जापुर का पत्र दि0 9 मार्च, 2004 एवं 18 अप्रैल, 2004 तथा दि0 27 मई, 2004 जो मिर्जापुर डिपो की कोराव से शक्ति नगर वाया बरौधा, लालगंज मिर्जापुर होकर बस सेवा संचालन न किये जाने के संबंध में उ0प्र0 रा0स0प0नि0 के क्षेत्रीय प्रबन्धक (इलाहाबाद)/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक मिर्जापुर डिपो को अलग-अलग प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्रश्नगत-पत्रों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

डा0 सुशील चौधरी-

32- [दिनांक 25-2-2005 को तारा0 प्र0सं0 5 द्वारा उत्तरित]

जनपद-बरेली के फतेहगंज पूर्वी में स्वीकृत बिजली घर का कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

डा0 सियाराम सागर, श्री राम विशुन आजाद, श्री बैजनाथ पासवान, श्री अनिल सिंह तथा श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार-

33-क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली में बिजली घर स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

उक्त कार्य हेतु प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है । उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निविदायें खुल चुकी हैं । सामग्री का प्रबन्ध किया जा रहा है । यह कार्य दिसम्बर, 2005 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर सुल्तानपुर के चयनित गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

34-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा संचालित शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में जनपद-सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर सुल्तानपुर के किन-किन गांवों का चयन किया गया है ? उक्त चयनित गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

चयनित ग्रामों की **सूची संलग्न*** है ।

अगले तीन से चार वर्षों में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत के ग्राम-पिपरा-मुन्जपता का विद्युतीकरण

डा0 विनोद तिवारी-

35-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपखण्ड अधिकारी-तृतीय पूरनपुर जि0 पीलीभीत द्वारा दिनांक 23-8-2004 को ग्राम-पिपरा मुन्जपता के विद्युत संतृप्तीकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी चतुर्थ विद्युत वितरण उपखण्ड खुटार जनपद-शाहजहांपुर जिसकी प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहांपुर को प्रेषित की गयी, प्राप्त हुई है? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम पिपरा-मुन्जपता का विद्युतीकरण मई 97-98 में अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत किया गया था प्राक्कलन के अनुसार 2.05 कि0मी0 11 के0वी0 लाइन एवं 1.32 कि0मी0 एल0टी0 लाइन एवं एक अदद 25 के0वी0ए0 परिवर्तक लगाये जाने का प्राविधान रखा गया था। संबन्धित खण्ड में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 1.05 कि0मी0 11 के0वी0 लाइन एवं 1.62 कि0मी0 एल0टी0 लाइन का निर्माण किया गया था एवं एक 25के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाया गया था। माह 6/2000 में आई ऑधी तूफान के कारण संबंधित एल0टी0 लाइन एवं प्रश्नगत परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो गया । उक्त ग्राम में कोई वैध विद्युत कनेक्शन नहीं है, अत: विद्युत आपूर्ति चालू नहीं कराई गई । पर्याप्त संख्या में नये कनेक्शन के आवेदन मिलने पर उक्त ग्राम की आपूर्ति पुन: ठीक करा दी जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

---

*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 96 पर ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये पाँच अतिरिक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु की गयी कार्यवाही

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए पाँच अतिरिक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0 को0/एम092325/03एवं 92345 दिनांक 24-12-03 जो प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन को भेजा गया है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या उसका अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि मा0 विधायक द्वारा इंगित पांच ग्रामों की सूची में वास्तव में 9 ग्राम हैं जिनमें से सात ग्राम पूर्व में ही विद्युतीकृत है। रामगंज का शेष विद्युतीकरण के लिये पूर्वांचल विकास निधि से धन प्राप्त हो गया है जिसका विद्युतीकरण शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। रोपुर का विद्युतीकरण शतप्रतिशत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसे शीघ्र विद्युतीकृत कर दिया जायेगा।

जी हाँ। अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृक्षारोपण के लिये निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की कार्य योजना

37-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004 में प्रदेश में कराया गया वृक्षारोपण मे जीवित वृक्षों का प्रतिशत क्या है? क्या उनमें से 80 प्रतिशत से अधिक पेड़ जीवित नहीं रहे? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसके समाधान के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्य योजना बनायेंगे? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 2004 में प्रदेश में वन विभाग उ0 प्र0 द्वारा कराये गये वृक्षारोपण की औसत सफलता प्रतिशत 80 से अधिक है।

उपरोक्तानुसार।

आवश्यकता नहीं है। संयुक्त वन प्रबन्ध के अन्तर्गत स्थानीय ग्रामीणों की वन प्रबन्धन में व्यापक सहभागिता लिये जाने का प्राविधान है।

आवश्यकता नहीं है, उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां के कतिपय ग्रामों में वर्षों से बाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग

श्री रामपाल वर्मा-

38-क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां के ग्राम कल्यानमल, परकापुर गोबरहा, लोधौरा, रामगढ़ में विद्युत आपूर्ति कई वर्षों से बाधित है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या उक्त ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

ग्राम पिरकापुर एवं गोबरहा की आपूर्ति माह 11/2003 से आंधी तूफान से लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द है । इन दोनों ग्रामों में कोई भी वैध विद्युत संयोजन नहीं है । ग्राम कल्यानमल की विद्युत आपूर्ति विगत 5 वर्षों से लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द हैं । ग्राम में कोई भी वै. संयोजन नहीं है। ऐसी दशा में आपूर्ति बहाल करना निगम के हित में नहीं होगा । ग्राम रामगढ़ में मात्र 4 संयोजन पंखा एवं बत्ती के संयोजित हैं । जिन पर निगम की निम्न धनराशि बकाया है :-

1-श्री पुत्तन लाल-3901/-

2-श्री रवीन्द्र कुमार-6405/-

3-श्री धीरेन्द्र प्रताप-6405-

4-श्री कन्हई-3510/- जमा कर पी0डी0

वर्णित 5 ग्रामों में कोई भी वैध कनेक्शन नहीं है । विद्युत आपूर्ति बहाल करना निगम के हित में नहीं है । यदि वैध कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता तैयार हो जायें तो विद्युत आपूर्ति बहाल करा दी जायेगी। रामगढ़ के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया जमा करने तथा अन्य ग्रामों में वैध संयोजन लेने पर आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में काटे गये विद्युत तारों को जोड़े जाने की मांग

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

39-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद झांसी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों द्वारा विद्युत लाईन काट लेने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं ? यदि हां, तो विद्युत तार चोरों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा कटे हुए तारों को जोड़ने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

विद्युत तार चोरी की प्राथिमिकी संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज करायी गयी है । चोरी गये समान का प्राक्कलन बनाकर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके पुन: तारों को लगाया जायेगा ।

उक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर के ग्रामों में विद्युत प्रणाली सुधार कार्य हेतु विधायक निधि से धन उपलब्धता का प्रस्ताव देकर कार्यों को पूरा किये जाने की मांग

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

40-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों मे विद्युत प्रणाली सुधार हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा विधायक निधि से प्रस्ताव देकर विभाग को धन उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब के दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

दिये गये कुल 16 कार्यों में से 4 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं ।

8 कार्यों का पैसा माह फरवरी, 2005 में प्राप्त हुआ है । कुल अवशेष 12 नग कार्यों हेतु सामग्री भण्डार खण्ड से उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, ग्राम-पड़री विकास खण्ड संडीला के ग्राम सभा निधि द्वारा विकास कार्यों में की गयी अनियमिततायें एवं धांधली के संबंध में शिकायत

41-श्री सुखदेव राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-पड़री विकास खंड-सण्डीला, जनपद-हरदोई के ग्राम सभा निधि द्वारा विकास कार्यो में की गयी अनियमितताओं एवं धांधली के संबंध में जिलाधिकारी हरदोई को दिनांक 8-11-04 तथा 4-1-2005 को शिकायती पत्र मिला है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम यादव-

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 4-1-05 का पत्र जिलाधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ है । जांच नियमावली के अंतर्गत कराई गई प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया दोष परिलक्षित होने पर ग्राम प्रधान व संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

जनपद हरदोई के ग्राम-प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का दुरुपयोग किये जाने की जांच

42-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अर्न्तगत दी गयी धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में वर्ष 2003 में जिलाधिकारी

हरदोई द्वारा जांच करायी गयी थी ? क्या उसमें रु0 67000/- की धनराशि का दुरुपयोग किये जाने का मामला प्रकाश में आने पर रिकवरी के आदेश दिये गये थे ? क्या यह सही है कि इस पर उक्त ग्राम प्रधान द्वारा स्टे प्राप्त कर लिया गया है ? क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरण को न्यायालय से स्टे वैकेट कराने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच से रु0 67,561.00 की अनियमितता प्रकाश में आने पर प्रधान को नियमानुसार कारण बताओं नोटिस दी गई थी तथा उनसे कोई उत्तर न मिलने के कारण जिलाधिकारी, हरदोई के आदेश दिनांक 30-4-03 द्वारा प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हुए नियमानुसार त्रिसदस्सीय समिति गठित कर दी गई थी, जिसके विरूद्ध प्रधान द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

जी हां ।

मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में प्रति शपथ पत्र तथा स्थगन आदेश को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर की ग्राम पंचायत गोगावां जोत की अवमुक्त की गयी धनराशि

43-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर की ग्राम पंचायत गोगावां जोत के ग्राम प्रधान को 2003-2004 तथा 2004-05 में जवाहर रोजगार योजना राज्य वित्त व दशम् वित्त से कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम प्रधान द्वारा उक्त वर्षों में प्राप्त धनराशि से अब तक कोई कार्य न कराकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम पंचायत गोगावां जोत को वर्ष 2003-04 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से रु0 173592.00, राज्य वित्त आयोग से रु0 74442.00 व ग्यारहवां वित्त आयोग से रु0 24886.00 तथा वर्ष 2004-05 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से रु0 117810.00, राज्य वित्त आयोग से रु0 36054.00 व ग्यारहवां वित्त आयोग से रुपया 13220.00 अवमुक्त किया गया है ।

जी नहीं, उक्त धनराशि के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं मिली है । अत: जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक के कतिपय न्याय पंचायतों में लगे खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

44-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के भावलखेड़ा, ब्लाक की

न्याय पंचायत पैना, शाहगंज, भावलखेड़ा, जमुही, रौसर, कनेंग, वरमौला अर्जनपुर के कितने इण्डिया मार्का-2 नल खराब हैं ? उक्त खराब नलों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड भावलखेड़ा की न्याय पंचायतों में कुल 9 नग हैण्डपम्प स्थायी रूप से तथा 24 नग हैण्डपम्प अस्थायी रूप से खराब हैं, जिन्हें एक महीने में ठीक करा दिया जायेगा ।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामकृष्ण जैसवार के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम कृष्ण जैसवार का 08 अप्रैल, 1998 को निधन हो गया, वे लगभग 74 वर्ष के थे । श्री राम कृष्ण जैसवार का जन्म वर्ष 1924 में ग्राम नुआंव, जिला मिर्जापुर में हुआ था । वह सर्वप्रथम वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर (दक्षिण), जिला मिर्जापुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, तत्पश्चात् वे वर्ष 1957 में मिर्जापुर के कान्तित निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे ।

श्री राम कृष्ण जैसवार अध्यक्ष, जिला दलित वर्ग संघ, सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी तथा मन्त्री, नगर कांग्रेस कमेटी रह चुके थे । वे कुश्ती में प्रवीण थे तथा मुगदर का उन्हें शौक था ।

श्री राम कृष्ण जैसवार के निधन से जिला मिर्जापुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया वह सब अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हो जाएं ।

(सदन में सभी सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप सब लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं ।

निधन के निर्देश की सूचना सात वर्ष बाद आने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण

श्री लाल जी टण्डन (नेता विरोधी दल)-

मान्यवर, यह बहुत विचारणीय विषय है कि सात साल लग गए इस सूचना को यहां तक आने में।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ करूंगा, इसके विलम्ब से आने के कारणों की जांच करके जो उचित होगा वह कार्यवाही की जाएगी ।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं-

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों के साथ-साथ पिछड़े वर्ग एवं दलित वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृति दिये जाने के संबंध में है ।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जिला मलेरिया नियंत्रण एवं फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति में नियुक्ति के दिनांक को आधार मान कर प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री बीजू पटनायक की वाराणसी की ग्राम सभा सुगुलपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन फर्जी प्रस्ताव पर किये जाने की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री राम किशन की चंदौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों के गंदे पानी की निकासी हेतु सर्वे कराकर व्यवस्था कराने के संबंध में है

पांचवी सूचना श्री रणवीर राणा की मेरठ के सिवाल खास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नन्दपुरा को जनधन हानि से बचाने के लिए मकानों के ऊपर से विद्युत तारों को स्थानांतरित करवाने के संबंध में है ।

छठी सूचना श्री काशीराम की है । यह सदन में अनुपस्थित हैं ।

(उनकी सूचना नहीं ली गयी ।)

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं, उनके नाम इस प्रकार हैं -

1-श्री विद्यासागर गुप्त 2-श्री शिशुपाल सिंह यादव 3-श्री रामकरन आर्य ।

(उपस्थित सभी सदस्यों की स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों के साथ पिछड़े एवं दलित वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृति दिये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद कुमार-

[प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-668/52-3-97-14(22)/95, दिनांक 15-4-1997 द्वारा उन छात्रों को छात्रवृति देने का प्राविधान किया है जिनके अभिभावकों की आय 25,546/- रूपये वार्षिक होगी तथा मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा ही मान्यता प्रदान की जायेगी, जबकि पिछड़ा वर्ग विभाग से उसी स्तर की कक्षाओं के छात्रों के लिये कोई भी आय सीमा उनके अभिभावकों के लिये नहीं रखी गयी है । चूकि मदरसों को मान्यता अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दिया जाना है । अत: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ेगा जबकि पिछड़ा वर्ग विभाग से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है ।

अल्पसंख्यक विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की योजना मात्र इण्टरमीडिएट तक के छात्रों के लिये है जबकि पिछड़ा वर्ग विभाग से सभी स्तर के छात्रों यथा स्नातक एवं परास्नातक तक को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है । चूँकि मदरसों में अध्ययनरत अल्पसंख्यकों के छात्रों को तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग छात्रवृत्ति दे रहा है किन्तु इन्हीं मदरसों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग के छात्रों को

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

छात्रवृत्ति कहां से मिलेगी ? इस प्रकार के दोहरे मापदण्ड से बच्चों एवं अभिभावकों में चिन्ता एवं रोष व्याप्त है तथा छात्रों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ ।]

जिला मलेरिया नियंत्रण एवं फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति में नियुक्ति के दिनांक को आधार मानकर प्रोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[महोदय, मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं अपर निदेशक, मलेरिया, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा वैक्टर जनित रोग कार्यक्रम का गठन किया गया है जिसमें डेंगू, कालाजार, मलेरिया एवं फाइलेरिया तथा इंसेफेलाइटिस रोगों के प्रभावी रोकथाम के लिए सम्मिलित रणनीति अपनाये जाने की व्यवस्था है । यह विदित है कि डेंगू, कालाजार तथा इन्सेफेलाइटिस रोगों के नियंत्रण हेतु अलग से कोई व्यवस्था नहीं है तथा मलेरिया एवं फाइलेरिया रोगों के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय मलेरिया एवं राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इन दोनों राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग सेवा संवर्ग गठित है और इनके कार्यक्षेत्र भी भिन्न-भिन्न हैं । जिला मलेरिया नियंत्रण एवं फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आक्रोश है क्योंकि उनके प्रोन्नति में अनियमिततायें बरती जा रही है । फाइलेरिया निरीक्षकों को उनकी नियुक्ति के दिनांक को आधार मानकर प्रोन्नति प्रदान की जाय जिससे वे सेवा में अपने से कनिष्ठ किसी कर्मी के अधीन न हो सकें । फाइलेरिया नियत्रंण अधिकारी व बायलोजिस्ट जहां पर कार्यरत नहीं है उन जिलों में 24 वर्ष की सेवा कर चुके फाइलेरिया निरीक्षकों को जिला वैक्टर जनित रोग नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव एवं जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर विचार किया जाय । फाइलेरिया निरीक्षकों की दीर्घ सेवा अवधि को देखते हुए उनके साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाना चाहिए ।

अत: इस योग्यहित के अबिलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

वाराणसी की ग्राम सभा सुगुलपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आंवटन फर्जी प्रस्ताव पर किये जाने की जांच कराकर दोषीजनों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीजू पटनायक-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि ग्राम सभा सुगुलपुर, विकास खण्ड चोलापुर, जनपद वाराणासी के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का फर्जी प्रस्ताव पर किये गये आवंटन को निरस्त करने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों दिलाना चाहता हूं । जिसमें ग्राम प्रधान शिवचरन सिंह चौहान पुत्र राधे सिंह चौहान

नोट:-[ ]यह अंश पढा हुआ माना गया ।

द्वारा फर्जी तरीके से अपने सगे भाई रविकान्त सिंह चौहान पुत्र राधे सिंह के नाम से प्रस्ताव बनाकर दुकान का आवंटन कराया गया है । उप जिलाधिकारी, सदर, वाराणसी के निर्देश के क्रम में कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, चोलापुर पत्रांक सं0 : 2377 दिनांक 12-01-05 को प्रस्ताव हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि दुकान के चयन हेतु खुली बैठक बुलाकर प्रस्ताव अविलम्ब कार्यालय में प्रस्तुत करें । जिसमें खुली बैठक के माध्यम से प्रस्ताव बनाने की मांग की गयी थी। दिनांक 1-02-05 को जिला पूर्ति कार्यालय एवं खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पर एक आवेदन किया गया कि ए0डी0ओ0 पंचायत लालचवश या ग्राम प्रधान के प्रभाव में आकर बिना खुली बैठक के प्रधान के किसी खास व्यक्ति के नाम से प्रस्ताव देना चाहते हैं । ग्राम वासी द्वारा निवेदन है कि उक्त ग्राम प्रधान के सगे भाई रविकान्त सिंह चौहान के नाम से आवंटित सस्ते गल्ले की दुकान को निरस्त करते हुए किसी सक्षम अधिकारी से जांच करवाकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत करने की कृपा करें ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से वक्तव्य कराये जाने की मांग करता हूँ और दोषी व्यक्तियों के प्रति कानूनी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो सके ।]

चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों के गन्दे पानी की निकासी हेतु सर्वे कराकर व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम किशन-

[महोदय, आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देते हुए निवेदन करना है कि मेरे विधान सभा मुगलसराय के अन्तर्गत जी0पी0 रोड स्थित पड़ाव के आस-पास बहादुर पुर, सूजाबाद मढ़िया जलीलपुर, चौरहट, सेमरा और करेसर आदि दर्जनों गांवों की आबादी लगातार तीव्र गति से बढ़ती जा रही है । वाराणसी शहर के पास होने के कारण तथा पड़ाव पर ट्रान्सपोर्ट का कारोबार होने के कारण आबादी बढ़ती जा रही है । जिसके कारण इन गांवों के पानी निकासी का गम्भीर संकट पैदा हो गया है । गन्दे पानी की निकासी न होने के कारण संक्रामक रोग फैल रहे हैं । जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । जबकि निकासी की व्यवस्था लोक महत्व का विषय है ।

अत: इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त गाँवों की जल निकासी हेतु सर्वे कराकर धन देकर कार्य करायें।]

मेरठ के सिवाल खास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नन्दपुरा को जनधन हानि से बचाने के लिये मकानों के ऊपर से विद्युत तारों को स्थानांतरित करवाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणवीर राणा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नन्दपुरा सन् 1978 में आयी भयंकर बाढ़ में उजड़ गया था । हन्द नदी के तट से फिर यह ग्राम वहां से एक किलोमीटर दूर खाली पड़ी भूमि पर बस गया इस प्राकृतिक प्रकोप से ग्रामवासियों ने भारी जन एवं जनहानि धन हानि उठायी । मान्यवर, उस भूमि के ऊपर

नोट:-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बड़े-बड़े विद्युत तार एच0टी0 वाले गुजरते थे और बाद में भी इनकी संख्या बढ़ा दी गयी अब ग्रामवासियों के मकानों की छतों के ऊपर विद्युत तार आये दिन टूटते रहते हैं जिससे काफी जनहानि और पशुधन हानि होती रहती है जिससे ग्रामवासी बहुत ही पीड़ित रहते हैं ।

मान्यवर, ग्रामवासियों ने इस आपदा के लिये भारी प्रयत्न किये लेकिन वे इन विद्युत तारों को अन्य मार्गों पर स्थानान्तरित कराने में असफल रहे चूँकि ग्रामवासी इनका खर्च उठाने में असमर्थ हैं ऐसी ही परेशानी मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डूडा हेडा ऊर्फ ढिलोरा में भी है ।

अत: मान्यवर, मेरी आपसे कृपापूर्वक निवेदन है कि उक्त गांवों को जनहानि, पशुहानि एवं अन्य आर्थिक होने वाली हानियों से बचाने हेतु विद्युत तारों को स्थानान्तरित कराने के लिये शासन को सूचित एवं आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार व श्री राम नरेश यादव की सदन में की गई घोषणा के बावजूद प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के 10-10 गावों का विद्युतीकरण न कराये जाने के संबंध में यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है अत: अग्राह्य की गयी है । दूसरी सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की राज्य महिला आयोग के गठन हेतु बनाये गये अधिनियम में निहित उपबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में है, यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं अत: अग्राह्य की गई है । तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की दिनांक 14 मार्च, 2005 को सदन में अनुपस्थित सदस्यों के विरूद्ध की गयी टिप्पणी के संबंध में है, इस पर हम 22 तारीख को सुन लेंगे ।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (सातवां संशोधन) नियमावली-2005*

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मो0 आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (सातवां संशोधन) नियमावली-2005 को भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-31(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

नोट:-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट:- *छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग, विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 14 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मैं अब कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देता हूँ ।

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 मार्च, 2005 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के दिनांक 18 मार्च, 2005 से 29 मार्च तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखा जाय:-

मार्च, 2005

18 शुक्रवार 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005-(आधा घण्टा),

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005-(आधा घण्टा),

(ग) उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005-(आधा-घण्टा),

2-श्री श्यामदेव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद लखनऊ में नकली दवायें बेचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में" दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

3-डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिये एक सुनिश्चित एवं समयबद्ध योजना बनायी जाय" ।

4-असरकारी दिवस (आधा दिन) ।

19 शनिवार 20 रविवार 21सोमवार	}	बैठक नहीं होगी ।
22 मंगलवार		1-असरकारी दिवस (आधा दिन) । 2-विधायी कार्य ।
23 बुधवार	....	बैठक होगी ।
24 गुरूवार	....	बैठक नहीं होगी ।

मार्च, 2005

25 शुक्रवार 26 शनिवार 27 रविवार	}	बैठक नहीं होगी (होली का अवकाश) ।
28 सोमवार	....	बैठक नहीं होगी ।
29 मंगलवार	....	विधायी कार्य ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मन्त्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना के संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 मार्च, 2005 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु

सुना जायेगा । पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार और श्री राम नरेश यादव की है जो ग्रामीण विकास विभाग को केन्द्र सरकार से मिलने वाले 117 करोड रूपये से प्रदेश को वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यही सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की है, दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली सेवाओं की चयन प्रक्रिया में विलम्ब करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तीसरी सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत स्थित शारदा नदी की कटान से गाँवों को बचाने हेतु तटबन्धों का निर्माण किये जाने के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा । चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की राजधानी लखनऊ में बावरिया गिरोह के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा । पांचवी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है । लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में हो रही नकल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर ध्यान आकृष्ट किया जायेगा । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुई । श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी की, इसी विषय पर दिनांक 15-3-2005 को नियम-51 में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जा चुका है । श्री धर्मपाल सिंह, श्री कौशल किशोर व श्री संजीव दरियाबादी की भी सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं ।

***श्री प्रमोद कुमार-**

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विकास में अवरोध न हो और किसी की लापरवाही और कमी से उत्तर प्रदेश की एक बड़ी धनराशि जो 117 करोड़ रूपये की है, उससे वंचित न होना पड़े, इसके लिए मैं कार्यस्थगन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

मान्यवर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है कि अगर उस अवधि के अन्तर्गत तीन महत्वपूर्ण योजनाओं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना के लिए 117 करोड़ रूपये जो दिये गये हैं और जो उसके निश्चित मानक हैं अगर उनको पूरा नहीं किया गया तो वह पैसा अधर में लटक जायेगा । मान्यवर, इसमें जो कारण बताये गये हैं वह तीन कारण हैं कि जो धन दिया गया है उसका सदुपयोग नहीं किया गया है । दूसरे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवंटन हुआ था उसका उपयोग नहीं किया गया है, तीसरे जो अंशदान प्रदेश सरकार को देना था वह नहीं दिया है । इसलिए हमें उस 117 करोड़ रूपये की धनराशि से वंचित होना पड़ रहा है । मान्यवर, मेरी चिन्ता यही तक सीमित नहीं है अगर यह कटौती इस बार हो गयी तो अगली बार जो भी निर्धारण होगा वह 117 करोड़ रूपये कम हो जायेगा और फिर यह अनवरत् रूप से कटौती होती रहेगी । तो मान्यवर, मेरा कहना है कि जो अंशदान राज्य सरकार को देना है वह मांग वह पूरी कर दे और इसका समय से उपयोग होना चाहिए। मान्यवर, अगर हम इतनी बड़ी धनराशि से वंचित हो गये तो प्रदेश के विकास का बहुत सा काम रूक जायेगा । मान्यवर, दो सप्ताह का समय बहुत होता है और इसका उपयोग हो जाना चाहिए अगर उपयोग नहीं हुआ तो यह प्रदेश के हित में नहीं होगा । मान्यवर, मेरा आग्रह है कि 117 करोड़ रूपये जो भारत सरकार देने के लिए तैयार हे उसको हम समय से खर्च नहीं कर पा रहे हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए खर्च नहीं कर पा रहे हैं । तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए और दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और मानक जो है उनको पूरा करके तत्काल भारत सरकार को सूचित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

करना चाहिए । मान्यवर, यह लोक महत्व का है और अविलम्बनीय है अत: मैं मांग करता हूँ कि इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

***श्री राम नरेश यादव-**

मान्यवर, यह जिस महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने नियम 56 में रखकर सदन का ध्यान आकर्षत किया है और यह भी कहा है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय । यह बहुत महत्वपूर्ण है । विकास की चिन्ता सदन में बैठकर हम सभी लोगों की है। जब केन्द्र सरकार की तरफ से उस धनराशि की कटौती होगी, कमी आयेगी तो उसका प्रभाव विकास पर पड़ेगा विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यह धनराशि दी है । केवल इतना ही नहीं है 117 करोड़ बल्कि यह भी चिन्ता है कि भविष्य में केन्द्र सरकार जब कटौती कर देगी तो और भी विकास के कामों में जो प्रयास करते हैं वह मुमकिन नहीं हो पायेंगे । इसलिये इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि वह इस बात की व्यवस्था करें कि जो भी केन्द्र सरकार ने पत्र भेजा है, जो मांगा है उसके उत्तर में वह व्यवस्था करें । इधर 117 करोड़ रूपये मिल जायें और भविष्य में जो मिलने वाला है वह कटौती न हो । इसलिए मेरी मांग है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री मुन्शी लाल गौतम-

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि नियम 56 की ग्राह्यता पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया । 117 करोड़ की कटौती की जो बात है वह इस कारण है कि इसमें लापरवाही अधिकारियों कर्मचारियों की रहती है । इसमें मुख्य तौर पर स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना का 43.35 करोड़ और इंदिरा आवास योजना का 57 करोड़, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का 12.21 करोड़ रूपये की कटौती की जा रही है । इस तरह से यह कटौती जो की जा रही है वह इसलिए कि पिछले वर्ष के धन का सदुपयोग नहीं किया गया है । इसमें 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर खर्च होगा उनके व्यक्तिगत लाभ हेतु खर्च किया जाना है, एस0जी0आर0वाई0, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के अन्तर्गत यह पैसा व्यक्तिगत इनके आवास बनवाने, ट्यूबवेल लगवाने, दुकान निर्माण कराने या भूमि का समतलीकरण कराने आदि विकास कार्यों पर यह सारा 22.5 प्रतिशत में निहित है । यह अनुसूचित जाति जनजाति पर खर्च होगा लेकिन खर्च नहीं किया गया । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री के कारण कहीं राजनीतिक द्वेष भावना के कारण तो नहीं इस वर्ग का अहित हो रहा है । मैं कहना चाहता हूँ कि यह पैसा तो सम्पूर्ण प्रदेश का है । यह तो सम्पूर्ण दलित, शोषित, पीड़ित, गांव गरीब, किसान, मजदूर, का है । पैसा अगर आयेगा तो हरेक हाथ को काम मिलेगा, इसलिए यह जरूरी है कि पैसा आये । आज इस लोकमहत्व के प्रश्न को हमने यहां उठाया है। मैं आपके माध्यम से सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग करता हूँ ।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मो0 आजम खाँ)-**

मान्यवर, सरकार इसको दिखवायेगी और गम्भीरता से लेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, माननीय यादव जी और माननीय गौतम जी को सुना, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि इसको सरकार दिखवायेगी । मैं भी इस पर सरकार से आग्रह करूंगा, ध्यान आकृष्ट भी करूंगा और इसको गम्भीरता से दिखवायें ।

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिससे प्रदेश के सारे विभाग जुड़े हैं और जिसका प्रभाव सीधे जनता पर पड़ता हो, उस पर नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर उस विषय को रखने का आपने अवसर दिया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है । उत्तर प्रदेश में अधिकांश विभागों के पदों पर काम करने वालों का चयन करने का अधिकार लोक सेवा आयोग को है चाहे चिकित्सक हों, पशु चिकित्सक हों, कल ड्राप्सी पर बात आई थी कि जन विश्लेषक की कमी है, सरकारी अध्यापक हैं, सरकारी इंटर कालेज, सरकारी डिग्री कालेज, एजूकेशन सर्विसेज, पीसीएस, पीसीएस जे, एलाइड सर्विसेज और सरकार के अन्य सभी विभागों में हजारों पद प्रत्येक विभाग में रिक्त पड़े हैं । मैं केवल गवर्नमेन्ट इंटर कालेज के रिक्त पदों के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट के 1500 पद एलटी के खाली हैं, 2000 प्रवक्ता के पद और 641 प्रिन्सपल के पद खाली हैं माध्यमिक कालेजों में । कल आपके सामने जनविश्लेषक का मामला आया था कि 148 पद खाली हैं । इसी तरह से डिग्री कालेजों में, मेडिकल कालेज में, आयुर्वेदिक कालेज में खाली हैं, होम्योपैथिक कालेजों में खाली हैं, और बिना शिक्षक के छात्र पढ़कर जा रहे हैं । कहीं भूगोल का अध्यापक नहीं है, कहीं विज्ञान का अध्यापक नहीं हैं, केवल किताबों से पढ़कर छात्र परीक्षा पास होकर जा रहे हैं । मेरा नियम-56 के माध्यम से इस लोक कल्याणकारी सरकार के सामने इस विषय को रखने का मकसद यह है कि वह यह देखे कि लोक सेवा आयोग के सामने क्या कठिनाई है ? जिस कारण समय से चयन नहीं हो पा रहा है ?

मेरे पास सर्वाधिक पुराना प्रकरण है, जो 1995 के अधियाचन का है । शासन के विभाग द्वारा 1995 में अधियाचन भेजा गया, जिसका विज्ञापन भी हो गया, इसमें कोई न्यायालय का स्टे भी नहीं है, इसके बावजूद आगे की चयन प्रक्रिया नहीं हो पा रही है । मेरा निवेदन है कि अगर इस प्रकार चयन प्रक्रिया बाधित रहेगी तो स्वीकृत पद रिक्त रह जायेगें, जिससे विभागों में कार्य करने की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है, स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित हो रही हैं और जनविश्लेषकों की नियुक्ति न होने से तमाम नमूनों की जॉचें नहीं हो पा रही हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा हे । मैं पुन: इस विषय के माध्यम से इस सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि आखिर सरकार यह देखे कि लोक सेवा आयोग के आगे क्या समस्या है ? ओवरलोडिंग तो नहीं है ? स्टाफ की कमी तो नहीं है ? मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कुछ पदों को उनके परव्यू से बाहर निकालकर, जैसी चिकित्सकों को संविदा पर भर्ती करने का सरकार ने निर्णय लिया है, उसी प्रकार अन्य पदों के संबंध में सरकार निर्णय लेकर उनको भरे । जिस प्रकार मेडिकल कालेजों में टिक्कू कमेटी की संस्तुति के आधार पर पदों को भरने का काम हुआ है, क्या उसी प्रकार अन्य जगहों पर पदों को भरा जायेगा ? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें ताकि यह बात सामने आ जाये कि लोक सेवा आयोग के सामने क्या

कठिनाई है ? इसमें सरकार क्या कर सकती है ? जिससे समस्या का निदान हो सके । साथ ही इस सदन के माध्यम से जनता के भी सामने आ जायेगा, इसलिये मैं आपसे इस पर चर्चा कराने की माँग करता हूँ ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह सही है कि सभी विभागों में बहुत से स्थान रिक्त थे और रिक्त हैं । लेकिन मौजूद सरकार ने इन स्थानों को भरने की शुरूआत की है और बड़े पैमाने पर भर्तियां हुयी हैं । जो हमारे डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने विषय उठाया है, इसका सरकार संज्ञान लेगी और देखेगी कि क्या हो सकता है ? यह विषय नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये इसे निरस्त किया जाय ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं कोई रिबट नहीं कर रहा हूँ । मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार ने भर्ती की है । मेरा यह कहना है कि जैसे चिकित्सकों को संविदा के आधार पर भर्ती किया है तो सरकार और मामलों में भी इसी प्रकार निर्णय लेकर भर्ती करने का काम करें ताकि रिक्त पदों के कारण जो स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित हो रही हैं, अध्यापन सेवायें प्रभावित हो रही हैं, न्यायिक सेवायें प्रभावित हो रही हैं, उनका भी काम चलता रहे, इसलिये सरकार इस पर विचार कर ले । साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह संवैधानिक संस्था डिफंक्ट होती जा रही है, इसलिये मैं चाहता हूँ कि कृपा करके इसका संज्ञान ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिये उसके संबंध में बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिये ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अभिभाचन भेज दिये जाते हैं, और नियुक्तियों में विलम्ब होता है । हम आयोग के बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । यह सही है कि यह संवैधानिक संस्था है, इसीलिये हम आयोग के बजट पर विवाद नहीं करते । लेकिन आयोग की किसी कठिनाई के कारण हमारे प्रदेश की चिकित्सा सेवायें प्रभावित हो रही हैं, डिग्री कालेजों, इण्टर कालेजों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है । हमारे प्रदेश के सरकारी विभागों से जनता के जो काम होते हैं, वह प्रभावित हो रहे हैं । आपके सचिवालय में भी पद रिक्त पड़े हैं । मेरा निवेदन है कि सरकार यह देख लें कि लोक सेवा आयोग के सामने क्या कठिनाई है, उसका सरलीकरण हो जाय ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

तीसरी सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत स्थित शारदा नदी की कटान से गाँवो को बचाने हेतु तटबंधों का निर्माण किये जाने के संबंध में है, उस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है, इसके बाद श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की सूचना राजधानी लखनऊ में बावरिया गिरोह के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसमें कानून-व्यवस्था की चर्चा लगी हुई है, उसमें अपनी बात कह लेंगे, मैं इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ । अगली सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में हो रही नकल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह जरूरी विषय है, इसमें थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, क्योंकि शिक्षा सम्बन्धी विषय है।

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हो रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, मैं इसके बारे में कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूँ । प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, परीक्षाएं समय से हों, सही ढंग से हों, नकल न हो, यह आवश्यक है । लखनऊ, विश्वविद्यालय के अन्दर 16 मार्च तक विश्वविद्यालय में 32 छात्र पकड़े गये, डिग्री कालेजों में 120 नकलची पकड़े जा चुके हैं । 16 मार्च की दोनों पालियों में 19 नकलची पकड़े गये, राजाजीपुरम, राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल डिग्री कालेज में एक दर्जन छात्राएं नकल करते हुए पकड़ी गई । सामूहिक नकल की शिकायत में सबसे चिन्तनीय बात तो यह है कि 12 मार्च को डी0ए0वी0 महाविद्यालय में तीन ऐसे लड़कों को पकड़ा गया, जो पहली मंजिल में ही एकान्त कमरे में पर्चा हल कर रहे थे । जब कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने तमंचा दिखाकर उन्हें धमकाने का प्रयास किया । विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्र परीक्षा केन्द्र में लाइसेन्सी रिवाल्वर लेकर पहुँचा, क्या इस तरह से विश्वविद्यालयों में होगा ? मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय की स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई है । मान्यवर, परीक्षाएं ठीक से हों, परीक्षाओं की पवित्रता बनी रहे, इसका दायित्व सरकार का है । सरकार ने कहा था कि जब आप सत्ता में थे तो छात्र भय में रहते थे, आज छात्र भयमुक्त हो करके परीक्षा दे रहे हैं । मान्यवर, परीक्षाओं की स्थिति यू0पी0 बोर्ड की परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रदेश में परीक्षाएं ठीक ढंग से हों ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, सरकार पूरी तरह से चौकस है, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नकल रोकने का प्रयास हुआ है और इसमें सरकार को कामयाबी भी मिली है । नकल करने और नकल कराने के लिए लोग बहुत दिनों से आदी रहे हैं, इस आदत को छुड़ाने में मान्यवर, थोड़ा सा समय लगेगा, फिर भी इसमें बहुत सख्त कार्रवाई हुई है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौर साहब और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

***राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक,

2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएंगे ।)

मान्यवर, मेरे पास तीन विधेयक हैं, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, 2005, जिस पर विचार हो रहा है, इसके अभी दो-तीन दिन पहले एमिटी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पारित हुआ है और तीसरा मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक जो 30 नवम्बर, 2004 को पारित हुआ था और राज्यपाल के पास गया था, लेकिन उन्होंने अनुमोदन नहीं दिया, वह पेन्डिंग है, इसलिए सरकार यह नया विधेयक लायी है । मैंने इस विधेयक को पूरा पढ़ा है, मान्यवर, एमिटी विश्वविद्यालय का विधेयक भी निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय का था और यह जो विधेयक आया है यह भी निजी क्षेत्र का है । मान्यवर, क्या प्रदेश के अन्दर जितने निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय खोले जायेंगे, उन सभी का नियम कानून अलग-अलग होगा ? मान्यवर, इन दोनों विधेयकों में भिन्नता है । सबसे चिन्ता की बात तो यह है कि पहले जब यह विधेयक आया था तो उच्च शिक्षा के माध्यम से आया था और अब इसको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर, यह विश्वविद्यालय है और यह उच्च शिक्षा विभाग में आता है, क्या लगता है कि इनमें, उनमें से कौन अल्पसंख्यकों का ज्यादा हितैषी है ? क्या इसलिए इसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से लाया गया है ?

मान्यवर, इतना ही नहीं जिस तरह से छोटे-छोटे विद्यालय खोले जाते हैं, उसी प्रकार किसी ने इच्छा व्यक्त की कि विद्यालय खोलना है तो खुद ही मैनेजर, प्रिन्सिपल बन गये और अपने घर के लोगों को अन्य पदों पर नियुक्त कर लिया । इस विधेयक के अन्तिम पृष्ठ पर लिखा गया है कि इसमें ट्रस्ट को परिनियमों द्वारा अन्य प्राधिकारी को विहित करने की शक्ति दी जा रही है । सारा का सारा परिनियम ट्रस्ट को अन्तर्ग्रस्त है । क्या ट्रस्ट ही अध्यक्ष और कुलाधिपति हो जायेगा और कुलपति की नियुक्ति करेगा ? सारे के सारे अधिकारी इस ट्रस्ट के माध्यम से नियुक्त किये जायेंगें । जो 'एमिटी' विश्वविद्यालय विधेयक था, उसमें दूसरे प्राविधान थे । मैं विस्तार से एक-एक बिन्दु पर चर्चा करना चाहूँगा ।

यह जो मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में खोलने जा रहे हैं, इस अधिनियम के पृष्ठ-3 के अनुच्छेद 4 में कहा गया कि "प्रायोजक सस्था, ट्रस्ट इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा-(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ या समीपस्थ भूमि को इसके स्वामित्व अधिकारी सहित तीस वर्ष या अधिक तक के लिये विधिवत रखेगा । (ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा और (ग) में दिया गया है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनाना।" मान्यवर, इसमें किसी प्रकार की धनराशि का उल्लेख नहीं है, जबकि 'एमिटी' विश्वविद्यालय में इसी प्रावधान के अंतर्गत पृष्ठ-3 पर अनुच्छेद 4 'ग' में कहा गया है कि "खण्ड (ख) में उल्लिखित भवन में न्यूनतम 5 करोड़ रूपये मूल्य के उपकरण कार्यालय और प्रयोगशालाओं में स्थापित करेगा ।"

मान्यवर, मैंने मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक पढ़ा । मैं इसके उद्देश्य और कारण देख रहा था, जो उद्देश्य और कारण बताया गया उसमें कहा गया है कि "राज्य के नियंत्रण में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, जिसमें उर्दू, अरबी या फारसी भाषा में रूचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए उर्दू, अरबी या फारसी भाषा के उच्चतर अध्ययन और उसमें अनुसंधान कार्य की सुविधा दी जा सके । मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट लखनऊ द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रायोजित

किया गया है । अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित एक राज्य विश्वविद्यालय की, जिसे मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर कहा जायेगा, स्थापना करके छात्रो को उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के अध्यापन एवं शोध के द्वारा उन्नत ज्ञान, प्रज्ञा एवं सगइ ा को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए ।" मान्यवर, जो 'एमिटी' विश्वविद्यालय का उद्देश्य और कारण बताया गया है वहाँ पर इस तरह की बात कही गयी थी कि "एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 के उपबंधों में स्थायी विन्यास निधि को दस करोड़ रूपये से कम करके एक करोड़ रूपये करने की बात है ।" जबकि इस विधेयक में स्थायी विन्यास निधि में 10 लाख रूपये की बात कही गयी है । अभी दो-तीन दिन पहले एक निजी विश्वविद्यालय का विधेयक आया, दूसरा विधेयक जो जौहर साहब के नाम पर है वह भी निजी विश्वविद्यालय का विधेयक है । उत्तर प्रदेश मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, विधेयक, 2004 में आगे कहा गया कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य और कारण होंगें । "उर्दू भाषा को इस प्रकार से विकसित करने की आवश्यकता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उर्दू साहित्य में, जिसके अन्तर्गत अरबी और फारसी भाषायें भी हैं, अपने अध्ययन को उच्चतर अध्ययन के स्तर तक जारी रख सके । मान्यवर, उर्दू भाषा केवल एक ही मजहब के लिए है ऐसा नहीं है, तमाम जाति और धर्म के लोग उर्दू भाषा लिखते-पढ़ते हैं । उर्दू भाषा सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ते हैं, यह इस विधेयक में लिखना क्या उचित हैं ? धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव यह आपत्तिजनक बात है । जो 'एमिटी' विश्वविद्यालय में कहा गया है, वह इसमें नहीं है । यह भी कहा गया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उनके समग्र विकास के लिये मुख्यधारा से जोड़ने साथ ही भारत के पद दलित लोगों के विकास के लिये सभी आधुनिक और श्रेय शिक्षा प्रदान कर उत्थान करना । जबकि 'एमिटी' विश्वविद्यालय विधेयक के पृष्ठ-3 पर अनुच्छेद-6 (घ) पर दिया गया है कि राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और नैतिकता की प्रोन्नति करना ।"

मान्यवर, मैं तो समझता हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता आज राष्ट्रीय एकीकरण की है, धर्म निरपेक्षता की है, अंतराष्ट्रीय सद्भाव की है और नैतिकता को प्रोनन्त करने की हे जिसको इसमें नहीं रखा गया है । मैं कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक के अनुच्छेद-8 में कहा गया है कि "विश्वविद्यालय प्रत्येक, लिंग, और प्रत्येक वंश, मत, जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अध्यापक, कर्मचारिवृन्द के सदस्य या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहां से स्नातक करने के लिये हकदार बनाने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे । परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को मुस्लिम समुदाय के ऐसे आरक्षण के लिये समुचित उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी जो पचास प्रतिशत से अनाधिक हो ।" तो मान्यवर, विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था होती है जहां पर कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो वह जाकर पढ़ सकता है । इसमें 50 प्रतिशत आरक्षण की बात की गयी है । मान्यवर, एमिटी विश्वविद्यालय का जो विधेयक है उसमें आरक्षण की बात कही गयी है, उसमें कहा गया है, "परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश, आरक्षण तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की विधियों एवं आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा । मान्यवर, 50 प्रतिशत की बात आप जो विधेयक ला रहे हैं उसमें है और अगर राज्य सरकार ने 50 प्रशित कर दिया तो सामान्य जाति के छात्र कैसे पढ़ सकेंगें ? यह बड़ी विसंगति है, लैकूना है । लगता है माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक पढ़ा नहीं है । पृष्ठ-5 के अनच्छेद 510 में मान्यवर, आप देखें उसमें कहा गया है । "विश्वविद्यालय के

निम्नलिखित अधिकारी होंगें, 1-कुलाधिपति, 2-कुलपति, प्रतिकुलाधिपति," मेरा यह कहना है कि प्रतिकुलाधिपति की जगह पर प्रतिकुलपति होना चाहिये । इसको मंत्री जी न देखा नहीं है और जैसा किसी अधिकारी ने दे दिया है उसको वैसा ही प्रस्तुत कर दिया है । एक बात इसमें और आपत्तिजनक है । पहले जो विधेयक आया था उसमें कहा गया था कि "राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।" लेकिन मान्यवर, यह जो विधेयक है इसमें कहीं पर भी राज्यपाल की बात, 1 परसेंट भी नहीं रखी गयी है और न उसको कोई अधिकार है । तो इस तरह का विश्वविद्यालय यहां पर बनाया जा रहा है । मान्यवर, एमिटी विश्वविद्यालय वाले विधेयक के अनुच्छेद-12 में कहा गया है कि "कुलाधिपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा फाउन्डेशन के परामर्श से की जायेगी" लेकिन इसमें ट्रस्ट की बात कही गयी है । इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट का अध्यक्ष विश्वविद्यालय का तब तक के लिये कुलाधिपति होगा जैसा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो । मान्यवर, इसमें टाइम नहीं दिया गया है । कहीं बैकडोर से ट्रट का अध्यक्ष बनाने का षडयंत्र तो इसमें नहीं है । जब माननीय मंत्री उत्तर दें तो इस संबंध में बतायें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आधे घंटे का समय निर्धारित है । थोड़ा समय बढ़वा लीजिये ।

अब समाप्त करें। इसके लिए आधा घण्टा ही निर्धारित है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विधेयक है । मैं अभी चार-पांच मिनट और लूँगा ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

इसमें कुलपति की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ट्रस्ट की पूर्व सहमति से ऐसी अवधि के लिए की जाएगी जैसी विहित की जाय कुलपति ऐसी शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा बिहित किया जाय । इसी प्रकार संकायों के निदेशक, कुलसचिव, कोषाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, कुलानुशासन, वित्त अधिकारी भी ट्रस्ट के माध्यम से बनाए जाएंगे । कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा । अनुच्छेद 21(2) में कार्य परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं । इसकी नियुक्ति ट्ररट के माध्यम से होगी । आप अनुच्छेद 39(1) को देखें इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश मुद्रित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा व 39(2) में दिया हुआ है इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र प्रदत्त किया जाएगा । अनुच्छेद 40(1) देखें विश्वविद्यालय कम से कम दस लाख रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा । तो एमिटी विश्वविद्यालय की तुलना में यह राशि कम क्यों की गई इसमें राज्य सरकार को क्या शक्तियां दी गई हैं व महामहिम राज्यपाल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो उद्देश्य और कारण बताए गए हैं कि उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं को विकसित करना और प्रोन्नत करना, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए सुविधाएं प्रदान करना जिस उद्देश्य और कारण से यह विधेयक लाया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले से ही लखनऊ विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी है । तीनों में उर्दू, अरबी और फारसी पढ़ाने की व्यवस्था है और यहां पर रिसर्च की

भी व्यवस्था है फिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ी ? अच्छा होता आप इन्हीं विश्वविद्यालयों को स्टेगथेन करते जिससे अरबी, उर्दू, फारसी भाषा का विकास होता । हमारे कांग्रेस के भाई बैठे हैं इन दोनों के बीच अल्पसंख्यकों को लेकर होड़ लगी है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पुराना विश्वविद्यालय है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया । केन्द्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें अल्पसंख्यकों के बारे में तमाम घोषणायें की गई हैं । इसी तरह से हमारे प्रदेश की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें भी अल्पसंख्यकों के बारे में तमाम योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं जबकि सरकार पूरे प्रदेश की होती है । प्रदेश में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं सरकार का यह दायित्व होता है कि हर धर्म और हर जाति को संरक्षण दें इसके लिए संविधान में व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । यह जो विधेयक लाया गया है इसमें 50 प्रतिशत आरक्षण केवल अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है बाकी में अनुसूचित जाति के व पिछड़े वर्ग आ जाएंगे तो इसमें तो सामान्य वर्ग के लिए कोई जगह ही नहीं होगी । यह मेरी आपत्तियां हैं । इसलिए में चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपर्द कर दिया जाय जो इस पर विचार कर लें और एक माह में अपना प्रतिदेदन प्रस्तुत कर दें । तब यहां पर विचार किया जाय ।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, इस विधेयक के उदेश्य में यह दिया हुआ है कि राज्य में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां उर्दू, फारसी और अरबी पढ़ने वालों के लिए उच्चतर अध्ययन के साथ-साथ अनुसंधान कार्य की सुविधा दी जा सके । तीन दिन पूर्व इसी सदन में एक अतारांकित प्रश्न था डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा का कि क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक स्तर पर अरबी, फारसी, उर्दू के शिक्षण की व्यवस्था है ? मान्यवर शासन का उत्तर है कि स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में अरबी, फारसी तथा उर्दू एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी में मात्र उर्दू विषय में शिक्षण की व्यवस्था है । डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयों में अरबी, फारसी एवं उर्दू विषयों में शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, महामा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से सूचना अप्राप्त है । राज्य के अधीन किसी में व्यवस्था नहीं है । सरकार ने अपने उत्तर में लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में, फैजाबाद विश्वविद्यालय में, कानपुर विश्वविद्यालय में, मेरठ विश्वविद्यालय में, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में तो स्वीकार किया और कुछ के बारे में सूचना अप्राप्त है। इसके बाद इन्होंने संख्या दी है नीचे । अगर व्यवस्था नहीं है तो छात्र पढ़ कैसे रहे हैं ? छात्र की संख्या दी है उर्दू विषय के वर्ष 2003 में 4637, वर्ष 2004 में 4563 और वर्ष 2005 में 5058 । मान्यवर, आप संख्या की तरफ ध्यान दें । अरबी के वर्ष 2003 में 150, वर्ष 2004 में 170 और वर्ष 2005 में 185 । इसी तरह से फारसी के वर्ष 2003 में 45, वर्ष 2004 में 54 और वर्ष 2005 में 62 । इस

तरह से मान्यवर आप देखें कि वर्ष 2005 में उर्दू के 5058, अरबी के 185 और फारसी के 62 छात्र हैं और शेष 4 विश्वविद्यालयों की सूचना अप्राप्त है । इसलिये मान्यवर, यह जो विधेयक है, इसके जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं उनसे यह मेल नहीं खाता, यही आपके संज्ञान में लाना था ।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है कि इसको एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और उस पर उन्होंने विद्वतापूर्वक विचार व्यक्त किये हैं । मैं बहुत ध्यानपूर्वक कहीं नोट करने कोशिश करता था कि एमिटी विश्वविद्यालय के लिए विधेयक लाया गया था और जिसको पारित किया गया है उससे तुलना करने का काम किया गया और कितनी बार एमिटी का नाम लेते हैं । मैं 24-25 बार नोट कर पाया लेकिन संख्या बढ़ने लगी तो मुझसे त्रुटि हो गई इसलिये मैं ठीक से नहीं बता सकता कि कितनी बार इन्होंने एमिटी का नाम लिया । प्रत्येक लाइन को जोड़कर कहा कि एमिटी वाले मे यह लिखा था, एमिटी वाले में अमुक प्राविधान है और इसमें नहीं है । एमिटी से भिन्न प्राविधान वाला लाकर उसका विरोध कर रहे हैं ।

मैं समझ रहा था कि यह सीधे-सीधे उसका समर्थन कर दें इसलिये हुबहू संस्तुति न उतारकर नया विधेयक ला रहे हैं । उसमें उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राविधान किया जाय और विधि सम्मत प्राविधान उसमें रखा जाय । आप कह रहे हैं कि एमिटी के इस खण्ड में यह दिया है, उस खण्ड में वह दिया है । मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि एक बार एक विधेयक इस सदन से पारित किया है जिस पर महामहिम राज्यपाल ने अपने हस्ताक्षर नहीं किये । मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपनी सीमा जानता हूं और महामहिम राज्यपाल की चर्चा करके कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहता । यह दुर्भाग्य है हमारा कि इस सदन ने और विधान मण्डल ने विधान परिषद् में भी और विधान सभा में भी जो विधेयक पारित होकर गया उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए । यह हमारे लिए इसलिए पीड़ा की बात है कि उस पर हस्ताक्षर हो जाते तो दूसरे विधेयक को लाने की आवश्यकता न होती । क्योंकि कठिनाई है इसलिए परिवर्तन हुआ । जो यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर विधेयक लाए हैं, इसमें मौलाना नहीं है । कई लोगों को मौलाना शब्द से कठिनाई है । तो मौलाना को हटा लेते हैं । आपको क्योंकि कठिनाई है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर न लिखा जाए इसलिये इसमें संशोधन कर दिया गया । मौलाना हटा दिया गया । लेकिन श्रीमन् जिस पर आपने स्वयं चर्चा की, इसके उद्देश्य कारण पर, उर्दू, फारसी, अरबी की उच्च शिक्षा के लिए, हम एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं इसमें परोक्ष रूप से विरोध करने का साहस नहीं किया लेकिन अपरोक्ष रूप से यूनीवर्सिटी स्थापित न हो सके इसके लिए तमाम कोशिश हुई ।

इस पर अलग से टिप्पणी नहीं करूंगा । यह विश्वविद्यालय रामपुर में स्थापित होना है जहां उर्दू, फारसी, अरबी की उच्चतर शिक्षा का प्रशिक्षण हो सके । उर्दू अल्पसंख्यक समुदाय की मातृभाषा है । उर्दू को सम्मान दिलाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। रघुपति सहाय का जिक्र हुआ है । इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा । अनेक लोगों ने उर्दू को मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है और वह सब लोग मुस्लिम नहीं थे । लेकिन उर्दू मुसलमान की मातृभाषा है। उर्दू की बात करते हैं तो लोगों को कठिनाई होती है । आज उर्दू, फारसी, अरबी के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है । ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी की शिक्षा ही नहीं टेक्निकल एजूकेशन देने का काम करेंगे । कालान्तर में मेडिकल एजूकेशन देने का काम करेंगे । आपने इसको पढ़ा होगा । देखा होगा लेकिन कहीं न कहीं

आपका देखने में ओवरलुक हुआ होगा । इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हम विधेयक लाए हैं। इसमें हमने कोई बात ऐसी नहीं रखी, जिसमें कठिनाई हो । आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं सबके लिए हो जाता तो क्या कठिनाई थी ? तो आप इसके नियम-8 को देखें । इसमें लिखा है-'विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और प्रत्येक वंश, मत, जाति, वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा ।' इसमें लिखा है यह किसी धर्म किसी जाति किसी लिंग, किसी सम्प्रदाय, किसी समुदाय के लिए नहीं होगा इसमें कोई भेदभाव नहीं है । ऐसा नहीं है वह जाएगा तो अछूत हो जाएगा । जहां तक आरक्षण का सवाल है इसमें कठिनाई है 50 प्रतिशत तक आरक्षण इसमें मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए किया जाता है तो इसमें इनको क्या कठिनाई है ? मुझे समझ में नहीं आता है क्यों कठिनाई है ? मुझे इसका कारण सम्झ नहीं आता है । यह कहा कुलाधिपति, कुलपति ठीक है प्रति-कुलाधिपति ठीक नहीं है एमिटी विश्वविद्यालय से तुलना करेंगे । प्रति कुलाधिपति.... ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

प्रतिकुलपति होना चाहिए यह कुलाधिपति है यह कहा था ।

श्री अम्बिका चौधरी-

इस प्रकार जो भी बातें कही गई हैं औपचारिकता पूरी करने के लिए कही गई हैं । विपक्ष को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी यहां प्रसंग नहीं था लेकिन अर्जुन सिंह का नाम लिया है । गौर साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया । यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो जंगे-आजादी के दौर में स्थापित हुआ था । यह अल्पसंख्यकों का विश्वविद्यालय है यह कहा गया । जिस पार्टी के यह हैं उन्होंने अल्पसंख्यकों को प्रदेश में खत्म किया है । उसको बन्द कराने का प्रयास किया गया । अगर किसी अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक कह दिया जाए तो मान्यवर, यह धोखा और छलावा है, कोई नई बात नहीं है । पता नहीं श्री अर्जुन सिंह की हमदर्दी में ।

श्री प्रमोद कुमार-

कोई बन्द करने का प्रयास नहीं किया है ।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने जो यह बात कही है कि उसे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और इसे पुन: कह दिया है, यह एक छलावा है, यह कोई बड़ी बात नहीं है । माननीय डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी ने जो बात कही है, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर का हवाला दिया है कि उत्तर प्रदेश के इतने-इतने विश्वविद्यालयों में अरबी, उर्दू, फारसी पढ़ाई जाती है और अलग-अलग विश्वविद्यालयों का आंकड़ा रखा, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है । मैं लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात को समझने का आप प्रयत्न करें कि सिर्फ स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई उच्चतर शिक्षा नहीं है, इसमें रिसर्च और दूसरे काम भी आते हैं । आपने अपने उत्तर में इसका उल्लेख भी नहीं किया क्योंकि आपको स्वयं उत्तर मिल गया होगा और आपकी शंका का समाधान हो गया होगा । अंग्रेजी में जिसे एडवांस स्टडी कहते हैं, इसका कोई दूसरा सेन्टर उर्दू, फारसी और अरबी के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें यह सारी व्यवस्था होगी, इसमें एडवांस स्टडी की व्यवस्था होगी । इसी उद्देश्य से यह विधेयक लेकर हम आए हैं ।

माननीय गौर साहब ने कहा कि इसको उच्च शिक्षा विभाग ने नहीं किया है । मैं बता देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालन का काम करता है और उच्च

शिक्षा विभाग से अनापत्ति लेकर ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस विधेयक को रखने का काम किया है । आपने कहा कि इसमें नियम, प्रतिनियम अलग-अलग समय पर बनाने की बात है, कुलाधिपति की नियुक्ति के बारे में कहा कि यथासमय जब चाहेंगे कर सकते हैं, इसलिए वह लाइफ-लॉग बने रहेंगे । आप इस शंका में न पड़ें । कुछ लोगों को पिछली बार कठिनाई थी कि यह नाम नहीं होता तो हमें कठिनाई नहीं होती, फिर बात आई कि आजीवन नहीं होता तो कठिनाई नहीं होती जब हम यह कह रहे हैं कि ट्रस्ट का अध्यक्ष विश्वविद्यालय का तब तक के लिए कुलाधिपति होगा जैसा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो । जिन-जिन बिन्दुओं पर थोड़ी भी आपत्ति हो सकती थी और जिन-जिन बिन्दुओं पर आपत्ति आयी थी, मैंने प्रयास किया है कि इसमें आपत्ति का कोई बिन्दु रखा ही न जाए और हमने एक भी ऐसा बिन्दु इसमें नहीं रखा है । अब अगर ट्रस्ट को यह भी अधिकार न हो कि समय-समय पर जैसा वह निर्धारित करे, तब तक के लिए उसको कुलाधिपति रख सके तो कदाचित् आपकी मंशाऐसी नहीं होगी, मात्र विरोध के लिए आपने कह दिया होगा । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं गौर साहब से कि वह अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें और आज यह सदन एक ऐसे वातावरण में सर्वसम्मति से इस निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के इस विधेयक को जिसका नाम मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय होगा, पारित करने की कृपा करें ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, प्रदेश में निजी क्षेत्र में कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज चलते हैं । चिकित्सा का एक विश्वविद्यालय खोला गया, इसी तरह से टेक्निकल यूनीवर्सिटी खोली गई, निजी क्षेत्र में । जितने मेडिकल कालेज खुलते हैं, सबके एक ही नियम, कानून और परिनियम हैं, लेकिन क्या निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के लिए जो जैसा चाहेगा उसका वैसा ही विधेयक आ जाएगा ? मैंने प्रश्न किया था कि ट्रस्ट का एक अध्यक्ष हो, यह सदन जानना चाहेगा ? मान्यवर, अभी तक प्रदेश के अन्दर आरक्षण की नीति लागू है । क्या केवल मुस्लिम समुदाय के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण हो जाए ? तो क्या यह सरकार वर्तमान आरक्षण नीति को इस विश्वविद्यालय में लागू नहीं करेगी ? मान्यवर, यह तो प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश को धर्म के नाम पर बांटना होगा और यह न तो प्रदेश के हित में है और न देश के हित में है बल्कि यह तो सारे समाज के अहित में है । यह विधेयक केवल तुष्टीकरण नीति के तहत, राजनीति से प्रेरित होकर लाया गया है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं ।

***नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-**

मान्यवर, यह सारा कुछ देखकर ऐसा लगता है कि यह पूरे सदन को गुमराह करने के लिए केवल एक नई तस्वीर पेश कर दी गयी है । मजमूं वही है लिफाफा बदला हुआ है और जो बदला है वह भी इतना भद्दा स्वरूप लिये हुए है या यों कहें कि इसमें कहीं न कहीं साम्प्रदायिक रंग छिपा हुआ है । ऐसे में यह जो प्रोसीडिंग्स बनेंगी और जब यह आने वाली पीढ़ी पढ़ेंगी तो यही कहेंगी कि जब यहां एक के बाद एक साम्प्रदायिक आधार पर निर्णय लिये जा रहे थे तो किसी ने भी विरोध नहीं किया । आज कांग्रेस के हमारे मित्र डर गये हैं, आज की गत क्या हुई कि वह बोलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं तो बोलूंगा, यह विधेयक देश को बांटने का प्रयास है और यह तैयारी की जा रही है देश के विघटन की । हम आप चले जायेंगे लेकिन यह देश तो रहेगा । अगर इस देश को बांटने की कोशिश

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

होती है, देश को बांटने के बीज बोए जाते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं और मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(विधेयक में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को परिलक्षित कर विरोधस्वरूप नेता विरोधी दल ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया ।)

श्री कमाल युसुफ मलिक-

मान्यवर, यह लोग खुद देश को तोड़ना चाहते हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मुझे इस बात का अहसास था कि जब वह आइना देखेंगे तो इनका इस सदन से चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें सदन से ही नहीं, समाज से भी भाग जाना पड़ेगा जिन्हें मुसलमान का नाम आते ही कठिनाई और परेशानी होने लगती है । मान्यवर, देश को आजाद कराने में मुसलमान का बड़ा योगदान रहा है । देश को खूबसूरत बनाने में भारत के मुसलमान का योगदान रहा है और मान्यवर, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इस देश को आगे बढ़ाने में इस देश में पैदा हुए मुसलमान का योगदान न रहा हो और मान्यवर, यह लोग जो मुसलमान के सवाल पर अपने पेट में दर्द महसूस करते हैं वह वक्त की कसौटी पर समाप्त हो जाएंगे । मान्यवर, देश को बांटने का काम यह लोग कर रहे हैं, [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] यह ठीक ही हुआ कि इन्होंने खुद अपने मुंह से नकाब उतारने का काम किया । मैं इस बात को इंगित नहीं करना चाहता था लेकिन मान्यवर, यह इतिहास बनेगा कि जब हम अल्पसंख्यकों के हित के लिए यह अच्छा काम कर रहे हैं तो इन लोगों ने इसका विरोध किया ।

(डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी सदन में वापस आये ।)

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, जब कोई दल सदन में नहीं है तो उसके पीछे से इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, [xxx xxx xxx xxx xxx xxx] मैं इसका विरोध करने के लिए आया हूं । मान्यवर, यह मानवता के हत्यारे हैं ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन में आ गये ।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह वाक आउट करने वाले लोग हैं ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

जो चाहेंगे आप इन्हें बोलने देंगे ? यह ठीक नहीं है ।

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी-

[xxx xxx xxx] देश ने सबक सिखाया है । देश की अखण्डता की बात करने का इनको अधिकार नहीं है ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य अपने स्थान पर आ गये)

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाला जाय । कोई कुछ भी कहता रहे और आप सुनते रहेंगे ? यह उचित नहीं है । आप इसको कार्यवाही से निकलवायें ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन के वैल में आ गये ।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने स्थानों पर चले जायें, वहां से अपनी बात कहें ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

आप केवल इतनी व्यवस्था दे दें कि जो अनर्गल बातें कही गयी हैं उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष-

हम इसको दिखवा लेंगे अगर अनर्गल बातें होंगी, तो उसे निकाल देंगे । अब मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण दोबारा सदन का बहिष्कार करके चले गये ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :--[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

खण्ड-2, खण्ड-50 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

रामपुर, उत्तर प्रदेश में मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित एक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 कहा जाएगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें।

परिभाषाएं

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :--

(क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड आदि से है;

(ग) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमश: कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पालिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी हैं;

(ज) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् से है;

(झ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ञ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्वानों/छात्रों के निवास से है;

(ट) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" और कुलानुशासक का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमश: कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष और कुलानुशासक से है;

(ठ) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;

(ड.) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(त) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(थ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, उपचार्यों, प्राध्यापकों या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(द) "ट्रस्ट" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट लखनऊ, उत्तर प्रदेश से है;

(ध) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य ट्रस्ट द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्थापित मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से है;

(न) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है;

विश्वविद्यालय

3-(1) रामपुर, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी;

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा;

विश्वविद्यालय की स्थापना शर्तें

4-प्रायोजक संस्था, ट्रस्ट इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा :--

(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ या समीपस्थ भूमि को इसके स्वामित्व अधिकारी सहित तीस वर्ष या अधिक के लिए विधिवत रखेगा;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा;

(ग) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिए परिनियम और अध्यादेश बनाना;

(घ) ऐसी अन्य शर्तें जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय ।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5-(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये ट्रस्ट को प्राधिकार के पत्र के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा ।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट द्वारा इस आशय के अभिलेख सहित की धारा 4 में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी कर दी गयी हैं, एक असंदिग्ध शपथपत्र प्राप्त होने पर, प्राधिकार का पत्र जारी करेगी ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :--

(एक) उन भाषाओं को विकसित और प्रोन्नत करना जो ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा पढ़ी जाती हैं जैसे उर्दू, अरबी और फारसी;

(दो) मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उनके समग्र विकास के लिए मुख्य धारा से जोड़ना, साथ ही साथ भारत के पद दलित लोगों के विकास के लिये सभी आधुनिक श्रेण्य शिक्षा प्रदान कर उनका उत्थान करना;

(तीन) ज्ञान की अभिवृद्धि तथा उसके प्रसार तथा अनुसंधान के प्राविधानों सहित उच्च शिक्षा में निर्देश, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना;

(चार) उच्च स्तरीय बौद्धिक योग्यता का सृजन करना;

(पांच) शिक्षा तथा प्रशिक्षण हेतु कला संबंधी सुविधाओं की स्थापना करना;

(छः) अनुसंधान की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा निरन्तर शिक्षा संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत करना;

(सात) औद्योगिक तथा निजी संस्थाओं को परामर्श उपलब्ध कराना;

(आठ) विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य के लिए रामपुर में मुख्य निवेश की स्थापना करना;

(नौ) परीक्षा अथवा मूल्यांकन के किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(दस) यह सुनिश्चित करना कि उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर, उस स्तर से निम्नतर नहीं है जो विभिन्न नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित की गई हैं;

(ग्यारह) राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य का अनुसरण करना;

(बारह) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा प्रबन्ध तथा अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करना और उनको प्रोन्नत करना;

7-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-- विश्वविद्यालय की शक्तियां

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबन्ध और अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की, जिनके अन्तर्गत धार्मिक भाषायें, संस्कृति, दर्शन और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आदि भी हैं, शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रोन्नति करना;

(ग) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(घ) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे पाठ्यक्रम भी हैं जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करे, प्रदान करना;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डाक्टर पद, आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(छ) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(ज) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास विशिष्ट ज्ञान हो, की स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति करना या उन्हें लगाना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ञ) अनुसंधान और शिक्षा के लिए विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(ट) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ठ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना;

(ड) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ढ) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी संस्था, विभाग या विद्यालय को केन्द्र घोषित करना;

(ण) विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है;

(त) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(थ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(द) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना; और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए संदान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट की कार्यसमिति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति, उसके धन पर उधार लेना, बन्धक रखना या आडमान करना;

(ब) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों ।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

8-विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और प्रत्येक वंश, मत, जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अध्यापक, कर्मचारिवृन्द के सदस्य या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार बनाने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

परन्तु इस धारा की, कोई बात विश्वविद्यालय को मुस्लिम समुदाय के ऐसे आरक्षण के लिए समुचित उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी जो पचास प्रतिशत से अनाधिक हो ।

9-(1) कुलाध्यक्ष की नियुक्ति ट्रस्ट द्वारा स्वयं की जायेगी ।

कुलाध्यक्ष

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, शालीनता और समुचित कार्यप्रणाली के मानक को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी केन्द्र या संस्थाओं, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पालीटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलपति द्वारा उसे निर्दिष्ट विवाद के मामलों में कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :--

विश्वविद्यालय के अधिकारी

(एक) कुलाधिपति

(दो) कुलपति

(तीन) प्रति-कुलाधिपति

(चार) संस्थाओं के निदेशक/प्रधान

(पांच) कुलसचिव

(छः) कोषाध्यक्ष

(सात) संकायों के संकायाध्यक्ष

(आठ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष

(नौ) कुलानुशासक

(दस) वित्त अधिकारी; और

(गयारह) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं।

कुलाधिपति

11-(1) ट्रस्ट का अध्यक्ष विश्वविद्यालय का तब तक के लिए कुलाधिपति होगा जैसा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो ।

(2) कुलाधिपति अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और विश्वविद्यालय को शासित करेगा ।

(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ।

(4) कुलपति ऐसे शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा विहित किया जाय ।

कुलपति

12-(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ट्रस्ट की पूर्व सहमति से ऐसी अवधि के लिए की जायगी जैसी विहित की जाय ।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी एवं शैक्षिक अधिकारी होगा और कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यदि सम्बन्धित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह ऐसे दिनांक से, जिस पर ऐसे कार्यवाही के आधार पर विनिश्चय उसे संसूचित किया जाय, एक माह के अन्तर्गत कुलाध्यक्ष को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे और इस पर कुलाध्यक्ष कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है, या उसे उपान्तरित कर सकता है या उलट सकता है ।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो विहित किया जाय ।

प्रति-कुलपति

13-(1) प्रति-कुलपति की नियुक्ति ट्रस्ट के परामर्श से ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय ।

(2) प्रति-कुलाधिपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा ।

(3) प्रतिकुलपति, कुलाधिपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेगा ।

कोषाध्यक्ष

14-(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा, जैसा विहित किया जाय ।

(2) कोषाध्यक्ष वार्षिक बजट, वार्षिक सम्परीक्षा, निधियों आदि के आवंटन सहित समस्त वित्तीय मामलों में कुलपति की सहायता करेगा ।

कुलसचिव

15-(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जैसी विहित की जाय ।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद और विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा ।

संकायों के संकायाध्यक्ष

16-प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति इस रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा, जैसा विहित किया जाय ।

वित्त अधिकारी

17-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा, जैसा विहित किया जाय ।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा ।

अन्य अधिकारी

18-विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियों और कर्तव्यों की रीति वही होगी जैसी विहित की जाए ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :--

(एक) कोर्ट

(दो) कार्य परिषद

(तीन) विद्या परिषद

(चार) वित्त समिति

(पांच) संकाय बोर्ड

(छः) प्रवेश समिति

(सात) परीक्षा समिति

(आठ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां

(नौ) नियोजन बोर्ड; और

(दस) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएं ।

कोर्ट

20-(1) कोर्ट का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित किया जाए ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात :--

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली उसके उन्नयन और विकास के लिए उपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर विचार करना और संकल्प पारित करना और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना;

(ग) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में कुलाध्यक्ष को परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिये निर्दिष्ट किया जाय; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो विहित किये जायं ।

कार्य परिषद

21-(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) कार्य परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं ।

विद्या परिषद

22-(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कृत्यों, कार-बार और क्रियाकलापों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी ।

(2) विद्या परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जैसा विहित किये जाएं ।

वित्त समिति

23-(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय का प्रधान वित्तीय निकाय होगी ।

(2) वित्त समिति का संविधान, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

नियोजन बोर्ड

24-(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा ।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जैसे विहित किये जायें ।

विश्वविद्यालय के संकाय और अन्य प्राधिकारी

25-संकाय परिषदों, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, का गठन शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें ।

परिनियम बनाने की शक्ति

26-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :--

(क) ट्रस्ट, कुलाधिपति की सहमति से परिनियम बना सकती है ।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य;

(ग) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद का निर्वाचन और निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले, जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(घ) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां;

(ङ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;

(च) किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारीवृन्द को लगाया जाना ।

(छ) पेंशन, बीमा और भविष्य निधि आदि के लिए उपबन्ध सहित कर्मचारियों की सेवा शर्तें, प्रशासनिक नियंत्रण सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आदि;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ञ) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना;

(ट) उपाधियां, अधिछात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ठ) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ड) संकायों, विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनका समाप्त किया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(ण) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों ।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

27-इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेश कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे, जिसमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :--

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टयां प्रदान करना और उनकी अर्हताएं निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले माध्यम;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और परीक्षकों और अनुसीमकों के कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग और सहभागिता जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, की रीति;

(ङ) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिए आवश्यक समझी जाए, के सृजन संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीकारों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों;

वार्षिक रिपोर्ट

28-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाय और कोर्ट अपने वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगा ।

वार्षिक लेखा

29-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलनपत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अनधिक अन्तराल पर की जायेगी ।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की प्रति कार्य परिषद के पर्यवेक्षणों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा किये गये पर्यवेक्षणों को कोर्ट और कार्य परिषद के संज्ञान में लाया जायेगा और कार्य परिषद द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात् पर्यवेक्षण, यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

30-(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा ।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कार्य परिषद को निर्दिष्ट किया जायेगा जो कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा ।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद के आदेश के विरुद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को अपील कर सकता है ।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

(5) कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं होगा ।

अपील करने का अधिकार

31-(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसे एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से विवर्जित कर दिया गया हो, लिखित रूप में अपने द्वारा ऐसे संकल्प की प्रति या ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस

दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है ।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा ।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

32-विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायं, ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसी वह उचित समझें ।

विश्वविद्यालय और निकायों के गठन के बारे में विवाद

33-यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा ।

समितियों का गठन

34-जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हों वहां ऐसी समितियां, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्यों से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, गठित होंगी ।

रिक्तियों का भरा जाना

35-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, नामित या सहयोजित किया था, भरा जायेगा । ऐसी रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति ऐसे शेष पदावधि के लिए ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए वह नियुक्त या सहयोजित किया गया है ।

कार्यवाही की अवधिमान्यता

36-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अवधिमान्य नहीं होगी ।

वाद का वर्जन

37-किसी ऐसी बात के लिए, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गई है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी निकाय अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी ।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

38-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्ट की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप मे उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

परिनियम और अध्यादेशों का प्रकाशन

39-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश मुद्रित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा ।

स्थायी विन्यास निधि

40-(1) विश्वविद्यालय, कम से कम दस लाख रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा;

(2) विश्वविद्यालय की स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जायं, निवेश करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी ।

सामान्य निधि

41-(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :--

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ।

(2) विकास निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिए किया जायेगा ।

विकास निधि

42-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :--

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया, जो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय ।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा ।

निधि का अनुरक्षण

43-धारा-41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियां कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

शुल्क

44-विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार शुल्क लिया जायेगा ।

राज्य सरकार की शक्ति

45-राज्य सरकार की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :--

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा

या उसके अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित किसी मामले के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना;

(ख) किसी विषय पर परिनियम बनाने के लिए आदेश देना ।

विश्वविद्यालय का विघटन

46-(1) विश्वविद्यालय राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है ।

(2) उपधारा-(1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय ।

विघटन के दौरान विश्व-विद्यालय का व्यय

47-(1) धारा 45 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा ।

राज्य सरकार द्वारा विश्व-विद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

48-(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्यविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो उचित समझें, किन्तु जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझें ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी ।

(4) जहां राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिए कोर्ट को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह अधिसूचना द्वारा यथास्थिति कोर्ट को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे ।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन

किसी वाद का और विशिष्टत: निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :--

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय ।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबंध किया गया है या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे निष्कर्षों को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उक्त सदनों के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित कराया जायेगा उसके पश्चात् इस सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी की जा सकेगी ।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निदेश देने की शक्ति

49-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जैसा वह आवश्यक समझे । ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

50-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टत: उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जहां तक संस्थाओं का प्रबन्ध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे :--

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-50 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

.उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य बिधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-2 से 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005

राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और नेता विरोधी दल को लखनऊ में समुचित वास-स्थान प्रदान करने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 कहा जायेगा ।

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में,--

(क) "अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति का पद धारण करता है;

(ख) "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के नेता विरोधी दल से है ।

3-(1) राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंध के अधीन, लखनऊ में माल एवेन्यू कालोनी में स्थित आवास संख्या 9, कालिदास मार्ग पर स्थित आवास संख्या 12 और गौतम पल्ली कालोनी में स्थित आवास संख्या 5 और 18 क्रमश: अध्यक्ष, विधान सभा, सभापति, विधान परिषद् उपाध्यक्ष, विधान सभा और उपसभापति, विधान परिषद् के शासकीय आवास के रूप में पदाभिहित किये जायेंगे ।

(2) राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण एवं प्रबन्ध के अधीन माल एवेन्यू स्थित आवास संख्या 12, और गोमती नगर, फेज-दो स्थित आवास संख्या 6, टाइप छ: क्रमश: विधान सभा के नेता विरोधी दल और विधान परिषद के नेता विरोधी दल के शासकीय आवास के रूप में पदाभिहित किये जायेंगे ।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट पदाभिहित आवासों के उपर्युक्त अध्यासीगण अपने पद धारण की समाप्ति पर पन्द्रह दिनों के भीतर राज्य सम्पत्ति विभाग को खाली कब्जा सौंप देंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

4-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन में वापस आ गए ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005

***राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 3 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में तैनात ज्येष्ठ अधिकारियों को उपर्युक्त वास-स्थान प्रदान करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-यह विधेयक उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2-इस विधेयक में,-- परिभाषायें

"ज्येष्ठ अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद अथवा कृषि उत्पादन आयुक्त का पद धारण करता है;

3-राज्य सरकार के सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ, स्थित आवास संख्या 2, 3 एवं 4 क्रमश: मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद और कृषि उत्पादन आयुक्त के लिये पदाभिहित शासकीय आवास होंगे, जिसे वे अपने पद धारण की अवधि में अनुमन्य किराये पर प्रयोग करेंगे और अपने उत्तराधिकारी को उसका कब्जा सौंपेंगे । आवास

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

लखनऊ में नकली दवाएं बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त गम्भीर विषय पर आपने चर्चा स्वीकृत की और मुझे इस पर प्रकाश डालने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले लखनऊ में सी0बी0आई0 के अधिकारी आये थे और उनके द्वारा कई औषधियों के ठिकानों पर छापा मारा गया और करोड़ों रुपये की नकली दवाएं उनके द्वारा पकड़ी गईं । मेरे द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत यह कार्य स्थगन का विषय प्रस्तुत किया गया था, जिसके ऊपर बोलते हुए मैंने बड़ा दु:ख प्रकट किया था कि क्या वजह है कि सी0बी0आई0 को नकली दवाएं बेचने वालों की जानकारी हो जाती है और वह छापे मारते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के जो ड्रग्स इन्स्पेक्टर्स हैं या जो अन्य अधिकारी हैं, उनको यह जानकारी नहीं हो पाती है, इसका क्या कारण है ? अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं मैं नहीं कहना चाहता हूं, वर्तमान की जो सरकार है उसके ऊपर मैं इसका कहीं आक्षेप भी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह एक प्रवृत्ति सी बन गई है, लोगों के अन्दर जो पैसे की भूख है, वह इतनी ज्यादा बढ़ गई है और वह आज नहीं बढ़ी है, कितने वर्षों से ही बढ़ती चली जा रही है और हम लोग इसे नजरन्दाज कर रहे हैं ।

हमारी इस चूक के कारण, जो कमी हम दिखला रहे हैं उसके कारण जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और निश्चित रूप से खाद्य तेलों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट और दवाओं में मिलावट के साथ-साथ जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है । वह जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं और यही नहीं जो इस मामले में लिप्त हैं वह हमारे देश के साथ और देशवासियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर जो लैब्स हैं, इसकी जांच करने के लिए वहां भी स्टाफ और अवस्थापना सुविधाओं की बहुत कमी है । मुझे याद आ रहा है कि इससे भी पहले मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित किया था, उसमें इसकी जांच के लिए एक विजिलेन्स कमेटी के गठन की बात कही गयी थी, बाद में विजिलेन्स कमेटी का गठन भी हो गया था । मान्यवर, हजारों की संख्या में दवा निर्माता हैं, लेकिन उसके सापेक्ष जो ड्रग्स इन्स्पेक्टर्स की संख्या है वह बिल्कुल नगण्य है । वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो विजिलेन्स की टीम गठित थी उसको तोड़ दिया गया । अब जो ड्रग्स इन्स्पेक्टर्स की संख्या है वह 40 की संख्या है और हजारों की संख्या में दवाइयों की दुकानें हैं, उनकी जांच के लिए यह नाकाफी हैं और अपर्याप्त हैं ।

मान्यवर, यहां जो ड्रग इन्स्पेक्टर्स हैं विशेषकर के ड्रग कन्ट्रोलर हैं जिनके कंधों पर इसकी

देखरेख की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में सही दवा बिके सही दवाओं का निर्माण हो और लोगों को उससे नुकसान न हो और उसको रोकें । वे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में अक्षम साबित हुए हैं । मान्यवर, जो भारत सरकार में महाऔषधि नियंत्रक हैं उनके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि अगर प्रदेश के अन्दर कोई फर्म कोई दवा का निर्माण करना चाहती है और उसके विपणन के लिए उसे बाजार में लाना चाहती है तो उसे उनकी अनुमति लेनी पड़ती है । लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर इन सारे नियमों की अनदेखी की जा रही है । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं यह जो वर्तमान ड्रग कन्ट्रोलर हैं उनके कार्यकाल का यह है और निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी इसमें बनती है । मान्यवर, यहां एक फर्म है मैसर्स मोरेसी लेबोरेट्री वह 2-3 सीरप और दवाओं का निर्माण करती है उन्होंने उसकी अनुमति महाऔषधि नियंत्रक से लेने की आवश्यकता नहीं समझी और अधिकारियों ने भी उस व्यवस्था को नजरन्दाज करते हुए उस फर्म को दवा का निर्माण करने और बाजार में बेचने की अनुमति दे दी । अब उस दवा में क्या गुण हैं और क्या अवगुण और जनता के लिए वह कितनी लाभकारी है ? इसका पता नहीं । मान्यवर, औषधि निर्माण और विपणन की अनुमति देने के पहले उसके एवज में राज्य सरकार द्वारा शुल्क के रूप में नियमानुसार 50 हजार रुपया जमा होना था । लेकिन उन सारे नियमों को ताक पर रखकर अनुमति दे दी गई और पैसा नहीं जमा कराया गया जिससे राजस्व की हानि हुई ।

मान्यवर, आप देखें इतने बड़े प्रदेश में सिर्फ 40 ड्रग इन्स्पेक्टर्स हैं और इसमें आवश्यक है कि वह बढ़ोत्तरी होनी चाहिए । मान्यवर, वर्तमान में जो ड्रग कन्ट्रोलर हैं उनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई हैं निश्चित रूप से उनको इसकी जिम्मेदारी ओढ़नी पड़ेगी । मान्यवर, उनकी जो पदोन्नति हुई वह बिना डी0पी0सी0 के हो गई । तीन वर्ष वरिष्ठ औषधि निरीक्षक रहे बिना उनको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए था लेकिन उसके पीछे पैसे का खेल है और जिन्होंने पदोन्नति की उन्होंने नियमों को नजरन्दाज किया।

(इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

जब मान्यवर, पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई हो तो किस तरह से हम किसी के होश में होने की बात करें। मान्यवर, यह जो लखनऊ में कारोबार पकड़ा गया, यह पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में चल रहा है और नकली दवाएं बेची जा रही हैं और वहां के ड्रग इन्स्पेक्टर्स आंखें बन्द किये हुए हैं क्योंकि उनकी जेब में पूरी सरकार मौजूद हो जाया करती है यह गंभीर विषय है । मान्यवर, यह बहुत दिनों से चला आ रहा है । लेकिन जो यह मौजूदा सरकार है और जिसके समय में यह बातें आ रही हैं उसको देखना होगा। मान्यवर, जो हैण्ड की कमी की बात है और जो दूसरे लेप्सेस हैं, और अवस्थापना सुविधाओं की कमी की बात है उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए । मान्यवर, ड्रग इन्स्पेक्टर्स की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और विजिलेन्स टीम का गठन करना चाहिए । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर जो जिले चिन्हित किये गये हैं उन स्थानों पर विशेष निगरानी के तहत छापा मारा जाना चाहिए ।

मान्यवर, लखनऊ में छापा पड़ा तो उसकी खबर बनारस में हो गई और जब बनारस में जांच हुई तो कुछ नहीं मिला ।.विभाग वालों ने ही वहां खबर कर दी । मान्यवर, सिर्फ पैसा प्राप्ति के लिए इतनी बड़ी गद्दारी देशवासियों के साथ हो रही है और आंखें बन्द करने से लोगों के शरीर में यह नकली दवाएं पहुंच रही हैं । मान्यवर, इस कारण से आज लोगों के स्वस्थ्य होने के स्थान पर उन्हें हानि हो रही है । सरकार इन सारे विषयों को गम्भीरता से ले और इस पर कार्यवाही करे ताकि लोगों को सही दवा मिल सके ।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ये नकली दवाओं का विषय जो माननीय चौधरी जी ने उठाया है, गंभीर विषय है और इस पर सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा । मान्यवर, जब व्यक्ति मौत और जीवन के बीच संघर्ष कर रहा होता है तो उसे लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत पड़ती है और समाचार पत्रों में यह पढ़ने को मिलता है कि दवाएं नकली निकली हैं । मान्यवर, जिस समय कोई भी व्यक्ति मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष कर रहा होता है वह उस समय पैसे का मुंह नहीं देखता है और उसके परिवार वाले यही सोचते हैं कि किसी तरीके से उस मरीज को बचाया जा सके लेकिन समाज के यह दुश्मन लोग जिनके साथ सख्त से सख्त कार्यदाही भी की जाये तो कम होगी, कुछ लाभ लेने के लिए नकली दवाओं को बाजार में उतार देते हैं और इतनी हैवानियत पर उतर आते हैं कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है ।

मान्यवर, में एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि इन दवाओं को लेकर कुछ लोग जिलाधिकारी के पास गये और उन्हें बताया कि यह नकली दवायें बन रही हैं और उन्हें सैम्पल भी दिये । मान्यवर, जिस समय कोई नकली दवा सैम्पल के रूप में किसी के पास लेकर आता है तो उसे बताना चाहिये कि वह कहां से लेकर आया है और उससे यह लोकेट हो जाता है कि वह दवा कहां से आयी है ? लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि वह सब सरकारी तन्त्र से कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं। मान्यवर, पिछले दिनों भारत सरकार में इसको बड़ी गम्भीरता के साथ लिया गया था और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जो लोग नकली दवाओं के बनाने में लिप्त पाये जायेंगे, उनको मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्था की जाये । मान्यवर, वह एक कानून भारत सरकार में बनना था लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वह उन्हें बनाना था । मान्यवर, ऐसे लोग जो इसमें पकड़े जायें तो उसमें एक समय सीमा कार्यवाही की बाबत तय होनी चाहिये जो लैप्स हैं वह दूर होने चाहिये और जो दवायें टेस्टिंग के लिये जायें उनकी रिपोर्ट दो-चार दिन के अन्दर आ जानी चाहिये।

होता क्या है कि सैम्पल्स की रिपोर्ट नहीं आती है और मुकदमे चलते रहते हैं और लोग कानून के शिकंजों से बच के निकल जाते हैं और उनको सजा नहीं मिल पाती है और इस कारण दूसरे लोग जो इस धन्धे में लिप्त हैं छूट जाते हैं । अगर एक आदमी को सख्त सजा मिलेगी तो वह दूसरे के लिए उदाहरण बनेगी । मान्यवर, प्रदेश सरकार के अन्तर्गत सजाओं को देने का अधिकार है, चाहे वह एन0एस0ए0 हो या रासुका हो, वह लगाया जा सकता है । क्योंकि इसमें गरीब आदमी जो पैसा इकट्ठा करके दवा लेने का काम करता है वह भुक्तभोगी होता है । सरकार इस पर ध्यान देकर सख्त कार्यवाही करेगी । ऐसी मेरी आशा है ।

***डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-**

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । अभी माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने लखनऊ की घटना का जिक्र किया । मान्यवर, इस तरह की घटना केवल लखनऊ में ही घटित नहीं हुई है यदि हम पिछले कुछ समय की घटनाओं का संज्ञान लें तो कितने समाचार पत्र में आया है कि लखनऊ में नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा गया, कानपुर में नकली दवाएं पकड़ी गयीं बिरहाना रोड, कानपुर की दवा मार्केट में नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा गया, दिल्ली में भागीरथ पैलेस में करोड़ों की नकली दवाएं मिलीं, उरई में हेल्थ कैप्सूल, सेक्स कैप्सूल, जोश कैप्सूल बनाने वाली कम्पनी के मालिक को बम्बई पुलिस ने गिरफ्तार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया । परसों महाराष्ट्र फूड एण्ड ड्रग एथारिटी ने जोनसन एण्ड जोनसन कम्पनी को बेबी आयल पर नोटिस दिया उसका कारण यह है कि इसमें 99.9 प्रतिशत लाइट लिक्विड पैराफीन है, जो नवजात शिशु के लिए रिकमण्डेड नहीं है । आये दिन इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं, विधान सभा में चर्चा भी होती है, बयान भी आते हैं लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है । कुछ दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया था कि कानपुर, आगरा, लखनऊ आदि शहर नकली दवाओं की मण्डी के रूप में चिन्हित हैं लेकिन उसके बाद क्या नतीजा हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम है ?

आज की जो स्थिति है उसमें है कि क्वालीफाइड डाक्टर को यह नहीं मालूम कि जो दवा वह लिख रहा है वह दवा की दुकान से असली मिलेगी या नकली और मरीज़ को भी नहीं मालूम कि वह जो दवा खा रहा है वह दवा उसे असली मिली है या नकली, उसकी समझ में तब आता है जब कोई फायदा नहीं होता है या मरीज को कोई रिएक्शन हो जाता है तब डाक्टर के संज्ञान में आता है । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सभा में घटिया तथा नकली दवाओं की समस्या को स्वीकार करते हुए बताया कि वर्ष 2003-2004 में 39,465 नमूने की जांच की गयी तथा 108 दवा के नमूने नकली पाये गये । इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अस्पताल में प्रयोग किये जाने वाले 35 प्रतिशत इन्जेक्शन असुरक्षित पाये गये, वह मानक के अनुरूप नहीं थे । इस सम्बन्ध में डा0 आर0 ए0 मशेलकर की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गयी हैं क्योंकि अब तक मात्र 9 राज्यों ने इस पर अपनी राय केन्द्र को भेजी है । हालात यहां तक है कि महामहिम उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी ने भी लखनऊ में 19 दिसम्बर को नकली तथा मिलावटी दवाओं पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी । अभी माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा मैं उससे हटकर उस सिस्टम की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें किसी सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं है न केन्द्र और न राज्य सरकार के ऊपर न पक्ष और विपक्ष पर, वास्तव में यह रेगुलेटरी सिस्टम फार ड्रग्स है इसमें बहुत कमियां हैं और उन कमियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है ।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि औषधियों के नियंत्रण की बात करें तो स्थिति यह है कि औषधियां केन्द्र तथा राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में है, दोनों की कनकरन्ट लिस्ट में है । समस्या की जड़ यही है इसका प्रत्यक्ष नतीजा है कि अधिमानक या नकली दवा जो किसी एक राज्य में बनाई गयी हों इसका इस्तेमाल तथा बिक्री देश के सभी राज्यों में होती है । अत: गुणवत्ता की जिम्मेदारी मात्र एक राज्य पर नहीं छोड़ी जा सकती है । दूसरा, विभिन्न राज्यों के पास औषधियों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए पर्याप्त संसाधन तथा प्रयोगशाला भी नहीं है, राज्यों के पास अन्य राज्य में उत्पादित दवा के सैम्पिल की अचानक जांच करने के मानक भी नहीं हैं । केन्द्र सरकार इनका नियंत्रण ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट, 1940 के अन्तर्गत करती है । यह जो एक्ट है, केन्द्र का, यह 1940 में बनाया गया था और राज्य की जिम्मेदारी इसके चैप्टर 4 के अन्तर्गत है और यही सबसे बड़ा लैकूना है, सबसे बड़ी कमी यही है । 1940 के एक्ट के आधार पर चैप्टर 4 में जो राज्य की जिम्मेदारी है । इसमें राज्य इसका फायदा उठाते हैं, बिना क्लीनिकल ट्रायल के, कि यह दवा सुरक्षित है या असुरक्षित ? इसमें फील्ड ट्रायल किया गया है कि नहीं, मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया है कि नहीं ? यह दवा फायदे की है या नुकसान की है ? कितनी प्रभावी है, यह काम्बीनेशन होना चाहिये या नहीं होना चाहिये ? यह सब चीजें नहीं देखी जातीं ।

बिना यह सब देखे राज्यों द्वारा इसका लाइसेन्स दे दिया जाता है । अधिकांशत: यह सारा कार्य पैसे के द्वारा होता है और इस प्रकार अप्रमाणित दवा अन्य राज्यों में बिकने लगती है । स्थिति इतनी

भयावह है कि आज मार्केट में 60 हजार से ज्यादा लाइसेंसी दवायें बिक रही हैं । जो विभिन्न जीवन रक्षक दवाइयां हों या अन्य मर्जों में इस्तेमाल किये जाने वाली दवाइयां हों । इन 60 हजार काम्बीनेशंस की जांच करना किसी राज्य के बूते की बात नहीं है । इसमें मेरा तो कहना यह है कि यह जो ड्रग एंड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 है, यह बहुत पुराना हो गया है, यह आब्सलीट हो गया है और यदि आप 1940 का परिदृश्य लें तो आज 2005 में यह अप्रभावी हो गया है । इसी के साथ-साथ कुछ समस्या राज्यों की भी है । 1940 की दवाओं की संख्या और 2005 की दवाओं की संख्या में जमीन आसमान का अन्तर है । राज्यों में यह जांच कार्य स्टेट ड्रग कंट्रोलर के अधीन है लेकिन उनके पास न आधुनिक लैब है न क्षमता वाले वैज्ञानिक । कई तो कार्यरत वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने इन केमिकल कम्पाउण्ड के नाम न तो पढ़े हैं और न सुने हैं । स्टाफ की कमी है और जितनी संख्या में दवायें हैं, रोज नई-नई कम्पनियां आ रही हैं, नये-नये दवाओं के ब्रांड आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करने के राज्य में संसाधन हैं ही नहीं । यदि कहीं कुछ है तो वहां इच्छाशक्ति का अभाव है । अगर हम लोग दवाओं की बिक्री की तरफ जायें तो यहां धन कमाने की होड़ है और जहां पर जांच निरीक्षकों की बात आती है, मौत के सौदागर उनको भी धन का लालच देकर खरीद लेते हैं ।

जांच करने के लिये जो केमिकल होने चाहिये, उनका भी अभाव है, इसके लिये पर्याप्त बजट नहीं है । मान्यवर, जहां केमिस्ट की दुकान होती है, वहां पर नियमानुसार एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता और दवाओं की गुणवत्ता की जांच नहीं होती और वह केमिस्ट ज्यादा मार्जिन और ज्यादा कमीशन की चाह में अधोमानक दवायें बेचने लगता है । धन की चाह में वह यह भी नहीं सोचता कि वह मौत बेच रहा है और रही सही कसर वह लोग पूरी कर देते हैं जिनके पास एलोपैथी के किसी शिड्यूल की मान्यता प्राप्त कोई डिग्री नहीं पर धड़ल्ले से वह एलोपैथी दवायें लिखते हैं और एजेन्टों से खरीदकर गरीब मरीजों को डिस्पेंसिंग करते हैं । इतना ही नहीं 5-5 रुपये में बिहार निर्मित ग्लूकोज की बोतलें यह लोग खरीद रहे हैं और गरीब लोगों को चढ़ा रहे हैं । इसमें मेरा यह कहना है कि यह एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है, इसके लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जाय । नेशनल ड्रग एथारिटी बनायी जाये और सिर्फ इसी को ड्रग लाइसेंस देने का अधिकार हो । पुराने घिसे-पिटे कानून निरस्त कर इस नेशनल ड्रग एथारिटी को आज की आवश्यकता के अनुरूप जांच तथा मानकीकरण के अधिकार प्राप्त हों । साथ ही कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा तथा आर्थिक दण्ड के अधिकार प्राप्त हों । इसके अलावा राज्यों के जो अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों में शिथिलता बरतें, उन्हें भी दंडित किया जाय, तभी कुछ संभव है । राज्य इन कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे तथा मौत की दवायें बेचने वालों के लिए कठोरतम दंड जैसे रासुका की कार्यवाही हो तथा निर्माता को फांसी का दंड हो । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । मैं केवल 4-5 सुझाव देना चाहूंगा । सबसे पहले तो चाहे एलोपैथिक दवा हो, आयुर्वेदिक दवा हो, यूनानी हो ? होम्योपैथिक हो, उसकी जांच के लिए ड्रग कंट्रोलर की अपनी खुद की लैब होनी चाहिये और वह जन विश्लेषक प्रयोगशाला पर निर्भर न रहे । अगर सही मायने में नकली दवाओं पर नियंत्रण करना है तो यह लैब अवश्य होनी चाहिये । मेरा दूसरा सुझाव है कि प्रदेश में जो नगर निगम तथा स्थानीय निकाय हैं, उनके द्वारा जो दवा के नाम पर फूड लाइसेंस के अन्तर्गत जो लाइसेंस दिये जा रहे हैं, बी-6, बी-12 उनका गलत तरीकों से इस्तेमाल करके लाइसेंस दिया जा रहा है ।

फूड लाइसेंस के नाम पर औषधि या औषधि जैसी ही अन्य चीजों का लाइसेंस देने का कार्य स्थानीय निकायों से छीना जाना चाहिये । फूड प्रोडक्टस के नाम पर बढ़िया पैकिंग में जो चीजें आ रही हैं, वह नकली दवाओं का कारण है । अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में इसी सदन में यह बात आई थी कि सरकार के जो लैब हैं जबकि उसके लिए जी0एम0पी0 स्टैण्डर्ड की लैब होना जरूरी नहीं है । प्राइवेट निर्माता के यहां होनी चाहिये या अन्य किसी जी0एम0पी0 स्टैण्डर्ड की प्राइवेट लैब से अनुबंध रखने की इसमें शर्त है और उस लैब का निरीक्षण लाइसेन्सिंग अथारिटी के द्वारा किया जाता है, तब सरकार के द्वारा यह उत्तर देना कि सरकार की जो लैब है, उस पर जी0एम0पी0 की बाध्यता नहीं है, यह ठीक नहीं है । किसी कानून में ऐसा प्राविधान नहीं है कि कोई लैब जी0एम0पी0 के मानक के अनुरूप नहीं होगी । इसलिये ड्रग कंट्रोलर की अपनी लैब होनी चाहिये जो अप्रत्यक्ष रूप से फूड लाइसेंस दिये जा रहे हैं, उसे बन्द किया जाना चाहिये । इसमें मान्यवर, एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जब सब जगह पर ऑनलाइन की व्यवस्था की जा रही है तो फिर राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोलर को भी ऑनलाइन से जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि किसी गलत व्यक्ति को लाइसेंस न दिये जा सकें । आज की जो स्थिति है, उसके आधार पर हम औषधियों के सभी सैम्पिलों को टेस्ट नहीं कर पाते हैं, 100 में से केवल 40 सैम्पिलों का टेस्ट होता है और 60 सैम्पिल टेस्ट नहीं हो पाते हैं । इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सभी ड्रग कंट्रोलर के पास लैब की व्यवस्था हो ताकि सौ में से पूरे सौ सैम्पिलटेस्ट हो जाएं और उसके बाद जिसका सैम्पिल खराब निकले, उसके लिए सीधे मौत की सजा से कम कोई सजा न हो, सरकार को अपने इस दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पांच मिनट समय और बढ़ा दें कम से कम पूरी बात तो आ जाए, अब तो सदन भी जल्दी खत्म हो रहा है । मान्यवर, ड्रग लाइसेन्स अथारिटी के बारे में मैं बता रहा हूं कि विधायकों के फर्जी पत्रों पर इनका विभाग लाइसेंस निर्गत कर रहा है और इसके बाद भी ड्रग इंस्पेक्टर के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है । मैं आपको बता दूं कि 326/04 थाना देहली गेट मेरठ के विधायक के पत्र पर ड्रग आफिस, मेरठ के शुक्ला क्लर्क द्वारा पी0 एल0 शर्मा अस्पताल मेरठ को जारी फर्जी लाइसेंस का प्रकरण पुलिस जांच में सामने आया है, वह कोर्ट में चार्जसीटेड हैं, परन्तु अभी तक उन्हें निलम्बित नहीं किया गया है तो नकली दवाएं नहीं बिकेंगी तो क्या असली दवाएं बिकेंगी ?

लखनऊ में नकली दवाएं बेचने विषयक चर्चा पर समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी क्या आप समय बढ़ायेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस चर्चा के लिए 10 मिनट का समय बढ़ा दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इस चर्चा के लिये 10 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जनपद लखनऊ में नकली दवाएं बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, आम जनता के जीवन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर श्री श्यामदेव राय चौधरी के चर्चा प्रस्ताव में आदरणीय चौधरी साहब द्वारा, सतीश महाना जी द्वारा, डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा जी द्वारा और डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी द्वारा काफी व्यापक विचार माननीय सदन के सामने रखे गये हैं। मैं इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि यह जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और दवा ऐसा बिन्दु है जिससे आदमी का साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है । यह भी कहना सही है कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को जो अंतिम सांसें गिन रहा होता है उस समय उसके उपचार में नकली दवा के रूप में, यदि जहर दे दिया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है । यह एक गंभीर बात है और इसे हम अपराध मानते हैं, इसलिए हम चिन्तित और संवेदनशील हैं ।

मान्यवर, इसमें दो-तीन बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा । पहले जो नकली दवाओं का उत्पादन और विक्रय हो रहा है उसको प्रभावी तरीके से किस तरह से रोकने की व्यवस्था सरकार कर रही है ? मान्यवर, उसके लिए जो दवाओं के नमूने लिये जा रहे हैं, उसमें जो हमारे जन विश्लेषक प्रयोगशालायें हैं, उनकी क्षमता वृद्धि करके एक निश्चित समयावधि में परिणाम देने के लिए व्यवस्था की जायेगी । इसके लिए सरकार प्रयासरत व संवेदनशील है । जिस प्रकरण को ले करके आज चर्चा लगायी गयी है, उस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी समझता हूं । 10 तारीख को विश्वस्त सूत्रों से नकली दवाओं के ले जाने की सूचना सी0बी0आई0 की टीम को मिलती है । सी0बी0आई0 की टीम लखनऊ में आती है और हमारे ड्रग कंट्रोलर से सम्पर्क करती है और ड्रग कंट्रोलर के साथ तीन अन्य अधिकारी जाते हैं और नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ कार्यवाही होती है, उन्हें जेल भेजा जाता है । कई स्टैण्डर्ड कम्पनियों के नाम से नकली दवाओं की पैकिंग पकड़ी जाती है । सी0बी0आई0 टीम के एस0पी0 ने जो मेमोरेण्डम कम सीजर मैमो बनाया है, उसको अगर आप देखें तो जो हमारे ड्रग कंट्रोलर या ड्रग अथारिटीज हैं, उनकी गुणवत्ता, पारदर्शिता, कार्यशैली पर निश्चित रूप से प्रश्नचिन्ह अपने आप हट जाती है । उसमें कहा गया है कि "द ड्रग कंट्रोलर उ0प्र0 वाज कान्टैक्टेड एण्ड रिक्वेस्टेड टू डिप्यूट काम्पीटेण्ट आफीसर्स फार टेक्रिंग नेसेसरी लीगल एक्शन । ही इमीडियेटली डिप्यूटेड एण्ड डाइरेक्टेड हिज सबार्डिनेट आफीसर्स नेमली श्री ए0 एल0 आर्या, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, लखनऊ डिवीजन, श्री एल0 के0 सिंह एण्ड संजय बोथ ड्रग इंस्पेक्टर्स लखनऊ टू टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ ।"

मान्यवर, हमारे ड्रग अथारिटीज ने सी0बी0आई0 को भरपूर सहयोग दिया । नकली दवाओं को पकड़वाने में क्या कार्यवाही की गयी ? मान्यवर, हमें चिन्तित और संवेदनशील होना पड़ेगा कि सरकार ने इस तरह से नकली दवाओं के बनाने वालों को, नकली दवाओं के बेचने वालों को हतोत्साहित करने के लिए कठोर रूप से दण्डित करने के लिए प्रयास किया है और तमाम तरीके से हमने काम किया है।

जिलों में टास्क फोर्स बनाया है, गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था की है, हमने एल0आई0यू0 से रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश भी जारी किये हैं । प्रभावी कार्यवाही करने के लिए हमने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन करने का काम किया है । दूसरी तरफ ऐसे लोग, ड्रग इंस्पेक्टर या अन्य संबंधित लोग, जिनको सरकार यह मानती है दोषी है, अगर उनको आरोपित किया जाता है ? किसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है ? उन्हें स्थानान्तरित किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाही की जाती है या मान्यवर, जब सरकार का नकली दवाएं बेचने व बनाने वालों पर शिकंजा कसना शुरु होता है ? तो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं । अगर हम मौत के सौदागरों को दण्ड दिलाना चाहते हैं और हमारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सदन में बैठे हुए कुछ लोग जो सदन में बड़े जोर से चर्चा रखते हैं और कहते हैं कि नकली दवाएं बेचने व बनाने वालों को मृत्यु दण्ड दिया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, 1940 का कानून बदला जाए, ऐसे लोग अपने पत्रों के माध्यम से इन मौत के सौदागरों को संरक्षण देने का काम करते हैं । मान्यवर, जब तक हमारी कथनी और करनी में एकरूपता नहीं होगी तब तक हम इन मौत के सौदागरों को कठोर दण्ड नहीं दिला सकते हैं । सरकार ने प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करेगी कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके दण्ड दिया जाए । हमारे जनप्रतिनिधि जो यहां आज मृत्यु दण्ड देने की बात कर रहे हैं उनके कुछ कारनामों को उजागर करना चाहूंगा ।

सोनीपत में सी0बी0आई0 छापा मारती है वहां पर यूनीकेम, ग्लेक्सो कम्पनी की नकली दवाओं का जखीरा मिलता है और गिरफ्तारी होती है । जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है वह सी0बी0आई0 को बयान देता है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बनारस जिले में नकली दवाओं की आपूर्ति की जाती है । इसी आधार पर जब सी0बी0आई0 लखनऊ में छापा मारती है और हमारे विभाग को सूचित करती है और हमारा विभाग सी0बी0आई0 को सहयोग करता है तो लखनऊ में छापा मारने की सूचना बनारस के लोगों को पहुंचा दी जाती है जिससे वहां की सारी नकली दवाइयां हटा दी जाती हैं । वहां एक ड्रग इंस्पेक्टर श्री बी0 के0 वसु हैं, वह इन्हीं लोगों की संस्तुति पर 1980-85 तक वहां तैनात रहे। 1985-92 तक वह दूसरे जिले में तैनात रहे लेकिन उनके पास अतिरिक्त चार्ज के रूप में पहले वाला जिला भी उनके पास रहा । यहां बैठे हुए सदस्य की चिट्ठी से यह बात साबित हो जाती है । उन्होंने उस ड्रग इंस्पेक्टर के लिए लिखा है कि उससे ईमानदार और अच्छा काम करने वाला इंस्पेक्टर और कोई नहीं हो सकता है । इसी ड्रग इंस्पेक्टर के इशारे पर सारी नकली दवाएं वहां से हटा दी गयी थीं जो वर्षों तक वहां तैनात रहा है (शेम-शेम की आवाजें) तो मेरा कहना यह है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए । सरकार ऐसे लोगों, जो इस धन्धे में लिप्त हैं, उनको कठोर दण्ड देगी । जो लोग यह जहर बेच रहे हैं और नकली दवाएं बेचने का काम कर रहे हैं हमने उनको एन0एस0ए0 के अन्तर्गत जेल भेजने का काम किया है । मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में प्रतिभा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर कम्पनी है । गाजियाबाद जनपद में लाखों रुपये की नकली दवाइयां पकड़ी गईं ।

लखनऊ में नकली दवाएं बेचने विषयक चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

क्या समय बढ़ाने का प्रस्ताव कर दें क्योंकि समय समाप्त हो रहा है ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

थोड़ा समय बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

कृषि मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस चर्चा के लिए 10 मिनट समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इस चर्चा के लिए 10 मिनट का समय बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जनपद लखनऊ में नकली दवाएं बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

अभी चर्चा में यह बात आई थी कि पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों में नकली दवाइयों का जखीरा चिन्हित किया गया है । महाना साहब बता रहे थे हम लोगों ने निश्चित रूप से इस तरह के जिले चिन्हित किये थे जहां व्यापक स्तर पर इस तरह की नकली दवाइयां बेची जा रही थीं हमने ऐसी जगहों पर कार्यवाही की है । गाजियाबाद जनपद, कानपुर जनपद में विभिन्न जगहों में छापे डाले गये थे और कुछ दवा उत्पादक पकड़े गये थे जिनके खिलाफ हमने कार्यवाही की है और उनको जेल के सींखचों तक पहुंचाने का काम किया है । यह उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है । आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर इन सब जगहों में तमाम मैन्यूफैक्चरर और बड़े कारोबारियों के यहां जहां अधोमानक दवाइयां बरामद हुई उन सबके खिलाफ कार्यवाही की है और उनको विभिन्न धाराओं में जेल भेजने का काम किया है । तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो सदन में बार-बार कही जा रही है कि दवाओं के जो नमूने लिये जाते हैं उन सबका विश्लेषण नहीं हो पाता है क्योंकि लैबोरेटरी में कर्मचारियों की कमी होने के कारण पूरी क्षमता से वह काम नहीं कर पा रही है । इसे मैं आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं क्योंकि यह पूर्ववर्ती सरकारों का मिला हुआ तोहफा है । लेकिन इस संबंध में तात्कालिक व्यवस्था करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है जिसकी हमने बजट में घोषणा की थी हम पूर्वांचल की एक लैब को और पश्चिम की एक लैब की क्षमता बढ़ाने का काम करेंगे इसके लिए बजट में प्राविधान किया गया है । मेरठ की लैब व बनारस की लैब के उच्चीकरण के लिए बजट में प्राविधान किया गया है । लखनऊ की लैब में पिछले साल ही 16,216 नमूनों का परीक्षण कराने का काम हुआ है । ड्रग इंस्पेक्टर के 64 पद स्वीकृत हैं जिसमें 47 लोग कार्यरत हैं 17 पद रिक्त चल रहे हैं उनको भरने के लिए अध्याचन भेजा हुआ है और अलग से भी निवेदन किया है कि यथाशीघ्र उनको भरने का काम करें । अगर वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है । सरकार ने निर्णय लिया है कि हर मण्डल में ड्रग लाइसेंस एथारिटी बने, जहां डाक्टर या इस तरह के कोई अधिकारी हों जो ड्रग लाइसेंस एथारिटी के अधिकारी बनने की योग्यता रखते हों । हमने कुछ लोगों को बनाया है । भविष्य में और

लोगों को बनाने जा रहे हैं । लखनऊ लैबोरेटरी के सुदृढ़ीकरण के लिए 66.62 लाख रुपये व इसी तरह से गोरखपुर जो सीमावर्ती जिलों की लैबोरेटरी है उसके उच्चीकरण की योजना पर काम शुरु हो रहा है । हम यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में 5 लैबोरेटरीज भारत सरकार के सहयोग से बनें । हम इसके लिये प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही इसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो जायेगी । लखनऊ लैबोरेटरी में हमने एक संयंत्र की स्थापना इस वर्ष की है जिससे नमूनों की टेस्टिंग की क्षमता बढ़ने का काम होगा । हॉट एयर ग्लास खरीदने की व्यवस्था की है ताकि हमारे यहां जो नमूने आते हैं उनके परीक्षण में विलम्ब न हो ।

हम माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार इसके प्रति सजग और संवेदनशील है और चाहती है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को मानक द्वारा निर्धारित गुणवत्ता की दवा उपलब्ध हो । अधोमानक दवा न मिले । इसके लिये सरकार को जो करना पड़ेगा वह करेगी । जो माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिये गये हैं उनकी तरफ विचार किया जायेगा । माननीय वाजपेयी जी ने बताया कि मेरठ के एक अभियोजन की बात है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी प्रकरण आपके संज्ञान में है और आप अवगत करा देंगे तो उसकी जांच की जायेगी और उस पर कार्यवाही करने का काम हम करेंगे । माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी, वाजपेयी जी और अन्य सदस्यों ने जो सुझाव दिये, जहां कहीं कमियां रही हैं उन पर विचार करके उनको दूर करने का प्रयास करेंगे । उत्तर प्रदेश सरकार दवाओं की गुणवत्ता के प्रति कृतसंकल्प है । जो भी लोग इस कारोबार में लगे हैं, मुनाफाखोरी के दृष्टिकोण से नकली दवा बेचने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने में हिचकेगी नहीं। मैं इधर बैठे हुए और उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आपका समर्थन और सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो हम इसमें सुधार नहीं ला पायेंगे । मैं आप सब जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि जो अधिकारी इस तरह के काम में लिप्त हैं, इसमें सहयोग करते हैं उन्हें आप संरक्षण देने का काम न करें । मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि अगर पूरे सदन का सहयोग हमको मिलेगा तो कार्ययोजना जो सरकार ने बनाई है उसको पूरा कर पायेंगे और इसमें सुधार कर सकेंगे ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं उस बात को अभी भी बल दे रहा हूं कि जो नकली दवा बना रहे हैं उनको बचाने में जो लोग सहयोग कर रहे हैं चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे ड्रग कंट्रोलर और अन्य लोग हों, उनके साथ सरकार कठोर से कठोर कार्यवाही करे तो विधिक तरीके से कर सकती है । मेरी समझ से इस माननीय सदन के सदस्य इसमें आड़े नहीं आयेंगे, किसी की ऐसी भावना नहीं होगी । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने फांसी देने की बात कही । मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वे इसका स्पष्टीकरण देंगे और माननीय सदस्यगण लेंगे । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने एक फर्म मैसर्स मोरेसी लैबोरेटरी का नाम लिया था कि वो दो दवायें गैटीमोर टेबलेट और गैटीमोर सीरप बनाती है । क्या उसने औषधि महानियंत्रक भारत सरकार से जो अनुमति लेनी चाहिए थी और उसके एवज में जो प्रत्येक आइटम के लिये 50 हजार रुपया शुल्क जमा करना चाहिए था वह किया कि नहीं ? क्या सरकार जांच करायेगी कि इस फर्म में इन दोनों प्रोडक्टों की मार्केटिंग करने से पहले भारत सरकार के औषधि महानियंत्रक से अनुमति ली और इसके बारे में जो निर्धारित शुल्क 50 हजार रुपये प्रति आइटम जो जमा करना था वह किया । अगर नहीं किया तो सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री सतीश महाना-

सब सदस्यों की बात पहले सुन लें फिर जवाब दे दें ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने केवल फूड ग्रेड के नाम पर जो दवा फर्में बना रही हैं, स्थानीय निकाय से प्रमाण पत्र लेकर जो 10 रुपये में उसको कर देते हैं । वह बी-1, बी-12 आदि चीजों... ।

लखनऊ में नकली दवाएं बेचने विषयक चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष-

समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव कर दें ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नगर निकायों से फूड ग्रेड के नाम पर लाइसेंस लेकर कार्य हो रहा है, इस पर विचार कर लें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 10 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव राजस्व मंत्री द्वारा किया गया है उससे यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जनपद लखनऊ में नकली दवाएं बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं सरकार इस तरह की व्यवस्थाओं को ठीक करने पर विचार करेगी ? राष्ट्रीय औषधि नियंत्रक हैं और प्रदेश के औषधि नियंत्रक हैं इसमें दवाओं के नाम पर घटकों का तालमेल नहीं हो रहा है तो क्या सरकार अगर कोई दुकान, ड्रग लाइसेंस के लिए एप्लाई करे, वह घटक का कोई नाम बताये तो इंटरनेट पर डालकर देख लें कहीं और कहीं इस घटक का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है ? कहीं इसके दुष्परिणाम तो सामने नहीं आ रहे हैं । यह व्यवस्था सरकार कर ले, वह देखे कि गुजरात या सोनीपत के द्वारा इसको रोकने का काम तो नहीं किया गया है ? मान्यवर, इसी तरह से जो फार्मेसिस्ट होने चाहिए, मेडिकल स्टोर 100-200 रुपये देकर उनके नाम पर चल रहे हैं तो या तो इस प्राविधान को समाप्त करें या फिर व्यवस्था ठीक करें ? इस पर मंत्री जी कुछ कहेंगे तो अच्छा होगा । मेरा कहना है कि सभी समस्याओं की जड़ हमारी लैब हैं हमारी लैब अगर मानवीय संसाधनों से, उपकरणों से युक्त होंगी तो इसमें नमूने की जांच होगी और प्रमाणिकता होगी । मैंने चार बातें कहीं ड्रग कंट्रोलर के बारे में कहा फूड ग्रेड के नाम पर दवाएं दी जा रही हैं । ऑनलाइन व्यवस्था की बात कही । प्रमाणिकता की बात कही । इस पर सरकार विचार कर लेगी तो अच्छा होगा ।

***श्री सतीश महाना-**

मान्यवर, यहां जिस समय नकली दवाओं पर चर्चा हो रही थी । तब वहां से प्रारम्भ में बात कही, राजनीति से ऊपर उठकर, माननीय मंत्री जी ने कहा, अच्छी बात कही । जो कार्यवाही कर रहे हैं उसके लिए उनको साधूवाद । जो दूसरों के जीवन के साथ खेल रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही करना अच्छी बात है । उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं । मंत्री जी ने कहा बनारस के ड्रग इंस्पेक्टर को संरक्षण दिया गया । उसकी जांच हुई । लखनऊ में जांच हुई । उसका नाम वासु बताया गया । माननीय मंत्री जी ने उस ड्रग इंस्पेक्टर को दोषी पाया, एक ड्रग इंस्पेक्टर को दोषी पाया गया तो और भी हो सकते हैं ? मैं कहना चहता हूं कि जिसने उस ड्रग इंस्पेक्टर को संरक्षण दिया उसके लिए एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाए । उसको निलम्बित कर दिया गया । जब यह कह दिया गया कि जिम्मेदारी है तो क्या जिम्मेदारी फिक्स की गई ? उसकी रिपोर्ट लिखाकर क्या उसे जेल भेजने का काम किया जायेगा । संरक्षण देने वाले को, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन जिन्होंने ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम किया इसकी कितनी लम्बी सूची है । इस तरह से लोगों के जीवन पर हमला करने का काम जो लोग कर रहे हैं...।

श्री उपाध्यक्ष-

बात आ गई है ।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात है । मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए । मंत्री जी को जवाब देने दीजिए, जिसको भी संरक्षण दिया गया है, आपके पास पत्रावली होगी, अगर आपने उस व्यक्ति को दोषी मान लिया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और जिसने भी ऐसे गलत आदमी को संरक्षण दिया, ऐसे कौन लोग हैं ? जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर आप समुचित कार्यवाही कराने का काम करें ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, सबसे पहले जो आदरणीय चौधरी जी ने मैसर्स मोरसी लैबोरेटरी के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है, जिसके कारण राजस्व की हानि प्रदेश सरकार को हुई है, इसको हम दिखवा लेंगे अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही करायेंगे । माननीय वाजपेयी जी ने भी कई बिन्दु उठाये हैं, जो फूड सप्लीमेंट के लाइसेंस का मामला उन्होंने उठाया है, उसके सम्बन्ध में तथा और भी जो बिन्दु उठाये हैं, उसके बारे में सरकार बहुत गम्भीर है । इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनमें कहीं न कहीं खामियां हैं इन सबको मद्देनजर रखते हुए 16 मार्च, 2005 को एक कमेटी बना दी गई है । यह कमेटी सामान्यजन द्वारा उपयोग की जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने तथा औषधियों के उत्पादन/विक्रय के नियमित और प्रभावी अनुश्रवण के दृष्टिकोण से एक स्पष्ट औषधि नियंत्रण नीति सृजित करने के सम्बन्ध में अपने आवश्यक सुझाव और संस्तुति उपलब्ध करायेगी । इस कमेटी का अध्यक्ष, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को बनाया गया है । महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, डा0 नित्यानन्द, पूर्व निदेशक, सी0डी0आर0ई0, लखनऊ और डा0 रंजीत राय चौधरी, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलाजी विभाग, पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ को सदस्य बनाया गया है । निदेशक, स्वास्थ्य उ0 प्र0 इसके सदस्य सचिव होंगे । इसके अतिरिक्त महाप्रबन्धक, यू0पी0डी0पी0एल0,

लखनऊ, प्रो0 आर0 एन0 मिश्रा, प्रोफेसर क्लीनिकल इमोन्यूलॉजी विभाग, पी0जी0आई0, लखनऊ, औषधि नियंत्रक, उ0प्र0, अध्यक्ष, केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, लखनऊ और अध्यक्ष ड्रग्स मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन, कानपुर इस कमेटी के सदस्य होंगे । यह समिति यथासम्भव 15 दिन के अन्दर अपनी आख्या शासन को प्रस्तुत करेगी और जो भी इस कमेटी की संस्तुतियां होंगी उसका सरकार संज्ञान लेगी और उस आधार पर पूरा मामला ड्रग नीति के लिये जायेगा । मुझे खुशी होगी और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप किसी सदस्य का नाम दे दें जो इस बारे में अच्छा ज्ञान रखता हो, उसको भी सदस्य नामित कर देता हूं ।

श्री सतीश महाना-

दोनों तरफ से एक-एक सदस्य को इसके लिए नामित कर दें ।

श्री जयवीर सिंह-

ठीक है, दोनों ओर से एक-एक सदस्य को नामित कर लेते हैं । यह समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी और उस रिपोर्ट/संस्तुति का सरकार पूरा संज्ञान लेगी । इसके साथ-साथ वाजपेयी जी ने एक और चिन्ता प्रकट की है कि औषधि नियंत्रक द्वारा जारी की जाने वाली दवा के घटकों की पूरी जानकारी के लिए इण्टरनेट की मदद ली जाए । इस पर कार्य चल रहा है और निकट भविष्य में यह व्यवस्था हो जायेगी । मान्यवर, साथ ही एक मुद्दा और आया था, जिस पर हम जाना नहीं चाहते थे और अब भी मेरा यही मानना है कि किन जनप्रतिनिधि ने संरक्षण दिया था, उस फूड इंस्पेक्टर को ? यदि बता दूंगा तो सदन का माहौल खराब होने की बात आ जायेगी, यह मैं नहीं चाहता । सारी चीजों की प्रमाणिकता हमारे पास है । लेकिन हम माननीय जनप्रतिनिधियों से यह सहयोग चाहते हैं कि इस तरह की कालाबाजारी करने वाले भ्रष्टाचारियों को संरक्षण न दें । इसके लिए हमें सभी सदस्यों से सहयोग चाहिए, ड्रग नीति के सम्बन्ध में सरकार पूरी तरह संवेदनशील है । मान्यवर, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों का जो दिशा-निर्देशन मिला है उससे हम इस भ्रष्टाचार और नकली दवाओं का जो मामला है, यह जो पाप किया जा रहा है इसको जड़ से समाप्त करने का काम करेंगे । धन्यवाद ।

"इस सदन का निश्चित मत है कि माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिए एक सुनिश्चित एवं समयबद्ध योजना बनायी जाय" विषयक डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

***राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया आप इस चर्चा को आगे के लिए टाल दें । आप इसको जारी रहने दें ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि 'इस सदन का निश्चित मत है कि माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिए एक सुनिश्चित एवं समयबद्ध योजना बनायी जाय।'

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, वर्ष 1952 में आचार्य श्री नरेन्द्रदेव कमेटी गठित हुयी थी । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा को जारी रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, यह चर्चा जारी रहेगी ।

"इस सदन का निश्चित मत है कि वाराणसी में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु कमच्छा स्थित पुराने पावर हाउस के भूखण्ड पर 132 के0वी0 के एक नये विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जाय" विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि 'इस सदन का निश्चित मत है कि वाराणसी में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु कमच्छा स्थित पुराने पावर हाउस के भूखण्ड पर 132 के0वी0 के एक नये विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण किया जाये ।'

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वाराणसी एक महत्वपूर्ण नगर है, धार्मिक दृष्टि से भी, पौराणिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी और यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी है ।

***राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा को आगे जारी रखा जाये ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह चर्चा जारी रहेगी ।

श्री अध्यक्ष-

श्री सुखदेव राजभर जी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष-

श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी नहीं हैं ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं इसे प्रस्तुत कर दूंगा । वह मुझसे कह गये हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह आप नहीं रख सकते ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष-

श्री जगदीश नारायण जी नहीं हैं ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश से लोक सभा, विधान सभा, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के निर्वाचनों में उपलब्ध स्थानों में अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण उपलब्ध कराया जाय" विषयक श्री अक्षयवर लाल जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अक्षयवर लाल गौड़-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि 'यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश से लोक सभा, विधान सभा, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के निर्वाचनों में उपलब्ध स्थानों में अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण उपलब्ध कराया जाये ।'

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा जारी रहेगी ।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) प्रणाली लागू न की जाय" विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल के संकल्प को उनके द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत सदस्य डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी माननीय श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी ने लिखित रूप में कहा है कि माननीय डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी उनके संकल्प को प्रस्तुत कर दें ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपका निर्णय विवेकपूर्ण होगा और आपका निर्णय मानेंगे । लेकिन मान्यवर, संकल्प प्रस्तुत करने के लिए किसी को अधिकृत किये जाने का दृष्टांत इसके पहले कहीं नहीं है और मान्यवर, आगे की मद भी ले ली हैं । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि यह नई परम्परा न बन जाये ।

श्री अध्यक्ष-

वाजपेयी जी, आप संकल्प प्रस्तुत करें ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) प्रणाली लागू न की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी । आगे मद संख्या-19 में अभी नियम-51 की सूचनाएं टाइप नहीं हुयी हैं वह टाइप हो रही हैं । तब तक हम अगली मद संख्या-20 ले लेते हैं ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रामगढ़ स्थित ग्राम समाज की जमीन को भू-माफियाओं द्वारा फर्जी पट्टा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें स्थगन आया है ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर स्थगन करना चाहते हैं तो इसे मंगलवार को लगा दें ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है ।

उत्तर प्रदेश होम गार्डस का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने एवं अधिवर्षता आयु साठ वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अरुणा कुमारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर होम गार्ड मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमती अरुणा कुमारी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत...।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

[अवैतनिक होमगार्डस की समस्याओं के सम्बन्ध में निम्नवत् वक्तव्य की मांग की गई है :--

(1) होमगार्डस स्वयं सेवकों को मिलने वाला ड्यूटी भत्ता रु0 85/-से बढ़ाकर रु0 150/- प्रतिदिन किया जाय तथा सभी होमगार्डस स्वयंसेवकों को नियमित ड्यूटी प्रदान की जाय ।

(2) होमगार्डस के अवैतनिक अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु वैतनिक अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाय ।

(3) होमगार्डस के अवैतनिक अधिकारियों का मानदेय रु0 200/-, रु0 250/- व 350 रुपये से बढ़ाकर रु0 1000/-, रु0 1500/-, रु0 2000/- किया जाय ।

होमगार्डस संगठन एक स्वयं सेवी संगठन है और इसकी रूपरेखा भारत सरकार द्वारा निर्धारित है । अवैतनिक सदस्यों की नियुक्तियां उत्तर प्रदेश होमगार्डस अधिनियम, 1963 में निहित व्यवस्थाओं

नोट :---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार तीन वर्ष के लिए की जाती है । इस संगठन के अवैतनिक सदस्यों का मुख्य कार्य कानून-व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस बल की सहायता करना है । अवैतनिक सदस्य पूर्णकालिक राज्य सेवक नहीं होते, बल्कि उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण दिये जाने के उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी पर बुलाया जाता है, जिस हेतु उन्हें ड्यूटी अवधि में शासन द्वारानिर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाता है ।

उपर्युक्त बिन्दु-1, 2 एवं 3 के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :--

(1) होमगार्डस स्वयं सेवकों को वर्तमान में जनपदीय ड्यूटी के लिए रु0 85/- प्रतिदिन एवं अन्तर्जनपदीय ड्यूटी के लिए रु0 90/- प्रतिदिन प्रति होमगार्ड कर दर से ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए होमगार्डस स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता रु0 150/- किया जाना सम्भव नहीं है । होमगार्डस संगठन में कुल 1,17,009 होमगार्डस स्वयंसेवक स्वीकृत हैं, जिनमें से अधिकतम 24,600 की संख्या के अन्तर्गत प्रति दिवस ड्यूटियों पर नियोजित किये जाते हैं । इस निर्धारित संख्या से अतिरिक्त आवश्यकता पर होमगार्डस स्वयं सेवकों की संख्या को स्वीकृति कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस, उ0प्र0 के स्तर से की जाती है । इन होमगार्डस स्वयंसेवकों को चक्रानुक्रम में ड्यूटियों पर नियोजित किया जाता है । अत: सभी होमगार्डस स्वयंसेवकों को नियमित ड्यूटी प्रदान किया जाना शासन की नीति के अनुकूल नहीं है ।

(2) अवैतनिक होमगार्डस स्वयंसेवक पूर्णकालिक राज्य सेवक नहीं होते हैं । अत: इनकी अधिवर्षता आयु वैतनिक अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है तथापि इनकी अधिवर्षता आयु 58 से 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से परामर्श किया जा रहा है । भारत सरकार का परामर्श प्राप्त होने पर परामर्शानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(3) होमगार्डस के अवैतनिक अधिकारियों का मानदेय प्रतिमाह रु0 200/-, रु0 250/- व रु0 350/- निर्धारित है, जो पर्याप्त है । प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इनका रु0 1000/-, रु0 1500/- व रु0 2000/- किया जाना सम्भव नहीं है ।]

राजकीय इण्टर कालेजों में कक्षा 9, 10 एवं 6, 7, 8 की नीति के तहत असेवित कन्या इण्टर कालेजों की उक्त कक्षाओं में भी नीति लागू किये जाने के संबंध में श्री छोटे लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[असेवित विकास खण्डों तथा एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्डों में निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा कन्या माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश दि0 28-12-98 द्वारा कार्यकारी सिद्धान्त निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत निजी प्रबंधतंत्र को कन्या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कुल रु0 20 लाख रु0 10-10 लाख की दो किश्तों में दिये जाने का प्राविधान किया गया है । प्रथम किश्त की धनराशि रु0 10 लाख कन्या माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु

नोट :---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदान की जाती है तथा दूसरी किश्त की धनराशि रु0 10 लाख अवशेष निर्माण कार्य व अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रदान की जाती है । शासन द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्थापित होने वाले विद्यालयों के लिए निदेशालय द्वारा मानकीकृत मानचित्र भी तैयार किया गया है जिससे प्रदेश में योजनान्तर्गत स्थापित विद्यालयों में एकरूपता व समानता हो ।

योजना के लिए निर्धारित कार्यकारी सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत स्थापित विद्यालयों को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाना होगा तथा कक्षा-9 हेतु आवश्यक संख्या में छात्राओं की उपलब्धता होने पर योजनान्तर्गत चयनित होने वाले प्रस्तावों पर प्राथमिकता दी जायेगी । योजनान्तर्गत स्थापित किये जाने वाले विद्यालयों के लिए संस्था के पास एक एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होना अनिवार्य शर्त है । इस प्रकार योजनान्तर्गत भूमि व भवन के जो मानक निर्धारित किये गये हैं वह कक्षा 9 से 12 तक पठन-पाठन की व्यवस्था को ध्यान में रखकर निर्धारित किये गये हैं । तथापि इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 को भी संचालित करने हेतु कक्षा कक्षों की उपलब्धता, शिक्षकों की उपलब्धता, साज-सज्जा आदि के आधार पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा ।]

जनपद वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों के किसानों को उनकी फसल की क्षतिपूर्ति एवं मृतक परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री अम्बिका चौधरी (राजस्व मंत्री)-

[जिलाधिकारी वाराणसी से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि दिनांक 10-2-2005 को हुई ओलावृष्टि से जनपद के 22 ग्रामों के 35360 व्यक्ति प्रभावित हुए । ओलावृष्टि से किसी व्यक्ति एवं पशु की मृत्यु नहीं हुई तथा न ही कोई व्यक्ति एवं पशु घायल हुआ । प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की अनुमानित क्षति 52 प्रतिशत है ।

भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार आपदा से व्यक्तियों की हुई क्षति के सापेक्ष क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान है । भारत सरकार के नवीनतम दिशानिर्देश शासनादेश सं0-जी0आई0-156/1-11-2004-46/96, दिनांक 01 मार्च, 2005 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गये हैं । दैवी आपदा से जहां कृषि, उद्यान, वार्षिक व बहुवर्षीय फसलों की 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति होती है वहां के लघु एवं सीमान्त कृषकों के असिंचित क्षेत्रों हेतु रु0 1000/-, पूर्ण सिंचित क्षेत्रों हेतु रु0 2500/- तथा बहुवर्षीय फसलों के लिए रु0 4000/- प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता दिये जाने का प्राविधान है । लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लघु सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को उनकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति पर रु0 1000/- प्रति हैक्टेयर की दर से 2 हैक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक राहत सहायता (कृषि निवेश अनुदान) दिये जाने का प्राविधान है । मद एवं मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं ।

ओलावृष्टि से फसलों की क्षति का सर्वेक्षण कराकर भारत सरकार के उपर्युक्त दिशानिर्देशानुसार अनुमन्य राहत सहायता वितरित कराये जाने के निर्देश दिनांक 12 मार्च, 2005 को दे दिये गये हैं। प्रभावितों की भूराजस्व वसूली स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में जनपद से प्राप्त आख्यानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कल ही कहा था, ताजी बात है, मैं किसी अधिकारी/कर्मचारी के कथन से ज्यादा जनप्रतिनिधि के कथन पर भरोसा करता हूं । मेरे सामने दो बातें कही हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा । मैं दो बातें जानना चाहता हूं । इन्होंने कहा कि जनपद में 22 ग्राम ऐसे हैं जो ओला से प्रभावित हैं । मैं स्वयं अपने क्षेत्र काशी विद्यापीठ में गया था वहां ब्लाक में 15 उन गांवों में गया था जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है । उन गांवों का नाम भी दिया है । रमना नरोत्तमपुर में सौ प्रतिशत, इसके अतिरिक्त अन्य गांवों में अस्सी प्रतिशत, पचहत्तर प्रतिशत तक नुकसान हुआ है । मेरे क्षेत्र में आराजी लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है । माननीय मंत्री जी गंगापुर यहां होंगे इनके यहां तो 25-30 गांव प्रभावित हुए हैं, मगर यह बोलेंगे नहीं । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन सा उपाय करेंगे ? जिलाधिकारी और लेखपाल ने कह दिया कि 22 गांव प्रभावित हैं मेरा कहना है कि पचास गांव तबाह हुए हैं । इसमें यह भी कहा गया है कि कोई घायल नहीं हुआ है । तो मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम-करसड़ा में कुंवर कन्हैया पाण्डेय की दो पुत्रियां अर्चना और निधि घायल हुई हैं और ग्राम मूड़ादेव में ग्राम प्रधान श्रीमती जमुना देवी के घर के द्वार पर जो बरगद का पेड़ था वह गिर गया और वह घायल हो गयीं । मैं आपकी मदद कर रहा हूं यह घायल हैं । इस तरह से जब राहत वसूली स्थगित करने की मांग की गयी तो मैं समझता हूं कि जितनी भी बातें आयी हैं उसको देखते हुए वसूली स्थगित करने की बजाय लगान माफ करने की आवश्यकता महसूस करते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न करें ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, रबी और ख़रीफ दोनों ही फसल नष्ट हुई हैं । खरीफ में कोई राहत नहीं दी गयी, रबी भी तबाह हो गयी ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न करें ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, इन्होंने 22 गांव की बात कही है, तो क्या माननीय मंत्री जी वास्तविकता के साथ मेरी बात मानकर पचास पचपन गांवों को नुकसान हुआ है ? स्वीकार करेंगे । जो राहत राशि है, इसके सम्बन्ध में कृपया करके भारत सरकार को लिखेंगे कि जितनी राहत राशि दी जाती रही है, पिछले 25 वर्षों से इसको ड्योढ़ी कर दिया जाय ? वर्तमान आधार पर राहत देने के बजाय, व्यक्तिगत खातेदार के आधार पर क्षतिपूर्ति के निराकरण का काम करेंगे ? दूसरी बात, प्रभावित किसानों का लगान माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय हरीश जी, वित्त मंत्री होने के नाते कई ऐसे प्रतिबन्ध लगाए गए हैं जिनकी वजह से हम लोगों को काफी परेशानियां हैं । मान्यवर, भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उसी संबंध

में हम लोग समय-समय पर जब अन्तर्प्रान्तीय परिषदों की बैठक हुआ करती है तो उनसे इस संबंध में हम लोग बातें करते हैं और मान्यवर इस सम्बन्ध में पिछले जो मानक थे, वह बदल गए हैं और तत्कालीन मौजूदा सरकार ने यानी हमारी सरकार ने जो राहत देने के मानक थे उनमें हम लोगों ने काफी परिवर्तन किए हैं, अब रकबे के हिसाब से प्रभावित फसल की क्षतिपूर्ति करते हैं । दूसरी बात जो उन्होंने लगान माफी की कही है तो मान्यवर, थोड़ी सी लगान की धनराशि है इसलिए उनको माफ करने का विचार नहीं है ।

मान्यवर, मैं स्वयं एक सप्ताह के अन्दर वाराणसी जाकर के वहां के अधिकारियों से मिल करके उनसे बात करूंगा और जो बातें आपने कही हैं, इसकी जांच करूंगा और उसके उपरान्त सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा, अगर यह पता चल जाएगा कि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है और उसको सूची में शामिल नहीं किया गया है, मैं इसकी जांच कराकर कार्यवाही करूंगा ।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 24 में अभी आपका वक्तव्य नहीं मिला है ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने वक्तव्य भेज दिया है, आपको मिल गया होगा ?

श्री अध्यक्ष-

अभी तो वक्तव्य नहीं मिला है ।

मेरठ महानगर की पेयजल आपूर्ति हेतु बंद पड़े ट्यूबवेलों की रीबोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 15-3-2005 को निम्नानुसार सूचना दी है :--

"मेरठ महानगर की पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से आगामी ग्रीष्म की कठिनाइयों को देखते हुए 3 वर्षों से ठप्प पड़े 5 ट्यूबवेलों की रीबोरिंग आवश्यक है ।

(1) गांधी पार्क सूरजकुण्ड (2) सरदार पटेल स्कूल ब्रह्मपुरी (3) मंगल पाण्डे नगर (4) लिसाड़ीगेट बिजलीघर (5) नौचण्डी मैदान ।

उपरोक्त ट्यूबवेलों की रीबोरिंग नहीं हुई तो गर्मी में भीषण जल संकट का समाना करना पड़ेगा।

विधान सभा में सूचना के उत्तर में सरकार ने कहा था कि जिला योजना से परिव्यय की स्वीकृति आवश्यक है ।

जिला योजना मेरठ में 80 लाख रुपया का परिव्यय इन ट्यूबवेलों की रीबोरिंग हेतु निर्धारित कर स्वीकृत कर दिया है ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अगले माह स्वीकृति बजट की जारी होगी धनराशि मिलने पर बोरिंग में समय लगेगा । गरमी सिर पर है । अप्रैल प्रथम सप्ताह धनराशि स्वीकृति जारी होना आवश्यक है ।"

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मेरठ महानगर की पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से आगामी ग्रीष्म में ठप्प पड़े हुए 5 ट्यूबवेलों की रीबोरिंग आवश्यक है । उक्त ट्यूबवेलों की रीबोरिंग हेतु रु0 61.00 लाख का प्राक्कलन जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा पत्र दिनांक 2.8.2004 के माध्यम से राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया था किन्तु वांछित धनराशि की स्वीकृति न मिलने के कारण नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका ।

नगरीय जिला प्लान वर्ष 2005-06 में उक्त 5 ट्यूबवेलों की रीबोरिंग हेतु रु0 62.19 लाख का प्राविधान किया गया है तथा उस पर जिला योजना अनुश्रवण समिति की दिनांक 6-3-2005 की बैठक में सहमति प्रदान कर दी गयी है । धनराशि स्वीकृत होने पर उक्त ट्यूबवेलों की रीबोरिंग के कार्य कराये जा सकेंगे ।]

जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित ग्रामों में ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल वर्मा तथा रामबाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[जिलाधिकारी आगरा से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि तहसील किरावली में दिनांक 8, 9, 10 मार्च 2005 को विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी एवं अछनेरा में हुई ओलावृष्टि से कुल 61 ग्रामों के लगभग 30,000 व्यक्ति प्रभावित हुए । ओलावृष्टि से 98 पशुओं की मृत्यु हुई व 12 पशु घायल हुए । तहसील में किसी भी व्यक्ति की ओलावृष्टि से मृत्यु नहीं हुई । ग्राम सुनेठी तथा फतेहपुर सीकरी की एक 20 वर्षीय महिला सुश्री मलुकी घायल हुई है जिसका उपचार कराया जा रहा है ।

जनपद में कराये गये प्लाटवार सर्वेक्षण के अनुसार ओलावृष्टि से 44 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई जिसमें 11 ग्राम में शत प्रतिशत फसलों को तथा 21 ग्रामों में 80 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई, शेष ग्रामों में 50 से 75 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ । क्षतिग्रस्त फसलें मुख्यत: लाही, सरसों व गेहूं है । 44 ग्रामों में ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषक जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षतिग्रस्त हुई है, की संख्या 19062, क्षेत्रफल 11879 तथा फसलों की अनुमानित क्षति रु0 1781.85 लाख है ।

भारत सरकार के दिशनिर्देशानुसार आपदा से व्यक्तियों की हुई क्षति के सापेक्ष मुआवजा नहीं बल्कि राहत सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान है । दैवी आपदा से जहां कृषि, उद्यान, वार्षिक व बहुवर्षीय फसलों की 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति होती है वहां के लघु एवं सीमान्त कृषकों के असिंचित क्षेत्रों हेतु रु0 1000/-, पूर्ण सिंचित क्षेत्रों हेतु रु0 2500/- तथा बहुवर्षीय फसलों के लिए रु04000- प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता दिये जाने का प्राविधान है । लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लघु सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषको को उनकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति पर रु0 1000/- प्रति हैक्टेयर की दर से 2 हैक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक राहत

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सहायता (कृषि निवेश अनुदान) दिये जाने का प्राविधान है । मद एवं मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं ।

उक्त ओलावृष्टि से पीड़ित कृषकों तथा मृतक जानवरों के स्वामियों को राहत सहायता दिये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा रु0 185.00 लाख की आवश्यकता बतायी गयी । जनपद में रु0 30.00 लाख धनराशि उपलब्ध थी, शेष धनराशि रु0 155.00 लाख दिनांक 16 मार्च, 2005 को प्रभावित व्यक्तियों में वितरण हेतु आवंटित करते हुए नियमानुसार राहत वितरण के निर्देश दिये गये हैं ।]

जनपद बस्ती के पाल्हा गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को स्वास्थ्य विभाग को हैण्डओवर करने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 विधायक द्वारा सूचना दी गयी है कि उनके विधान सभा क्षेत्र नगर पूर्व बस्ती के बहादुरपुर ब्लाक के पाल्हा गांव में 08 वर्ष पूर्व निर्मित खाली पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन पशुओं का चारागाह एवं बच्चों का क्रीड़ा स्थल बन कर रह गया है । स्वास्थ्य विभाग, बस्ती के अधिकारियों की उदासीनता एवं निर्माण संस्था के अधिकारियों के कारण लावारिस पड़ा उक्त भवन खराब हो रहा है जिसको स्वास्थ्य विभाग को हैण्डओवर करने के सम्बन्ध में मांग की गयी है ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सानुरोध अवगत कराना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाल्हा, जनपद बस्ती के भवन निर्माण की स्वीकृति फरवरी, 1997 में रु0 26.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम को आवंटित किया गया था । निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति रु0 32.49 लाख की प्रदान की गयी थी तथा निर्माण एजेन्सी को पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है । निर्माण एजेन्सी द्वारा आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कराकर उक्त चिकित्सा केन्द्र के भवनों को दिनांक 24-12-04 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत कराया जा चुका है ।]

जनपद कन्नौज के जलालाबाद फीडर की विद्युत तार लाइन को अल्युमिनियम का किये जांने के सम्बन्ध में श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[उपर्युक्त सूचना पर यह अवगत कराना है कि दिनांक 29, 30-01-2005 को 33/11 के0वी0 गुरसहायगंज उपसंस्थान से निकलने वाले 11 के0वी0 जलालाबाद फीडर के 38 पोलों का 11742 मीटर तार अज्ञात चोरों द्वारा काट लिया गया था जिसके फलस्वरूप स्थानीय नागरिकों एवं मा0 विधायक तथा जिलाधिकारी कन्नौज के निर्देशानुसार दिनांक 02-03-2005 को जी0आई0 वायर लगाकर लाइन

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को चालू कर दिया गया है । तार चोरी का प्राकलन स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन भण्डार में वीजल कंडक्टर प्राप्त न होने के कारण अभी तक लाइन उपरोक्त तारों से ही चल रही है । भण्डार से कंडक्टर प्राप्त होने के उपरान्त जी0आई0 वायर के स्थान पर वीजल कंडक्टर लगा दिया जायेगा जिससे उपभोक्ताओं की लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान हो जायेगा । उपरोक्त तार की व्यवस्था कराकर एक सप्ताह में जी0 आई0 वायर को बदल दिया जायेगा ।]

उत्तर प्रदेश पैक्स केन्द्रीयत सेवा कैडर के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कराने एवं द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति देने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में दो प्रकार के कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से एक सचिव हैं तथा शेष अन्य कर्मचारी । सचिवों का संवर्ग है और इनकी सेवायें तथा सेवा शर्तें "उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976" से नियंत्रित होती है अन्य कर्मचारियों की सेवाएं संबंधित समिति की उपविधिओं के अन्तर्गत नियंत्रित होती हैं ।

2. वर्ष 1976 से इन सचिवों का वेतन उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत संबंधित जिले में खुले "जिला प्रारम्भिक केन्द्रीय सेवा निधि" के खाते से किया जाता था । इस खाते में विभिन्न स्रोतों से अंश पूंजी एकत्र की जाती थी और कुल भुगतान हेतु यदि कोई कमी पड़ती थी तो राज्य सरकार के द्वारा अनुदान स्वरूप सुलभ कराया जाता था । जब से केन्द्रीय सेवा का गठन हुआ (वर्ष 1976 से) वर्ष 1990 तक से इस निधि में सरकार द्वारा 20.58 करोड़ का अंशदान किया गया । परन्तु वर्ष 1990 से राज्य सरकार द्वारा इस फण्ड में कोई भी योगदान देना बन्द कर दिया गया जिस कारण वर्ष 2002 तक विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में रु0 94.57 करोड़ का ओवरड्राफ्ट हो गया । उपरोक्त नियमावली में किये गये ग्यारहवें संशोधन, जो दिनांक 04-06-2003 से लागू हुआ, के फलस्वरूप पैक्स सचिवों के वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित समिति का हो गया । अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों के भुगतान का उत्तरदायित्व सदैव से ही समितियों का रहा था ।

3. गत वित्तीय वर्ष में स्थिति निम्न प्रकार थी :--

कुल समितियों की संख्या	--	7479
सक्रिय समितियों की संख्या	--	6072
निष्क्रिय समितियों की संख्या	--	1407
हानि पर कार्यरत समितियों की संख्या	--	4493
लाभ पर कार्यरत समितियों की संख्या	--	2986
कुल संवर्ग सचिवों की संख्या	--	4249

4. क्योंकि समितियां व्यवसायिक संस्थाएं हैं अत: यदि समितियां लाभ पर हैं तभी वेतन भुगतान कर सकती हैं और इसके लिए आवश्यक है कि वे निष्क्रिय से सक्रिय हों और हानि से लाभ की ओर आयें । इस वित्तीय वर्ष में 413 समितियां सक्रिय की गयी हैं । इनको लाभ पर लाने के लिए इनके

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

व्यवसाय में विविधिकरण का प्रयास किया जा रहा है । शासन ने अभी 27 जनपदों में "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना" के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण का कार्य इन सहकारी समितियों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है जो आगे पूरे प्रदेश में किये जाने की संभावना है । यदि पैक्स कर्मचारी इस योजना को सही प्रकार से कार्यान्वित करेंगे तो उससे समितियों को आय होगी और वेतन भुगतान संभावित होगा ।

5. जहां तक गोण्डा तथा बलरामपुर जनपदों का प्रश्न है इन जनपदों की समितियों का वित्त पोषण गोण्डा जिला सहकारी बैंक द्वारा किया जाता था जो बन्द हो गया है तथा दिनांक 17-08-2002 से वहां परिसमापक नियुक्त है । इस प्रकार इन जनपद की समितियां निष्क्रिय हो गयी हैं ।

6. जहां तक वेतन पुनरीक्षण का प्रश्न है यह कार्य सम्बन्धित समितियों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर स्वयं किया जाता है और ऐसी ही व्यवस्था निबंधक सहकारी समितियां द्वारा प्रसारित पैक्स कर्मचारियों की "आदर्श सेवा विनियमावली 1999" में की गयी है जो पूर्णतया स्वैच्छिक है और समितियों पर बाध्यकारी नहीं है ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा तापीय विद्युत परियोजना अंतर्गत अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा दिये जाने एवं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी में रखे जाने के सम्बन्ध में डॉ0 यशवन्त सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[वर्ष 1979-80 में तत्कालीन उ0प्र0 रा0 वि0 परिषद द्वारा टाण्डा तापीय परियोजना टाण्डा, अम्बेडकर नगर, के निर्माण हेतु 1314 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था नियमानुसार प्रत्येक उस किसान के परिवार के मात्र एक सदस्य को सेवायोजित किये जाने का प्राविधान था, जिनकी भूमि का कम से कम 50 प्रतिशत भाग या उससे अधिक भाग का अधिग्रहण किया गया हो । इस प्राविधान के अनुसार कुल 1314 कृषकों में से कुल 556 सेवायोजन हेतु पात्र पाये गये जिनकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया था । इनमें से 288 कृषकों को सेवायोजित किया जा चुका है । शेष के संबंध में शासन की नई पुनर्वासन नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

एन0टी0पी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि ऐश पांड "बी" नवम्बर 2002 से प्रयोग में है । इससे पहले ऐश पांड "ए" प्रयोग में लाया जाता था जो अब पूरा भर गया है । एन0टी0पी0सी0 टाण्डा के ऐश डैम "बी" से किसी भी प्रकार का जल रिसाव नहीं होता है । एन0टी0पी0सी0 द्वारा तकनीकी दृष्टिकोण से ऐश डैम से किसी भी प्रकार के जल रिसाव न होने की समुचित व्यवस्था कर लेने के अतिरिक्त पक्की ड्रेन एवं रोड का निर्माण भी किया गया है । किसी भी प्रकार की क्षति की आशंका नहीं है ।

पूर्व में आई0आई0टी0 कानपुर के डॉ0 सर्वेश चन्द्रा, प्रो0 सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा भी उक्त स्थल के निरीक्षण के उपरान्त दिनांक 10/11-12-2004 को दी गयी आख्या से उक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है । निरीक्षण के समय जांच समिति ने पाया कि सिंचाई नहर से निकले माइनर, जो कृषकों की सिंचाई के प्रयोग में आता है का अन्तिम निस्तारण भी एन0टी0पी0सी0 द्वारा निर्मित ड्रेन द्वारा किया जाता है । निर्मित पक्की ड्रेन के बाहर की तरफ जहां काश्तकारों के खेत हैं, तथा बोये गये हैं, वहां पर अच्छी फसलें हैं एवं वहां पर किसी भी प्रकार का जलभराव नहीं है ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 मार्च, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं--
पहली सूचना श्री आलोक कुमार शाक्य की है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अभी तो कार्य मन्त्रणा में 29 तक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, वक्तव्य तो आ जाने दीजिए, कम से कम इस पर कुछ लिखत-पढ़त में तो आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आठ सूचनाओं पर आज ध्यानाकर्षण करता हूं, आज आपका नहीं लिया है कार्यस्थगन में उसको पूछियेगा । अब मामला खत्म हो रहा है तो कार्यस्थगन के लिए कुछ रखा जाता है ।

नियम-51 की सूचना में पहली सूचना श्री आलोक कुमार शाक्य की है, राम मनोहर लोहिया इण्टर कालेज, शाहपुर, बलिया में डॉ0 राम मनोहर लोहिया की मूर्ति लगाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना श्री राम कृपाल और श्री रामस्वरूप सिंह की है, जनपद इलाहाबाद के ग्राम पंचायत पिपरांव में भूमिहीनों को मालिकाना हक न मिलने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, तीसरी सूचना श्री द्वारिका प्रसाद की है, जनपद संत कबीरनगर में चकबन्दी न कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी । चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ 'मोती सिंह' की है, जनपद प्रतापगढ़ स्थित पट्टी क्षेत्र में भांटपट्टी महरूपुर मार्ग तक सेतु निर्माण कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी, पांचवीं सूचना श्री रामनरेश यादव की है पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारकों को पूर्ण शिक्षक के रूप में समायोजित किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी, छठी सूचना श्री राम किशुन की है, बनारस अन्तर्गत रामनगर क्षेत्र में फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण उत्पन्न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी । सातवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की है, जनपद बलिया के सिकन्दरपुर में विद्युत सब स्टेशन की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी । आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह चौहान की है, लखनऊ स्थित ग्राम-ककराब द में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के किसानों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं--

1-श्रीमती राजरानी रावत
2-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
3-श्री बीजू पटनायक
4-श्री कौशल किशोर
5-श्री मदन चौहान
6-श्री मुकुट बिहारी वर्मा
7-डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
8-डॉ0 रामबाबू हरित, श्री छोटेलाल वर्मा
9-श्री नवाब सिंह नागर

10-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर
11-श्री मतेश चन्द्र सोनकर
12-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर
13-श्री मुन्शी लाल गौतम
14-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
15-डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा
16-डॉ0 पूर्णमासी देहाती
17-श्री राम करन आर्य
18-श्री बैजनाथ दुबे
19-डॉ0 विनोद तिवारी
20-श्री विश्राम सिंह यादव
21-श्री छोटे लाल वर्मा
22-श्री घूरा राम तथा
23-श्री कल्यान सिंह दोहरे

जनपद झाँसी में ओलावृष्टि से प्रभावित किसान श्री नन्द सिंह चौहान की मृत्यु के उपरान्त परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, माननीय मंत्री जी आपने कहा कि मद संख्या 24 का वक्तव्य आ गया है लेकिन मेरे पास नहीं आया है तो हम मद संख्या 24 को स्थगित कर दे रहे हैं ।

अब हम उठते हैं, 22 मार्च, 2005 को 11.00 बजे पुन: बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 46 मिनट पर मंगलवार दिनांक 22 मार्च, 2005 को अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 18 मार्च, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर ।)

माह 1/2002 से 12/2004 तक मासिक राजस्व वसूली एवं बैंक में जमा धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	माह	मासिक राजस्व वसूली (रुपये लाख में)	बैंक में जमा की गई धनराशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4
1	1/02	254.3	242.65
2	2/02	228.81	238.23
3	3/02	407.36	379.97
4	4/02	165.96	208.34
5	5/02	264.95	247.27
6	6/02	271.4	265.46
7	7/02	262.84	273.87
8	8/02	278.06	277.21
9	9/02	246.34	235.47
10	10/02	260.28	271.51
11	11/02	231.21	205.81
12	12/02	236.37	252.81
13	1/03	286.24	267.39
14	2/03	289.5	272.9
15	3/03	346.31	325.32
16	4/03	171.65	203.12
17	5/03	265.67	268.25
18	6/03	266.24	248.96
19	7/03	276.38	322.75
20	8/03	281.92	277.67
21	9/03	261.21	254.96
22	10/03	287.4	288.2
23	11/03	279.72	261.44
24	12/03	300.92	332.54
25	1/04	316.29	284.48
26	2/04	319.51	311.99
27	3/04	461.44	392.28
28	4/04	254.26	331.25
29	5/04	293.78	319.47
30	6/04	321.07	324.2
31	7/04	321.38	292.02

1	2	3	4
32	8/04	332.39	338.07
33	9/04	352.52	361.8
34	10/04	359.35	337.43
35	11/04	366.16	373.9
36	12/04	359.44	368.64
37	1/05	392.17	409.61
	Total	10,873.24	10,867.06

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या प्र0 सं0 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 2004-2005 में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत वर्जिन ग्रामों की सूची

क्र0 सं0	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या (2001)	कुल में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुसाफिर खाना	बल्दीराय	फत्तेपुर	06187900	3883	651	
2	,,	,,	पतलकी मौजा असल	06194100	1913	120	
3	,,	,,	विरधौरा (विरछौरा)	06192700	1782	138	
4	,,	,,	उसकामऊ	06188000	1299	403	
5	,,	,,	सराय बग्घा	06188300	1328	191	
6	,,	,,	रनमुसेपुर	06188600	242	00	
7	,,	,,	काकर टोला	06188700	1352	285	
8	,,	,,	कुँवासी	06188800	657	71	
9	,,	,,	बडाडाड	06188900	431	187	
10	,,	,,	भवानीगढ़	06189800	1025	138	
11	,,	,,	सौराव (पुरे भाला पाण्डेय का पुरवा)	06190600	3094	1014	
12	,,	,,	महुली	06192500	1692	599	
13	,,	,,	आदमपुर	06193500	571	75	

अप्रकाशित

1	2	3	4	5	6	7	8
14	मुसाफिरखाना	बल्दीराय	सुखबडेरी	06191500	1136	90	
15	सुल्तानपुर	धनपतगंज	सरैया मझौवा	06270400	1378	344	
16	,,	,,	वेनौता (कुर्मी का पुरवा)	06269300	332	42	
17	,,	,,	जज्जौर	06268300	2048	263	
18	,,	,,	मझोवा	06269400	389	93	
19	,,	,,	सोनबरसा	06262000	636	155	
20	,,	,,	बहादुरपुर	06272900	3026	344	
21	,,	,,	भगवानपुर	06263400	362	65	
22	,,	,,	लकटामाफी	06261900	270	29	
23	,,	,,	समरथपुर	06264500	3683	691	
24	,,	,,	विसावाँ	06264600	3380	822	
25	,,	,,	रामनगर	06267200	1851	412	
26	,,	,,	पाली	062628	1390	447	
27	,,	,,	सेवरा	062682	1828	338	
28	सुल्तानपुर	कूरेभार	बिझूरी	06278800	1255	280	
29	,,	,,	बैथू	06277700	1050	437	
30	,,	,,	सारंगपुर	06279000	1328	378	
31	,,	,,	रामनाथपुर	06279800	948	286	
32	,,	,,	टण्डवा	06280200	266	92	
33	,,	,,	नटौली खुर्द	06283500	553	206	
34	,,	,,	उमरभार जियापुर	06274900	906	218	

1	2	3	4	5	6	7	8
35	सुल्तानपुर	कूरेभार	पूरेसागर	06273700	181	162	
36	,,	,,	इछूरी	06273800	614	199	
37	,,	,,	गौहानी धोबीभार	06274000	236	196	
38	,,	,,	पुरुषोत्तमपुर	06274100	156	36	
39	,,	,,	भगवानपुर	06277300	717	277	
40	,,	,,	अमोथी (अकोढी)	06277500	307	307	
41	सुल्तानपुर	कुड़वार	चक मवइया (पूरे मितई पाण्डेय का पुरवा)	06294600	218	32	
42	,,	,,	कुड़वार ग्रान्ट	06292900	805	205	
43	,,	,,	खादर बसन्तपुर	06292200	1228	162	
44	,,	,,	मुड़वा	06290500	2296	233	
45	,,	,,	पिपरी	06293600	1363	84	
46	,,	,,	रामपुरमठा	06295100	948	236	
47	,,	,,	उत्तरगाँव	06297700	984	11	
48	,,	,,	हरखीरपुर बीरीपुर	06297800	698	206	
49	,,	,,	बढ़ौलिया	06297900	381	114	
50	,,	,,	ब्रम्हजीतपुर	06299300	752	00	
51	सुल्तानपुर	दूबेपुर	रामपुर	06307000	555	202	
52	,,	,,	करौंदिया देहात	06306100	1787	00	
53	,,	,,	डाहा फिरोजपुर	06303700	1532	128	

उत्तर प्रदेश राजपत्र

1	2	3	4	5	6	7	8
54	सुल्तानपुर	भदैया	भोये	06307600	1440	00	
55	,,	,,	धरमदासपुर (भगवानपुर)	06308900	577	172	
56	,,	,,	धरौली	06309200	732	234	
57	सुल्तानपुर	जयसिंहपुर	कारेवन	06320300	1129	403	
58	,,	,,	मधुबन	06328100	1595	341	
59	,,	,,	सोनूपारा	06315700	511	131	
60	सुल्तानपुर	जयसिंहपुर	भरसारे	06317800	235	21	
61	,,	,,	सरायनौरंग	06317600	600	287	
62	,,	,,	कल्यानपुर	06320400	237	23	
63	,,	,,	करसा	06321000	974	247	
64	,,	,,	बीडी	06327000	687	282	
65	,,	,,	भीटी	06323700	317	73	
66	,,	,,	हरिहरपुर	06317000	396	148	
67	,,	,,	बहली	06314300	1120	253	
68	,,	,,	सदरपुर	06316900	656	168	
69	,,	,,	सहादतपुर	06327300	881	12	
70	लम्भुआ	भदैया	लहिया जलपापुर	06343100	1079	218	
71	,,	,,	करोमी	06332000	1563	171	
72	,,	,,	बाजपारा (जगदीशपुर)	06333600	2430	66	

अतिरिक्त प्रति हेतु

1	2	3	4	5	6	7	8
73	लम्भुआ	भदैया	श्रीपुर	06341000	570	163	
74	,,	,,	मझलेगांव	06336900	670	253	
75	,,	,,	भगवानपुरे	06340400	563	14	
76	,,	,,	अलीपुर	06340500	766	73	
77	लम्भुआ	लम्भुआ	रघुनाथपुर	06354100	758	00	
78	,,	,,	रायपुर	06351600	1318	444	
79	,,	,,	शाहपुर हरिवंश	06351300	1321	255	
80	,,	,,	हाटा	06364000	805	250	
81	,,	,,	भवनपुर	06346800	200	03	
82	,,	,,	चौरारिया	06346900	907	235	
83	,,	,,	बेनीपुर	06347300	416	108	
84	,,	,,	दुवौली	06347400	349	124	
85	,,	,,	मामपुर	06351000	1225	291	
86	,,	,,	रामपुर कुर्मियान	06351100	1385	571	
87	,,	,,	राजापुर हिम्मत	06363800	222	69	
88	,,	,,	राजापुर सादी	06363900	163	163	
89	,,	,,	पथरा	06354200	412	53	
90	लम्भुआ	पी0पी0 कमैचा	मरछे	06368100	1498	257	
91	,,	,,	शेखनपुर	06365300	1083	563	
92	,,	,,	सराय जुझार	06365400	641	231	

अवैध प्रति हेतु नहीं

1.	2	3	4	5	6	7	8
93	लम्भुआ	पी0पी0 कमैचा	ओझापुर	0636800	140	00	
94	,,	,,	अमहा	06371600	470	97	
95	,,	,,	फुंगरु	06371700	334	50	
96	,,	,,	शुकुल उमरी	06372000	1215	437	
97	,,	,,	राजापुर	06373100	815	175	
98	,,	,,	तमरसेपुर	06374600	870	191	
99	,,	,,	मुसेपुर	06374800	1126	294	
100	,,	,,	सिंहौली	06374900	2069	413	
101	,,	,,	मल्हीपुर	06377300	2474	480	
102	,,	,,	वाजिदपुर	06377400	765	41	
103	कादीपुर	दोस्तपुर/मोतिगरपुर	उघड़पुर भटपुरा	06379900	196	00	
104	,,	,,	शेरपुर लखनी	06397500	230	197	
105	,,	,,	गोपालपुर	06378900	22	00	
106	,,	,,	कटेरा चुंघुपुर	06380200	1661	326	
107	,,	,,	लामा बनकटा	06395000	1935	248	
108	,,	,,	अर्जनाईपुर	06381700	569	202	
109	,,	,,	सजवन हरनाथपुर	06378100	448	62	
110	,,	,,	राजापुर	06378200	561	80	
111	,,	,,	पहाड़पुर रायपट्टी	06380100	768	304	
112	,,	,,	मरथीपुर	06395300	318	76	

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

1	2	3	4	5	6	7	8
113	कादीपुर	दोस्तपुर/मोतिगरपुर	सराय सहावन	06381000	317	68	
114	,,	,,	करेथा गोसरपुर	06383000	1434	332	
115	,,	,,	जजरही जमालपुर	06380300	957	443	
116	,,	,,	पतरा नारायनपुर	06381400	281	31	
117	,,	,,	खैरहा	06394600	1662	213	
118	,,	,,	बेरा मारुफपुर	06386600	2551	330	
119	,,	,,	तेदुआकाजीपुर	06385000	742	151	
120	,,	,,	बढौली	06384000	1838	518	
121	,,	,,	डडवारखुर्द	06396900	387	178	
122	,,	,,	सातनपुर	06397000	310	68	
123	,,	,,	परसाडडवा	06377900	184	40	
124	,,	,,	कौशिल्यापुर	06381300	358	61	
125	,,	,,	विश्वनागरपुर भटपुरा	06381800	297	76	
126	,,	,,	सुलेमपुर	06394300	409	88	
127	,,	,,	धतुरहा	06386700	973	122	
128	,,	,,	बछैया	06386900	428	120	
129	,,	,,	खुनहट	06395200	889	267	
130	कादीपुर	कादीपुर	हाजीपुर वरुआ	06409500	856	283	
131	,,	,,	पटना पवारपट्टी	06405400	1391	457	
132	,,	,,	शुकुलपुर	06408100	1010	272	

उत्तर प्रदेश राजपत्र

1	2	3	4	5	6	7	8
133	कादीपुर	कादीपुर	कटघर पूरे चौहान	06408700	2864	609	
134	,,	,,	खालिसपुर गोपालपुर	06406200	2119	405	
135	,,	,,	प्रतापपुर सुलेमपुर	06408800	472	128	
136	,,	,,	शाहाबुद्दीनपुर	06410500	2919	614	
137	,,	,,	धनेपुर	06397700	449	263	
138	,,	,,	सराय रानी	06403300	2215	494	
139	,,	,,	कालिपुर	06400000	959	345	
140	,,	,,	बहाउद्दीनपुर	06406100	1972	135	
141	,,	,,	ताहिरपुर	06406000	1129	325	
142	,,	,,	अरजानीपुर	06398500	441	11	
143	,,	,,	कटघर खास	06408000	601	26	
144	,,	,,	जुनेदपुर	06407900	303	83	
145	,,	,,	अमरेमऊ	06407800	2417	685	
146	,,	,,	भटौता तुलसीपट्टी	06410100	1262	272	
147	,,	,,	विश्नू गोपालपुर	06410200	144	55	
148	कादीपुर	अखण्डनगर	जफरपुर	06420900	521	238	
149	,,	,,	बरामदपुर	06423100	2459	729	
150	,,	,,	विरईपुर भटपुरा	06413800	2314	401	
151	,,	,,	कटघरा	06413500	691	153	
152	,,	,,	रोहियावाँ	06413600	632	125	

उत्तर प्रदेश राजपत्र

1	2	3	4	5	6	7	8
153	कादीपुर	अखण्डनगर	मुबारकपुर	06418300	929	222	
154	,,	,,	फरीदपुर	06420800	3051	938	
155	,,	,,	सिजिलपुर	06414400	1249	260	
156	,,	,,	महमूदपुर	06418100	1561	481	
157	,,	,,	रोहियावाँ जलालपुर	06414000	676	146	
158	,,	,,	लोकनाथपुर	06412900	2087	621	
159	,,	,,	बस्ती पहाड़पुर	06415200	947	231	
160	,,	,,	[illegible]पुर	06420200	753	173	

(एम0 यू0 खान)
अधिशाषी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
सुल्तानपुर ।

(बी0 जे0 सिंह)
उप महाप्रबंधक,
विद्युत वितरण मण्डल,
सुल्तानपुर ।

(सन्दीप कुमार शर्मा)
मुख्य विकास अधिकारी,
सुल्तानपुर ।

(सुरेश चन्द्र शर्मा)
जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक "ख"

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम
1.	चकमवइया (पूरे मितई पाण्डेय का पुरवा)	कुड़वार
2.	कुड़वार ग्रा0 ए	कुड़वार
3.	खादर वसन्तपुर	कुड़वार
4.	मुड़वा	कुड़वार
5.	पिपरी	कुड़वार
6.	रामपुर मठा	कुड़वार
7.	उत्तर गांव	कुड़वार
8.	हरखीपुर वीरीपुर	कुड़वार
9.	बढ़ौलिया	कुड़वार
10.	ब्रह्मजीतपुर	कुड़वार
11.	रामपुर	दुबेपुर
12.	करौंडिया देहात	दुबेपुर
13.	डाहा फिरोजपुर	दुबेपुर
14.	भोये	भडैयाँ
15.	धरमदासपुर (भगवानपुर)	भडैयाँ
16.	धरौली	भडैयाँ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 112 विधान सभा (190)-29-7-2005-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।